खण्ड-266, अंक-2
मंगलवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1888
(12 अप्रैल, 1966 ई0)

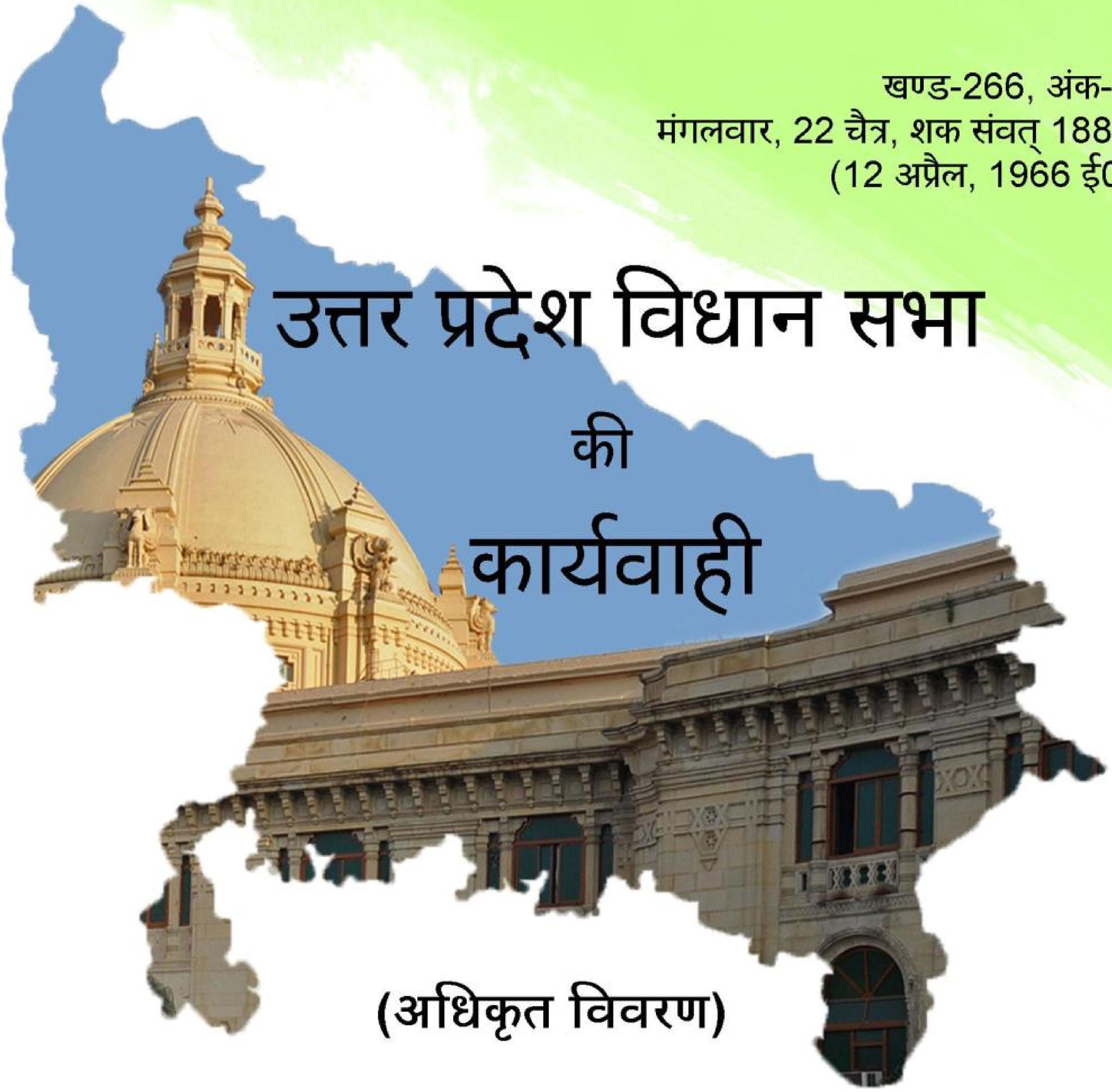

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 266 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०७–१११
प्रश्नोत्तर	१११–१४७
उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया)	१४७
इलाहाबाद जिले में भयंकर सूखे की स्थिति के संबंध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत)	१४७–१४८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें	१४८–१४९
प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय पट्टी में फैले हुए गुप्तचर भेदियों के संबंध में वक्तव्य ..	१४९–१५०
लोक लेखा समिति के लिये विधान परिषद् के ५ सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव (स्थगित किया गया)	१५०
सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग	१५०–१५१
उत्तर प्रदेश खेत ा अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४–६५) एवं सरकारी संकल्प (चर्चा समाप्त)	१५२–१८९
नत्थियां	१९०–१९७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३४८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर ,श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल , श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणशचन्द्र काछी श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर ,श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश नारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी ,श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह,)
बंशीधर पांडेय, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री

बनारसीदास, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी ,श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ोलाल, श्री
मैनेरजसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त ,श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवनारायसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुभनचन्द मजदूर, श्री
शुभनन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्री राम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीरकुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुवेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री

सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हसीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

इकदिल थाना क्षेत्र में कुएं से शव मिलना

**१—श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिलान्तर्गत इकदिल थाना क्षेत्र में दिनांक १३ मार्च, १९६६ को पुलिस ने कोई लाश बरामद की है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या यह सच है कि मृत व्यक्ति ने अजीतमल थाना इंचार्ज पर लगाये गये रिश्वत खोरी के आरोप में उनके विरुद्ध गवाही दी थी और हत्या के समय भी एक पुलिस अधिकारी वहां मौजूद था ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

१३-३-६६ को एकदिल थाना क्षेत्र में एक कुएं से एक व्यक्ति का शव मिला था। उस संबंध में भा० द० विधान की धारा ३०२, २०१ के अधीन अभियोग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। यह सही है कि मृतक ने अजीतमल थाना इंचार्ज पर लगाये गये रिश्वतखोरी के आरोप में उनके विरुद्ध गवाही दी थी। अब तक की जांच से ऐसा कोई सन्देह नहीं होता कि हत्या के समय वहां कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित था।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बस्ती कोतवाली में ट्रक दुर्घटना की रिपोर्ट

*१—सर्वश्री सोहन लाल धुसिया, (जिला बस्ती), नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) तथा राम अवध सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १९ दिसम्बर, १९६५ को बस्ती कोतवाली (जिला बस्ती) के अन्तर्गत सुतिहट्टा बाजार में ५ बजे शाम के करीब कोई व्यक्ति सब्जी बेचते समय किसी ट्रक से दबकर मर गया तथा उसके घर वालों ने बस्ती कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई है ?

खाद्य मंत्री के समा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

जी हां ।

*२—सर्वश्री सोहन लाल धुसिया, नरसिंहनारायण पांडेय तथा राम अवध सिंह—

क्या यह सही है कि बाजार के कुछ व्यक्तियों को मदद से ट्रक वाला लाश को लेकर भाग गया ? इस संबंध में सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस विषय पर पुलिस द्वारा जांच चल रही है। मुकदमा कायम किया गया।

श्री सोहन लाल धुसिया—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मुकदमा किस पर और कौन सी दफा के अन्तर्गत कायम किया गया है और कब ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

पहले मुकदमा दफा ३९१, ३३७ और ३४२ के अन्तर्गत दर्ज किया गया लेकिन तफतीश के बाद यह मुकदमा दफा ३०४ और २०१ में दर्ज किया गया।

श्री सोहन लाल धुसिया—

किस तारीख को ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१९-१२-६५ को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी उसी सिलसिले में हुआ ।

श्री सोहन लाल धुसिया—

मेरा सवाल है कि किस तारीख को सरकार ने मुकदमा दायर किया है ?

श्री अध्यक्ष—

चार्जशीट भेज दी गई है या नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस की सूचना नहीं है। लेकिन यह सूचना है कि चार्ज शीट भेजी जा रही है।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चार्ज शीट भेजी गई या नहीं, उस के संबंध में कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं और कोई लाश बरामद हुई या नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ड्राइवर, क्लीनर और मोटर का मालिक, जिन पर सन्देह था, की गिरफ्तारी के आदेश हुए लेकिन चूंकि वे फरार हो गये थे लिहाजा दफा ८७, ८८ की कार्यवाही की गई और उस के बाद उन्होंने अपने आप को हाजिर किया ।

श्री राजनारायण मिश्र—

लाश बरामद हुई कि नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं, लाश बरामद नहीं हुई ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

जब लाश बरामद नहीं हुई और यह चार्ज है कि लाश ले कर ड्राइवर और क्लीनर भाग गये तो सरकार ने लाश को प्राप्त करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह मामला पुलिस में दर्ज कर दिया गया था और पुलिस ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना मालूम है कि यह शक हो रहा है कि इन लोगों ने उस की लाश को घाघरा नदी में फेंक दिया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

यह वाकया २९ दिसम्बर का है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गिरफ्तारी कितने दिन बाद हुई और इतने दिन गिरफ्तारी न होने का कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ठीक तारीख तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये फरार हो गये थे और दफा ८७,८८ की कार्यवाही की गई तब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

यह कत्ल का मामला है ऐसी स्थिति में पुलिस ने पीछा क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि दफा ८७,८८ की कार्यवाही की जिसके अन्तर्गत कुर्की की गयी और फल फलस्वरूप वे हाजिर हुए और गिरफ्तार किये गये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जिस वक्त रपट लिखाई गयी इस वाकये की फौरन ही उसके बाद पुलिस के दरोगा ने पीछा करने की कार्यवाही क्यों नहीं की। इसी के कारण लाश गायब हो गयी और वे लोग इतने दिन गायब रहे ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

हुआ यह कि वह आदमी जख्मी हुआ और गाड़ी वालों ने कहा उसको अस्पताल ले जा रहे हैं तो उस समय यह अन्देशा नहीं किया जा सका था कि यह ले जा कर दरिया में डाल देंगे। जब उसकी रपट हुई, तशखीस हुई, अस्पताल जा कर उसे देखा गया तो मालूम हुआ कि लाश वहां नहीं है तब फिर यह कार्यवाही हुई।

श्री राजनारायण मिश्र—

एफ० आई० आर० लाज हुई तो क्या कुछ आदमियों की नामजद रिपोर्ट है ? अगर है, तो फिर किस-किस के नाम हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जो रिपोर्ट उसके लड़के ने लिखाई है वह इस प्रकार है "हमारा नाम राम आसरे बाप के नाम रामसमुझ कोइरी, घर मु० सुर्ती हट्टा पुरानी बस्ती में होय। हम पांडे बाजार में मिट्टी का तेल लावे बदे चला गवन रहा। करीब ५॥ बजे शाम तेल ले के घर गयन तब मालूम भय कि हमार बाप राम समुझ जवन तरकारी बेच के पांडे बाजार से सुर्ती हट्टा अपने घर आवत रहे, की लक्ष्मी शाह सुर्ती हट्टा के दुकान के सामने करीब ५ बजे शाम के जून एक पीला रंग के ट्रक जवने के नम्बर यू० पी० १९२५९ है जेका भगेलू मनोय, गोवर्धन प्रसाद केहवे जताइन अउर बताइन की तोहरे बाप राम समुझ के एही ट्रक के ड्राइवर अपने मोटर से जवन पांडे बाजार की तरफ

ले आइल हमरे दूकान के सामने दबा देहलस। ड्राइवर आयन ट्रक रोक के हमसे अऊ लोगन से कह के की हम इनके दवा करावे अस्पताल बस्ती ले जात हई राम समुझ के मोटर पर वह बइठा के ले गइल हमहूं तुरन्त अस्पताल गयन पता लगावन अस्पताल से हमरे बाप के पता नाही लाग मालूम पड़त है कि ड्राइवर हमरे बाप के लेके कहां चला गया बहुत खोजेन कुछ पता नहीं चला रिपोर्ट लगाये गयन हैं। रपट लिखके जांच की न जाय। जवन लिखाया लिखा गया पढ़वा के सुना ठीक होय निशानी अंगूठा बनावत हैं। नि० अ० रामआसरे।'

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जिस समय मृत्यु हुई तो ५ बजे शाम को बगल से कोतवाली पुलिस को टेलीफोन किया गया कि अमुक ट्रक से एक आदमी दब गया है और ट्रक वाले लाश ले कर भाग गये हैं तो टेलीफोन के बाद भी पीछा क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जैसे ही पता चला कि ट्रक जख्मी को ले कर भाग गयी है तो रेडियो द्वारा रीजनल आफिसर गोरखपुर और वाराणसी वायरलेस सेक्शन को खबर दे दी गयी कि अमुक को गिरफ्तार कर लिया जाय।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

जिस कोतवाली पुलिस ने इतनी लापरवाही की है कि कोतवाल साहब ने जिस आदमी के चोट लग गयी उसका फौरन डाक्टरी मुआइना न कराकर भगा ले जाने दिया तो क्या माननीय मंत्री ऐसी पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपने जवाब सुना नहीं है। वे तो यह कह रहे हैं कि एक आदमी ट्रक से दबा, जिसकी मोटर से दबा था उस आदमी ने उस जख्मी को ट्रक में डाल कर, यह कह कर ले गया कि हम इसको अस्पताल लिये जा रहे ह वहां से वह गायब हो गया।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

इस ट्रक का लाइसेन्स आपके जिम्मे है। तो क्या उसका लाइसेन्स मुअत्तल किया या नहीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

कृष्ण चन्दर सिंह नाम के एक सज्जन हैं जो इस ट्रक के मालिक हैं। उनको भी नोटिस दी गयी है और अगली कार्यवाही का पता नहीं है।

श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या सरकार इसकी गहराई से और ईमानदारी से छानबीन करके पता लगायेगी और प्रापर आदमियों के खिलाफ ऐक्शन लेगी कि बजार के जिन आदमियों ने उस आदमी को मृत जानकर ट्रक पर लदवाया था और यह कह कर वहां से हटवाया था कि नदी में डाल दो नहीं तो हम लोग भी फंस जायेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि इसमें और कौन-कौन से लोग थे।

श्री सोहन लाल धुसिया—

क्या सरकार इसका पता लगायेगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिन लोगों ने तहकीकात की है उन्होंने पता लगाया होगा और जब मुकदमा चलेगा तो और पता लग जायेगा।

श्री सहदेव सिंह—

श्रीमन्, मेरा पहला प्रश्न अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में था। मुझे जरा सी देर हो गयी। आप उसे बाद में ही ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप उस समय थे ही नहीं। बाद में मौका होगा तो आ जायगा।

३-५—सर्वश्री राजेन्द्र सिंह तथा बेदराम (जिला एटा)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

ब्लाक कूड़ेभार में नलकूपों को बिजली

*६—श्री बैजनाथ सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला सुल्तानपुर में ब्लाक कूड़ेभार की टंडवा-किठावां ग्राम पंचायतों से सिंचाई हेतु निजी नलकूप चालू करने के लिये नवम्बर, १९६५ से फरवरी, १९६६ तक किन-किन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र बिजली के लिये प्राप्त हुये और उनमें से किन-किन व्यक्तियों को बिजली स्वीकृत हुई और किन-किन व्यक्तियों को बिजली नहीं स्वीकृत हुई ? और क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—

जिला सुल्तानपुर में ब्लाक कूड़ेभार की टंडवा किठावां ग्राम पंचायतों से सिंचाई हेतु नलकूप चालू करने के लिये नवम्बर १९६५ से फरवरी १९६६ तक तीन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं तथा उनको विद्युत् शक्ति की स्वीकृति दे दी गई है।

*७—श्री बैजनाथ सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन लोगों को बिजली स्वीकृत हो गयी है, उनमें से किन-किन व्यक्तियों को कनेक्शन मिल गये हैं और किन-किन लोगों को नहीं मिले हैं ? और क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

विद्युत् कनेक्शन जिला विद्युत् वितरण समिति सुल्तानपुर द्वारा दिनांक ४ अप्रैल, १९६६ को स्वीकार किये गये हैं, इस कारण भावी उपभोक्ताओं को अभी कनेक्शन नहीं मिल सके हैं।

*८—श्री बैजनाथसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिन लोगों को अभी तक कनेक्शन नहीं मिले हैं, उनको कब तक कनेक्शन मिल जायेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—

एग्रीमेंट तथा अन्य कार्यवाही पूर्ण कर लेने के बाद विद्युत् कनेक्शन दो मास के अन्दर दे दिये जायेंगे।

विधायकों को फियेट कार तथा स्कूटरों के परमिट

*९—सर्वश्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़), सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर), शराफत हुसैन रिजवी (जिला मरादाबाद), ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) भगवानदास यादवेन्दु तथा खेमचन्द्र (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९६२ से १५ मार्च, १९६६ तक कितने फीयेट कार तथा स्कूटरों के परमिट विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों को दिये गये हैं? साथ ही प्रत्येक सदस्य का नाम तथा जिलावार सूची सदन पर रखेगी?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सूचना एकत्रित करने में जो समय व श्रम लगेगा, वह प्रश्न की उपयोगिता के अनुकूल न होगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

इस में व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह प्रश्न सात आदमियों के नाम से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में दिया गया था। इसी विषय का प्रश्न, आपको याद होगा, यहां उठाया गया था। उसमें बहुत से सवाल जवाब किये गये थे। तो प्रश्न यह है कि सूचना एकत्रित करने में बड़ा पैसा, समय और श्रम लगेगा जो उपयोगी नहीं होगा, मेरा कहना यह है कि कौंसिल और असेम्बली के अन्दर कुल ५३९ विधायक हैं। सभी को तो फियेट कार मिली नहीं होगी एक, दो वर्षों के अन्दर। अधिक से अधिक सौ आदमियों को मिली होगी। तो सौ आदमियों के लिये यह हिमालियन अपहिल टास्क हो गया है, यह बात समझ में आती नहीं है। वह बतायें कि असली वजह क्या है। या तो आप उनको आज्ञा दें कि वे बतायें कि सौ आदमियों की सूचना एकत्रित करने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, आप कृपा कर के यदि इस प्रश्न को देखेंगे तो पूछा यह गया है कि १ अप्रैल, १९६२ से १५ मार्च, १९६६ तक, यानी चार साल का हवाला पूछा गया है। तो हमारे यहां जो रेकार्ड रखने की प्रथा है उसमें विधायकों के नाम से अलग रेकार्ड हो, ऐसी बात नहीं है। जिहाजा चार साल के रेकार्ड्स को छानबीन करना पड़ेगा जिसमें काफी समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि चार साल में.....

श्री झारखंडेराय—

तीन ही साल का है, १९६६ तो अभी शुरू हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आप संख्या बता सकते हैं कि कितनी संख्या होगी?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह भी बताना मुश्किल है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी इस सदन में व्यवस्था हो चुकी है कि जब किसी प्रश्न को आप स्वीकार कर लें और सरकार स्वीकार कर ले तो उसका उत्तर मिलना चाहिये। यह प्रश्न आज ही नहीं, कई बार इस सदन में उठाया गया।

हमेशा सरकार ने इसको टाला और जानबूझकर टाला है और मेरी समझ से जहां पर इस प्रकार का प्रश्न होता है वह प्रीविलेज का प्रश्न बनता है। इसलिये मैं इसे उठाता हूं क्योंकि मंत्री जी इसे बताने को तैयार नहीं हैं कि कितने लोगों को परमिट दिये गये और किन किन सदस्यों को दिये गये। उनके पास लिस्ट इसकी रहती है, कोई जिले से सूचना एकत्र नहीं करनी है, इस सबसे स्पष्ट है कि मंत्री जी जानबूझकर इसे नहीं बताना चाहते हैं। इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप मंत्री जी को यह डाइरेक्शन दें कि वह सदन को बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

सन् १९३७ के जो टंडन जी के इस संबंध में निर्णय हैं, वह कहिये तो मैं पढ़कर सुना दूं।

कुछ सदस्य—

नहीं नहीं, आप इस पर अपनी स्पष्ट व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आप मंत्री जी को आदेश देंगे?

श्री अध्यक्ष—

नहीं नहीं, मैं विचार करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस संबंध में विचार करूंगा।

कैनाल डिवीजन बांदा से ओवरसियरों का हटाया जाना

*१०—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि कैनाल डिवीजन बांदा के कुछ ओवरसियरों को २८ फरवरी को १ माह की नोटिस देकर नौकरी से निकाला जा रहा है? यदि हां, तो क्या उनमें लगभग १२ साल से उक्त पद पर काम करने वाले, लोक सेवा आयोग से मान्यता प्राप्त तथा स्थायीकरण हेतु नामजद लोग भी हैं? तो उनके नाम क्या हैं और उनको नौकरी से अलग करने का कारण क्या हैं?

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

(हंसी और व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इधर दो-तीन हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि सिंचाई विभाग से सूचनायें एकत्र की जा रही हैं, के आधार पर बहुत प्रश्न स्थगित हो रहे हैं। मैंने एक मर्तबा यह अवश्य संकेत किया था कि कभी कभी सूचना एकत्र होते हुये भी पूरी न होने के कारण उत्तर देने में कठिनाई होने लगती है। लेकिन सिंचाई विभाग के संबंध में ऐसी स्थिति प्रायः आ रही है। इसलिये आप इस पर कृपया ध्यान रखें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, बात यह है कि बहुत से सवाल के उत्तर आ भी जाते हैं, लेकिन यदि वे हमारे स्तर के नहीं होते हैं यानी जिनसे हमें संतोष नहीं होता है, क्योंकि हम सदन को पूरी पूरी सूचना देना चाहते हैं, तो इसलिये कभी-कभी जिले से फिर दुबारा सूचना मंगानी पड़ती है। इसलिये थोड़ी दिक्कत हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी जो कह रहे हैं, उससे पूरी सहानुभूति रखते हुए भी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपने विभागीय अधिकारियों को सावधान कर दें कि यदि सूचना इस प्रकार आती है जो अपूर्ण और असंतोषजनक होती है और माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट नहीं कर पाती है, तो यह बात नाकाबिले बरदाश्त होगी।

(विरोधी पक्ष में हर्ष ध्वनि)

विजयनगर कालोनी में नलकूप की आवश्यकता

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत, तहसील पूरनपुर के अन्तर्गत विजयनगर (कोठिया गोदिया) कालोनी की जमीन बहुत ही ऊंची है और उसमें सिंचाई का कुछ भी साधन नहीं है? यदि हां, तो क्या वहां शीघ्र ही नलकूप लगाने की कृपा करेंगे जिससे हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सूचना अभी तक एकत्रित नहीं हो पाई है।

श्री मंगल देव—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि वह बसे हैं, आबादी है और सरकार ने अपनी स्कीम के अन्दर सैकड़ों एकड़ घेर लिया है तो सिंचाई की यदि व्यवस्था नहीं होगी तो सरकार की बसाने की स्कीम का क्या होगा?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर ट्यूबवेल बन नहीं सकते हैं, नहरें वहां कोई आ नहीं सकती हैं। उसके बाद भी हमने कोशिश की लेकिन विभाग का यह विचार रहा है कि हम कोई साधन वहां लगा नहीं सकते हैं।

हमारे विभाग की यह राय है कि विभाग वहां कोई साधन लगा नहीं सकता।

श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि वहां वाटर लेविल कितनी दूर पर है और कितने फुट पर आप का ट्यूबवेल लग सकता है?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

वहां चूंकि नमी रहती है, साधारणतया ऐसा लेविल नहीं है जहां नलकूप लग सकें। दूसरे वह क्षेत्र कटा-पिटा रहता है। नलकूप वहां लग सकता है जहां नालियां बन सकें। यह क्षेत्र ऐसा है जहां नलकूप नहीं बन सकता और कोई ऐसी योजना वहां है नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

घाटमपुर तहसील में किसानों ने ट्यबवेल के लिये पसा जमा किया लेकिन इंजीनियरों ने कहा कि ट्यूबवेल नहीं बन सकता लेकिन वहां के किसानों ने ट्यूबवेल बना कर दिखला दिया है। इसलिये ऐसे जवाब बड़ी असुविधा पैदा कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह घाटमपुर तहसील किस जिले में है?

श्री ज्वाला प्रसाद—

मेरा कहना यह है कि इंजीनियरों ने कहा कि ट्यूबवेल नहीं बन सकता लेकिन किसानों ने बना कर दिखला दिया और उनकी बात गलत हो गयी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

वाटर लेविल जिला बुलन्दशहर में स्वयं बहुत ऊंचा है वहां हजारों ट्यूबवेल मौजूद हैं । इसलिये क्या माननीय मंत्री जी वाटर लेबिल का मामला साफ करेंगे ? वाटर लेविल का बहाना बिलकुल गलत है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आगे सवाल आयेगा तब मैं जवाब दूंगा ।

श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम लोग जो प्राइवेट ट्यूबवेल लगाते हैं वह दो प्रकार के होते हैं एक तो जाली डालते हैं, उससे पानी लेते हैं, दूसरे जहां पर कैविटी फार्म हो जाती है वहां भी ट्यूबवेल अच्छी तरह से काम करती है । तो जैसा बतलाया कि वाटर लेबिल ऊपर है, तो कैविटी का ट्यूबवेल लगाना वहां संभव होगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वहां नशेब जमीन है । जो सरकारी ट्यबवेल लगे वे बहुत कम चलते हैं । माननीय मुमताज मुहम्मद खां को मालूम है उस इलाके का ट्यूबवेल नहीं चला वह उखाड़ लिया ।

श्री मंगल देव—

सम्पूर्णनगर योजना के अन्तर्गत वह कालोनी बसायी गयी है और सरकार की ओर से २५ क्वार्टर बनाये गये हैं वहां वर्षों से लोग रह रहे हैं और यथाशक्ति खेती कर रहे हैं । वहां दो वर्षों से पानी नहीं बरसा और वहां फसल नहीं हुई । इसलिये मैंने सवाल किया कि सरकार क्या सिंचाई की स्कीम रखती है । अगर वहां सिंचाई का प्रबन्ध नहीं हो सकता तो क्या सरकार उस स्कीम को वहां से खत्म करने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वहां गन्ना काफी होता है । इस साल पानी कम हो गया इसलिए दिक्कत हो गई । उस एरिया में जो ट्यूबवेल लगाये थे वे अच्छी तरह चले नहीं । वहां से ट्यूबवेल हटाने पड़े । जब ऐसी बात है तो नये ट्यूबवेल लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

श्री ऊधल—

मंत्री जी का कहना है कि वहां ट्यूबवेल नहीं बन सकते । तो क्या सरकार उनको सहायता देगी जिससे वे पक्के कुयें बनवा लें और बिजली दे देगी जिससे उनका सिंचाई का साधन हो जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वह तो हमारी स्कीम में है कि लोग अपने ट्यूबवेल बनवायें ।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

जहां सरकार ट्यूबवेल नहीं लगा सकती क्या वहां पक्के कुयें बनवाकर पंपिंग सेट्स अपनी तरफ से लगवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जो हमारी स्कीम्स हैं उन्हें आप हमारी किताबों में पढ़िये, उसमें बड़ी सुविधायें दी हुई हैं।

*२—श्री दौलतलाल—[९ वें शुक्रवार के लिए प्रश्न सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में नलकूपों की नालियां

*३—सर्वश्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६५ से दिसम्बर, सन् १९६५ के बीच राज्य सरकार ने किसी समय ऐसे आदेश प्रसारित किये थे कि जिन-जिन राजकीय नलकूपों की नालियां खराब हैं उन्हें अविलम्ब ठीक कराया जाय ताकि किसानों को सिंचाई में सुविधा हो सके? यदि हां, तो सरकार उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

*सर्वश्री महरामसिंह तथा सुरेंद्र विक्रम—

*४—क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में कितने और किन-किन राजकीय नलकूपों की नालियां सितम्बर, १९६५ से लेकर दिसम्बर सन् १९६५ तक ठीक कराई गयीं?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९० पर)

*५—सर्वश्री महरामसिंह तथा सुरेंद्रविक्रम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि फर्रुखाबाद जिले में इस समय भी बहुत से राजकीय नलकूप ऐसे हैं जिनकी नालियां बहुत ही खराब हालत में हैं? उनकी मरम्मत न कराये जाने के क्या क्या कारण हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस समय केवल ३२ नलकूपों की नालियां खराब हैं।

श्री महरामसिंह—

जब प्रदेश भर में इस वर्ष की स्थिति रही तो फिर जुलाई से सितम्बर तक ऐसे आदेश जारी न होने के कारण हैं जिनमें यह होता है कि नालियां जल्दी ठीक करा दी जायं?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

सरकार ने आदेश दिये। डाइरेक्टरेट से आदेश गये और ट्यूबवेल्स चले भी और इस साल पारसाल से दुगुने से भी ज्यादा चले हैं और कहीं कहीं तो तिगुने चौगुने से भी ज्यादा चले हैं।

श्री महराम सिंह—

श्रीमन्, प्रश्न संख्या ५ के प्रथम भाग का उत्तर तो ३२ दिया गया है लेकिन उनके खराब होने के कारण नहीं बताये गये हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस वक्त कटाई के कारण मजदूर नहीं मिल रहे हैं। जहां गेहूं की कटाई खत्म हुई हम उनको ठीक करा देंगे। छोटे-मोटे नलकूपों को ठीक भी करा दिया है लेकिन इनमें दिक्कत यह पड़ी कि पानी की आवश्यकता उस वक्त थी इसलिये नलकूप बन्द करके मरम्मत करने की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इन खराब नलकूपों को कटाई खत्म होने के साथ ही मरम्मत करवा दी जायगी।

श्री सुबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

मेरा अनुभव है और निश्चित मत है कि इन नालियों की मरम्मत में फर्स्ट क्लास ईंटों के स्थान पर थर्डक्लास ईंट और सीमेंट के स्थान पर बालू लगने के कारण ये हमेशा खराब रहती है और हमारे फर्रुखाबाद जिले में तो यह मेरा पूर्ण अनुभव है। तो क्या सरकार जांच करायेगी कि जो शिकायतें आती रहती हैं, वे सही हैं, वह क्यों होता है और जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारे पास जब शिकायतें मिलती रहती हैं वहां हम ऐक्शन लेते रहते हैं। हमने ट्यूबवेल आपरेटर्स को सस्पेंड भी किया है निकाला भी है। अगर कोई खास शिकायत आपके यहां है तो हमें बताइये हम जरूर जांच करायेंगे और ऐक्शन लेंगे। हमारा तो काम ही यही है।

श्री होरीलाल यादव—

क्या मंत्री जी इस प्रकार के स्पेशल आदेश जारी करेंगे कि फर्रुखाबाद के ३२ नलकूप शीघ्र ही ठीक कर दिये जायं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि नलकूप नहीं, नालियां खराब हैं।

मेरठ जिले में नलकूप

*६—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में अप्रैल, मई जून, १९६५ में सरकारी नलकूप एक सप्ताह में औसतन कितने घंटे चले?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

लगभग ९९ घंटे प्रति नलकूप।

श्री मूलचन्द शास्त्री—

सप्ताह में १६८ घंटे होते हैं उन में यह ९९ घंटे ही चले। इसका कारण क्या है? ट्यूबवेल ठीक नहीं थे या गांव वालों ने पानी ही नहीं लिया?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अप्रैल में पानी कम लिया जाता है। इस के अलावा बिजली की भी कमी थी और कहीं कहीं पर मशीनरी भी खराब हो गयी थी।

श्री मूलचन्द शास्त्री—

यह बात, श्रीमन्, मुझे कुछ अजीब लगी कि अप्रैल में पानी कम लिया जाता है क्योंकि सारी ईख फरवरी और मार्च में बोयी जाती है। यह सब मुझे संदिग्ध सा मालूम देता। दूसरे यह मैं जानना चाहता हूं कि यहां ट्यूबवेल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी देर चले?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

५८० अप्रैल में चले, ५८६ मई में और ५८७ जून में चले।

श्री विजय पाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इस हाउस को यकीन दिलायेंगे कि जहां कुयें बन्द रहे वह इस कारण से बन्द रहे कि एक तो आप ने बिजली बन्द कर दी, दूसरे कुआं खराब हो गया इसलिये कि अगर आप बरसात में भी मेरठ और मुजफ्फरनगर में २४ घंटे कुंआ चलायें तो काश्तकार उसे बन्द कराने के लिये तैयार नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि वे कुयें अप्रैल, मई और जून में बन्द नहीं किये जायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह आश्वासन मैं दे नहीं सकता इसलिये कि बहुत सी दिक्कतें होती हैं। बिजली की इस साल कुछ कमी थी। उस पर लोड ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा हमारी मशीनें ठीक नहीं थीं। नदियों में पानी भी कम हुआ था और इन बहुत सी चीजों पर हमारा कोई वश नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त माथर—

क्या माननीय मंत्री जी पिछले साल से सबक ले कर कि आइंदा नदियों में पानी आने की संभावना कम है इस बात को ध्यान रखते हुए कोशिश करेंगे कि नलकूप अपनी पूरी क्षमता से चलें ताकि किसानों को नुकसान न हो ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

हम इस बात के लिये निरंतर प्रयत्नशील हैं और इस के लिये ही हमने एक अलग डाइरेक्टोरेट खोल दिया है। वह हमारे ट्यूबवेलों की ज्यादा देखरेख रखता है।

सुल्तानपुर जिले के एक गांव में बोरिंग की व्यवस्था के लिए प्रार्थना

*७—श्री अब्दुल समी (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार सुल्तानपुर जिले की सिंचाई की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर असरौला गांव में बोरिंग का काम पूरा कराने के लिये कम से कम दो मशीनों की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सुल्तानपुर जिले में असरौला नाम का गांव कोई नहीं है। परन्तु असरोगा नाम का गांव अवश्य है जहां पर एक नलकूप लगाने का प्रस्ताव है तथा वहां एक रिग मशीन भेजी जा रही है।

श्री अब्दुल समी —

मेरा निवेदन है कि मेरा प्रश्न और उत्तर पढ़ दिया जाय ताकि स्थिति साफ हो जाय।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक गांव है और उसमें एक ट्यूबवेल हम भेज रहे हैं वहां दो एक साथ काम नहीं कर सकते।

श्री अब्दुल समी—

सवाल यह था कि उस से मिले हुए गांव में बोरिंग है और तमाम सामान एक गांव में इकट्ठा हो गया था। लेकिन बोरिंग की मशीन भी एकाएक गायब हो गयी और दूसरा सवाल इस सिलसिले में यह था कि जो ट्यूबवेल हम को मिला है उसमें कब बोरिंग होगी, लेकिन हम को जवाब यह दिया कि असरौला गांव कोई है ही नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि जब वहां पर तमाम सामान मुहैया हो चुका था तो एकाएक मशीन वहां से क्यों हटा ली गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सवाल तो बोरिंग की व्यवस्था करने के संबंध में था और उसका उत्तर दे दिया गया है कि हमने बोरिंग की व्यवस्था करने के लिये कह दिया है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या यह सही है कि हरदोई जिले के १० नलकूपों में से ५ इसलिये काट दिये गये क्योंकि सुल्तानपुर में साल भर से बराबर काम चल रहा था और मशीनें वहां लगी हुई थीं, यदि हां तो यह बेइंसाफी क्यों हुई ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

सरयू नहर योजना

*८—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरजू नहर योजना कार्य कब से शुरू होगा और इस कार्य के लिये कितना धन व्यय होगा और योजना को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ? और किन-कौन कौन जिले लाभान्वित होंगे, कितने एकड़ भूमि सिंचित होगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह योजना कार्यान्वित होगी या नहीं यह प्रश्न अभी अंतिम रूप से निश्चित नहीं हुआ है। अतएव प्रश्न में उठाये गये विषयों पर इस समय कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

*९—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरजू नहर योजना का सर्वे का कार्य अंतिम रूप से स्वीकार हो चुका है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

*१०—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सत्य है कि जनपद गोंडा में उपरोक्त सरजू नहर के कारण गोंडा तहसील में चकबन्दी का कार्य कुछ हिस्सों में रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, क्योंकि नहर निकलने के बाद सिंचाई के आधार पर जमीनों की मालियत में बड़ा अन्तर हो जाता है और इसके पहले की हुई चकबन्दी बहुत से किसानों के लिये हानिकर सिद्ध हो सकती है।

श्री गंगा प्रसाद—

यह योजना सन् १९५७ में शुरू हुई थी और इसका कुछ सर्वेक्षण भी हो चुका है और कई लाख रुपया खर्च भी किया जा चुका है। चीन की लड़ाई के समय इसको रोक दिया गया था। तो क्या सरकार यह बतायेगी कि यह योजना लाभप्रद है या घाटे की है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पहले थोड़ा सा सर्वेक्षण हुआ था। यह एक बहुत बड़ी योजना है। इसको हमने विद्युत् आयोग को भेजा था, उन्होंने कहा कि इस योजना को बनाने से पहले कृषि विभाग से भी पूछ लिया जाय कि वे उतना पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। फिर

कृषि विभाग के पास इसको भेजा । उनकी रिपोर्ट आने पर सेंट्रल वाटर कमीशन को भेजा जायेगा । फिर योजना आयोग से अगर इसके लिये पैसा मिलेगा तभी इसको लिया जायेगा । यह सब अभी दिक्कतें हैं ।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी जो योजना घाटे की है वहां पर ट्यूबवेल लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वहां पर जितने विधायक हैं अगर वे सब मिलकर कह दें तो हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि सरयू नहर की योजना का लम्बा इतिहास है । मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि जब योजना के कार्यान्वियन में इतनी बाधायें थीं—जब अभी उसमें कृषि विभाग से राय लेनी है—तो उस समय जल विद्युत् आयोग ने क्यों मंजूरी दे दी थी और क्यों काम शुरू कर दिया गया था ? इसकी जिम्मेदारी किस पर माननीय मंत्री जी ठहराते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

सर्वे के लिये इस योजना में एक करोड़ रुपया था और बगैर सर्वे के कोई स्कीम चलती नहीं है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

इस योजना को चालू हुए करीब करीब दस साल से ज्यादा हो रहा है । जब पहिली बार स्कीम आई थी तो स्कीम को अच्छी तरह से टैक्नीकल कमेटी ने जांचा था और उसके बाद कार्यवाही शुरू की थी और इस योजना के अन्तर्गत ऐसा समझा गया था कि गोरखपुर, बहराइच वगैरह के जिलों में बाढ़ भी रुकेगी और पानी सिंचाई के काम में लाया जाय और सैन्ट्रल पावर ने भी इसकी मंजूरी दी थी कि योजना का सर्वेक्षण किया जाय । उसके अन्तर्गत सर्वेक्षण शुरू हुआ । उसके बाद वह कैन्सिल हुआ । उसके बाद वह फिर शुरू हो गया । और आज भी चकबन्दी के अन्तर्गत जो योजना ली जा रही है वहां पर कोई काम करने की मंजूरी नहीं दी जा रही है । तो क्या मंत्री जी इस योजना की उपयोगिता को देखते हुये इसकी पुनः जांच करायेंगे कि कौन से कारण उत्पन्न हो गये जिसकी वजह से आप कहते हैं कि यह योजना अनप्रोडक्टिव हो गई है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह बात तो आप भूल गये । वह तो गंगाप्रसाद जी कह रहे हैं ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय गंगाप्रसाद जी के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि यदि सभी माननीय विधायक लिखकर दे दें तो वे विचार करेंगे । तो क्या यह राशन की दूकान है जो लिखकर दे दें तो हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात नहीं है ।

*११—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२—श्री जगदीश प्रसाद पांडेय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटा दिया गया ।]

राप्ती बाढ़ योजना

*१३—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर नगर रक्षा के लिये बने राप्ती के किनारे के मनौली बांध को उस नदी के बायें किनारे-किनारे देवरिया जिला के गायघाट मदनपुर तक बंधवाने की जो योजना है उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जावेगा तथा उसका निर्माण कब तक समाप्त हो जावेगा और कुल लागत क्या पड़ेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस योजना पर अभी प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो रहा है, अतः यह बताना संभव नहीं है कि इस पर कार्य कब आरम्भ होगा कब समाप्त होगा और इस पर कितना व्यय होगा।

*१४—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि राप्ती की बाढ़ को कम करने के लिये बहराइच जिला के नानपारा के सामने काकरदरी से राप्ती के पानी को घाघरा में १६ मील लम्बी नहर बनाकर डालने की योजना है ? यदि हां, तो इस पर कब से अमल किया जावेगा ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह योजना बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्वीकृति के बिना अब तक रुकी हुई थी और ऐसा सदन में आपका आश्वासन था पर उसके बावजूद भी इस योजना को झगड़े में डालने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो रहा है। जब तक प्रारम्भिक सर्वेक्षण नहीं होता तब क्या बात है।

श्री चन्द्रबली सिंह—

सर्वेक्षण हो चुका था और उसमें कितनी लागत लगेगी यह भी निश्चित हो चुका था। सिर्फ बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्वीकृति बाकी थी। सर्वेक्षण में फिर ले जाने का क्या कारण था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी इसका सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री उग्रसेन—

गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र के बचाव के लिये कुनौली बांध है जिससे टकराकर पानी दूसरी तरफ जाता है। इसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमारा विभाग देखता रहता है कि नदियां ज्यादा कटाव न करें। जितना धन हमको मिलता रहता है उससे बचाव का प्रयास भी करते रहते हैं।

श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब मनौली बांध, राप्ती के पूर्वी बांध को बांधने की मंजूरी नैपाल से नहीं हो सकी तो उसके बाद सरकार की तरफ से कोई दूसरी योजना राप्ती की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिये नीचे के इंजीनियरों से मांगी गयी थी और उन्होंने नानपारा के सामने राप्ती के पानी को काटकर घाघरा में मिलाने की योजना भेजी ? उसकी हालत क्या है और क्या सरकार उसे चालू करने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट बतावेंगे कि जब हम लोगों की यह राय है और गोरखपुर के सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनिर ने योजना दी थी कि अगर जलकुंडी योजना के अभाव में १६ मील का टुकड़ा काटकर राप्ती का घाघरा में मिला दिया जाता है तो उससे बस्ती, गोरखपुर, बहराइच गोंडा इत्यादि की लाखों एकड़ जमीन बच जायगी, तो उनके इस सुझा को सरकार न क्यों नहीं माना ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हम अपने इंजीनियर्स से कहेंगे कि आपकी राय पर भी गौर करें।

स्याना क्षेत्र में नलकूप लगाने के लिए सर्वेक्षण

१५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम योजना, झांया (विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर) के किसानों के अनेक प्रार्थना-पत्र उक्त गांव में नलकूप लगाने के लिये अधिशासी अभियन्ता, नलकूप डिवीजन, बुलन्दशहर को सन् १९६५ में बारम्बार मिले हैं ? यदि हां, तो नलकूप लगाने के लिये उक्त क्षेत्र में कब सर्वेक्षण कराया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। उक्त क्षेत्र में नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण सन् १९६३ म प्रथम बार हुआ था तथा सन् १९६५ में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण विभाग के अधीन एवं जिलेदार द्वारा किया गया तथा ३ फरवरी, १९६६ को सहायक अभियन्ता ने भी निरीक्षण किया। विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

*१६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशह के ग्राम मूड़ी बकापुर में जहां १,५०० एकड़ भूमि खाली है सरकारी ट्यूबवेल लगाने के एक प्रस्ताव को मुख्य अभियन्ता, सिंचाई ने सन् १९६५ में केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि वहां ट्यूबवेल के निर्माण पर साधारण लागत से दस हजार रुपया अधिक लागत का अनुमान है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उक्त क्षेत्र में खाकी भूमि ९८२ एकड़ है न कि १५०० एकड़। वहां नलकूप लगाने के प्रस्ताव को इसलिये अस्वीकृत किया गया था कि उक्त क्षेत्र तितर-बितर है। बीच-बीच में ऊसर भूमि है उस क्षेत्र में जलस्तर भूमि से वह २० फीट नीचे है एवं पानी के बहाव हैं जिसके कारण नलकूप निर्माण पर औसत लागत से लगभग १०,६०० रुपये अधिक लगने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त दो मील से अधिक पक्की गूलें बनानी होंगी जिस पर ५००० रु० और लगेगा

*१७—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि नलकूप डिवीजन, बुलन्दशहर ने सन् १९६४ में मुख्य अधियन्ता से यह अनुरोध किया था कि ग्राम मूंडी बकापुर (स्याना, बुलन्दशहर) में नलकूप बनाया जाय ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

जी नहीं। अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड बुलन्दशहर ने मुख्य अभियन्ता, सिंचाई की उक्त क्षेत्र में नलकूप लगाने के प्रस्ताव पर केवल अपना प्रतिवेदन भेजा था।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि प्रश्न १५ का विषय एक है और १६ व १७ का दूसरा है, तो पहले १५ का उत्तर सदन को मिल जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले १५ के बारे में सवाल कर लें, बाद में १६ व १७ पर कर लें ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

बावजूद इसके कि वहां सर्वेक्षण और निरीक्षण भी हुये, वहां के अभियंताओं ने मेरे जिले के संबंध में जो सुचना माननीय मंत्री जी को दी उसमें उन्होंने बतलाया कि वहां गहरे नाले हैं जिससे वह क्षेत्र कई हिस्सों में बंटा हुआ है । क्या उन्होंने वे गहरे नाले स्वप्न में देखे थे जबकि वास्तव में वहां एक भी नाला नहीं था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

माननीय सदस्य की बात मानकर टेक्नीकल एडवाइजर को वहां भेजा था । उनकी रिपोर्ट आ गई है डिटेल्स सर्वे के लिये । टोपोग्राफी सर्वे होता है, उसका नक्शा बनाने को भी कह दिया है । उसे आपके सामने रख देंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

अधिकारियों ने वहां सर्वेक्षण करके भत्ता लिया, तो क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन दिया जिसमें नाले दिखाये हैं ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

रिपोर्ट आने पर आपके सामने रख देंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि वहां नलकूप लग जायगा, क्या उसका पालन हुआ ?

श्री गिरधारी लाल—

एक प्रश्न का जवाब जब माननीय सदस्य ने चैलेंज किया था तो मैंने उन्हें बुलाया था । उसकी टोपोग्राफी देखने के बाद मैंने नये सिरे से आदेश दिये हैं जिसकी सूचना माननीय सदस्य को भी दी थी । ट्यूबवेल बनवाने का वायदा नहीं किया था ।

श्री विजय पाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कोई भी ट्यूबवेल तब तक नहीं लगता जब तक जिलेदार, अमीन या सिंचाई विभाग के अधिकारियों को हजार, डेढ़ हजार रुपया नहीं दे दिया जाता है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

हमने इसी के लिये विजिलेंस कमीशन की स्थापना की है । अगर खास तौर से आप हमें कोई केस देंगे तो हम उसकी जांच जरूर करायेंगे ?

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी वजह बतलायेंगे कि जिस जगह इंजीनियर साहबान ट्यूबवेल लगाने के लिये पहले मना कर देते हैं फिर वहीं क्यों लगा दिया जाता है ?

श्री गिरधारी लाल—

अगर आप कोई स्पेसिफिक नाम को बतायेंगे कि तो जांच करके बता दिया जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि लिख कर दिया जाता है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती । मैंने ५–४ शिकायतें मा० मुख्य मंत्री को दीं, ३ वर्ष हो गये लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । क्या आप सरकार को ऐसे आदेश देंगे कि जो आश्वासन दिये जाते हैं उनकी पूर्ति करें ?

श्री अध्यक्ष—

जो भी आश्वासन इस आदरणीय सदन में दिये जाते हैं तो उनकी जांच आश्वासन समिति करती है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जब आपके सामने आश्वासन दिया जाता है तो कहा जाता है कि लिख कर दीजिये तो जांच करा लेंगे लेकिन जब लिख कर देने पर भी दो तीन साल तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती और जब यह सदन खत्म हो जाता है तो इस सरकार से कौन पूछेगा ?

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में कोई निश्चित प्रश्न सदन में आना चाहिये । तब हम उसको देख लेंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या ऐसे भी नलकूप लगाये गये हैं जिनके ऊपर औसत से अधिक व्यय हुआ है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

हर स्थान पर हर ट्यूबवेल की अलग-अलग लागत होती है ।

श्री जे० पी० मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिला बुलन्दशहर और प्रदेश के दूसरे जिलों में उनकी ट्यूबवेल के निर्माण नियम में कोई भेद है ? कहीं तो जिला परिषद् की सिफारिशों को ठोकर मार दी जाती है कहीं एक सदस्य के कहने या उसके दरख्वास्त देने पर सर्वेक्षण व निरीक्षण करवा दिया जाता है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि सामूहिक रूप से या जिला परिषदों के कहने से जरूर किसी को प्राथमिकता मिल जाती है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

इस बात को देखते हुये कि सदन में जो आश्वासन दिये जाते हैं वह पूरे नहीं होते जिला परिषदों के सुझाव भी नहीं माने जाते हैं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि वह ऐसे निकम्मे मंत्री को निकाल दें जो सरकार का काम भी नहीं चला सकता ?

श्री अध्यक्ष—

इसलिये कह रहे हैं कि आप कोई स्पेसिफिक बात बतायें.....

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जनता के सामने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वे खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे तो जब उन्होंने जिम्मेदारी ली है फिर....

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल कर रहें हैं या बहस कर रहे हैं ?

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी सरकार खाद्य के मामले में जिम्मेदारी ले रही है और दूसरी ओर हमारे माननीय मंत्री जी ऐसा कह रहें हैं.....

श्री अध्यक्ष—

यह कोई सवाल नहीं है। अगर सवाल करना है तो सवाल कीजिये। बाद में आप सवाल कर लें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस नलकूप के संबंध में सन् ६५ में जिला सिंचाई समिति ने सरकार से अनुरोध किया था कि इस को बनाया जाय और यदि उन को यह मालूम नहीं है तो मेरी सूचना को आधार मानकर क्या मंत्री जी वहां अधिक लागत लगने पर भी नलकूप का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

अभी उत्तर तो हो जाय प्रश्न का।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं वह सही होगा लेकिन जहां तक इस नलकूप की बात है उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं और उसके बाद ही कुछ हो सकेगा।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

सदन में सभी सदस्य अपने प्रश्नों की पृष्ठभूमि में सवाल करते हैं और जब मैं प्रश्न कर रहा था तो आपने कहा कि जल्दी प्रश्न कीजिये, इस तरह के बरताव के विषय में मुझे व्यवस्था उठाना है कि आपने सवाल करने का मौका दिया और जब मैं सवाल कर रहा था तो आपने सवाल करने से रोक दिया, मैं समझता हूं कि यह मेरे साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष—

मुझे बड़ा अफसोस है अगर आप को ऐसा ख्याल हुआ, आप भाषण दे रहे थे। मैं आप से चाह रहा था कि अगर प्रश्न हो जाय तो अच्छा है, अगर आप को दुख हुआ तो मुझको अफसोस है।

*१८-१९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[आश्वासन समिति के विचारार्थ होने के कारण हटा दिये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न १७ के बाद प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

विकास खण्ड, पटियाली में बहोटा नाला पर पुल की मांग

*२०—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम रहटा बुजुर्गनगर, विकास खंड पटियाली, जिला एटा की आबादी के बीच में से होकर विभाग का बहोटा नाला गुजरता है जिस पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को बहुत तकलीफ होती है तथा प्रति वर्ष २–४ बच्चे डूब कर मर जाते हैं ? यदि हां, तो क्या अविलम्ब उस पर पुल बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। आबादी के पास उक्त नाले पर कोई पुल नहीं है। सन् १९६३ में २ बच्चे तथा सन् १९६४ में एक बच्चे की नाले में डूबने से मृत्यु हुई। वहां पर पुल बनवाने के विषय में विचार किया जा रहा है।

सैयद कौसर अखतर रिजवी, सहायक अभियन्ता, नलकूप खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

*२१—श्री भीमा प्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री दिनांक १ फरवरी, १९६६ के तारांकित प्रश्न संख्या २६ और २७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के अतिरिक्त और किन-किन व्यक्तियों का आवेदन-पत्र उन्हें मिला है और उसकी जांच किस अधिकारी को दी गई और जांच अधिकारी ने प्रार्थियों के बयान, साक्ष्य आदि लिये कि नहीं ? तथा जांच अधिकारी ने संबंधित कामों की सरकारी फाइल को देखा है कि नहीं ?

श्री गिरधारी लाल—

विधायकों के अतिरिक्त सर्वश्री विक्रमराय, नर्वदेश्वरलाल, दिलीपचन्द्र, राजबहादुर सिंह, श्यामदेव, खरपत, राम लखन सिंह तथा गोरखनाथ सिंह के आवेदन-पत्र प्राप्त हुये। श्री विक्रम राय का पत्र, जो श्री सुरजन राम, विधायक, द्वारा अग्रसारित किया गया था, प्राविधिक परीक्षक को जांच के लिये भेजा दिया गया। इस सम्बन्ध में प्राविधिक परीक्षक ने श्री सुरजनराम से साक्षात्कार भी किया।

शेष आवेदन पत्रों की जांच अधिशासी अभियन्ता, आजमगढ़, को सौंपी गयी। सर्वश्री नर्वदेश्वर लाल, रामलखन सिंह, व गोरखनाथ सिंह के आवेदनपत्रों की जांच पूर्ण हो चुकी है। श्री खरपत को अधिशासी अभियन्ता ने जांच के संबंध में बुलवा कर उनका बयान ले लिया है। सर्वश्री दिलीप चन्द्र राजबहादुर सिंह, व श्यामदेव यादव को जांच के संबंध में रजिस्टर्ड पत्र द्वारा बुलाया गया था, पर वे उपस्थित नहीं हुये। अतः उन के आवेदन पत्रों पर जांच पूर्ण नहीं हुई है। जांच अधिकारी ने जांच के समय अपने कार्यालय के कागजों की फाइल को देखा है।

*२२—श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियर का तबादला कब और किन-किन शिकायतों के कारण किया गया था तथा किस अधिकारी की सूचना पर मालूम हुआ कि श्री रिजवी घाघरा बाढ़ नियन्त्रण कार्य में लगे हैं एवं नियुक्त हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

सहायक अभियन्ता श्री रिजवी के स्थानान्तरण के आदेश २६ अगस्त, १९६५ को दिये गये थे। बाद में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप डिवीजन, आजमगढ़ द्वारा यह सूचना दी गयी कि श्री रिजवी घाघरा बाढ़ नियन्त्रण कार्य में नियुक्त हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १९१–१९२ पर।)

बुरा गांव को बेतवा नहर से पानी

*२३—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ललितपुर, जिला झांसी बेतवा नहर से बुरा गांव बन्धो, परगना बानपुर, जिला झांसी में २ वर्ष पूर्व सिंचाई के योग्य बनाया गया ? यदि हां, तो उक्त नहर का पानी ग्राम बुरा गांव इत्यादि में कब से दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ—बुलन्दशहर मार्ग पर गलत परमिट तथा स्टेट ट्रान्सपोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें

*२४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको कोई ऐसी शिकायत वसूल हुई थी कि मेरठ रीजन में एक सवारी गाड़ी का परमिट मेरठ–बुलन्दशहर रूट पर एक मुर्दा आदमी श्री ई० एन० डेनयल के नाम में जारी हुआ और उसको छुपाने की गर्ज से बाद में किसी दूसरे के नाम में तबदील करा दिया ? अगर ऐसी शिकायत मिली थी तो सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ऐसी शिकायत परिवहन अधिकारी मेरठ, व परिवहन आयुक्त को मिली । प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी व स्टेट ट्रांस्पोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल अर्धन्यायिक निकाय हैं । परमिट देने व उसके हस्तान्तरण के बारे में उनके कार्य में शासन द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

*२५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त कितने अपील स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में पेन्डिंग हैं और वह किस-किस साल के हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस समय स्टेट ट्रांस्पोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल में ९८२ अपीलें अवशेष (पेंडिंग में) हैं जिनका वार्षिक विवरण निम्नलिखित है :—

१९६२	९६
१९६३	१०२
१९६४	२१७
१९६५	४७०
१९६६	९७

२८–२–१९६६ तक ।

*२६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने अपील स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में बगैर नम्बर पर आये हुये तय किये जब कि उनसे पहले के अपील पड़े हुये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

२१० अपीलें बगैर नम्बर पर आये हुये भिन्न २ वर्षों में तय किये गये ।

अमौली विकास खण्ड में सिंचाई व्यवस्था

*२७—श्री राम किशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री इस तथ्य की जांच करा कर सदन को अवगत कराने का कष्ट स्वीकार करेंगे कि फतेहपुर जिले के अमौली विकास खंड के अन्तर्गत ग्राम इत्मावपुर, परसेटा, दपसौरा, मघईपुर, मवई, तिजरा, मरसा, सिकन्दरपुर, गौरी-भौंरों आदि ग्रामों में अब तक किसी प्रकार की सिंचाई संबंधी व्यवस्था नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां, यह सही है। कारण यह है कि संबंधित ग्रामों का अधिकतर क्षेत्र नदियों के कटाव की वजह से सिंचाई योग्य नहीं है, एवं पानी की कमी के कारण नहरें भी हर क्षेत्र में नहीं बनाई जा सकी हैं।

*२८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वह इस सम्बन्धित असिंचित क्षेत्र में परीक्षण के ढंग पर नलकूप लगाने पर विचार कर रहे हैं? नहीं, तो क्यों?]

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। क्योंकि इस क्षेत्र में उपयुक्त वाटर बियरिंग स्ट्रेटा (water bearing strata) मिलने की सम्भावना नहीं है।

*२९—श्री राम किशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री इस तथ्य की भी जांच करायेंगे कि सम्बन्धित असिंचित ग्रामों के बुन्देलखंड की भांति बन्धियां बनाकर सिंचाई की कमी को पूरा किया जा सके ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जा सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

बुन्देलखंड की भांति यह क्षेत्र पथरीला नहीं है। इसलिए यहां पर बन्धियां बनाना सम्भव नहीं है।

हाथिन का नलकूप

*३०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

विधान सभा के वर्तमान सत्र १९६६ के पहले मंगलवार को प्रश्न संख्या ३ के सन्दर्भ में सिंचाई मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि नलकूप रक्षक की असावधानीपूर्वक चलाए जाने के कारण हाथिन का नलकूप खराब हो गया था, अब चालू हालत में है लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक यह उत्तर सही नहीं है ? मन्त्री जी ने जिस तारीख में यह उत्तर दिया है, तो उस तारीख पर यह नलकूप खराब था ?

श्री गिरधारीलाल—

जिस तारीख को प्रश्न संख्या ३ के बारे में नलकूप निदेशक से सूचना शासन को प्राप्त हुई थी उस समय नलकूप चालू हालत में था और उसी के आधार पर पहले मंगलवार (१ फरवरी, १९६६) को उत्तर दिया गया था। यह नलकूप केवल आठ दिन पहले ही पम्प सेट के खराब हो जाने के कारण बन्द हो गया था परन्तु यह सूचना उत्तर देने के समय उपलब्ध नहीं थी। अब यह नलकूप १६-३-६६ को अपरान्ह से चालू हो गया है।

*३१—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

अगर यह सही है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत् विभाग के कर्मचारियों का वेतनक्रम

*३२—श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् विभाग के स्थायी और अस्थायी कार्यालय कर्मचारियों को वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशें लागू होंगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो उसके लिए राजाज्ञा कब जारी की जायगी?

श्री गिरधारीलाल—

वेतन अभिनवीकरण समिति ने विद्युत् विभाग के ऐसे कर्मचारी जो परिषद् में फारेन सर्विस पर हैं, उनके सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की। फिर भी समिति के अन्य समरूप अथवा अनुरूप पदों के लिए की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों के लिए वेतन-क्रम निश्चित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है और राजाज्ञा शीघ्र जारी हो जाएगी?

*३३—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश (कार्यालय) हायडिल मिनिस्टीरियल असोसिएशन के १९६४ के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए आश्वासन दिया था कि वेतन अभिनवीकरण की सिफारिशें उन्हें भी लागू होंगी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल—

वेतन अभिनवीकरण की सिफारिशें जो कि सरकार के अधीनस्थ पदों के लिए हैं उन के आधार पर विद्युत् विभाग के समरूप कर्मचारियों का वेतन-क्रम निश्चित किए जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

लखनऊ रोडवेज क्षेत्र में ए० टी० आई० का बकाया भत्ता

*३४—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ रोडवेज में फरवरी, १९६५ से जनवरी, १९६६ तक कितने ए० टी० आई० हैं जिन्हें यात्रा भत्ता नहीं दिया गया है और न देने का क्या कारण है? और कब-कब का बाकी है?

श्री मुजफ्फर हसन—

५२ ए० टी० आई० हैं। देर से बिल प्रस्तुत करने के कारण इनको अब तक भुगतान न किया जा सका।

शेष सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १९३–१९४ पर)

बाराबंकी—टिकैतनगर बस सर्विस

*३५—श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के बाराबंकी–टिकैतनगर मार्ग को राजकीय यातायात की बसें चलाने हेतु सरकारी अधिकार में करने के लिए १९६४ व १९६५ में कब-कब विज्ञप्तियां प्रकाशित की गयीं, उन पर क्या-क्या आपत्तियां प्राप्त हुईं और आपत्तियों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुजफ्फर हसन—

बाराबंकी, फैजाबाद एवं सम्बन्धित मार्गों की योजना में संशोधन हेतु उक्त वर्षों में केवल एक विज्ञप्ति २३ जनवरी, १९६५ के गजट में प्रकाशित की गई। उस विज्ञप्ति के फलस्वरूप कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

*३६—श्री गिरजा प्रसाद—

क्या उपरोक्त मार्ग को सरकार ने अपने अधिकार में लेने का आदेश दे दिया था? यदि हां, तो कब?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। मई, १९६१ में।

*३७—श्री गिरजा प्रसाद—

क्या उपरोक्त मार्ग पर सरकारी रोडवेज की बसें चलती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं। राष्ट्रीयकरण के बाद ही नियमित रोडवेज बस सेवा प्रारम्भ की जा सकेगी।

रामगंगा बांध निर्माण

*३८—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि रामगंगा बांध का निर्माण कब प्रारम्भ किया गया था तथा कितनी लागत का अनुमान लगाया गया था?

श्री गिरधारीलाल—

रामगंगा योजना पर प्रारम्भिक कार्य तो १९६५ में ही शुरू किया गया था किन्तु निर्माण सम्बन्धी कार्य सितम्बर, १९६१ में आरम्भ हुआ। उस समय योजना की अनुमानित लागत ६७·९८ करोड़ रुपए थी।

*३९—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतलाएगी कि उपरोक्त रामगंगा बांध कब तक बन कर तैयार हो जायगा तथा अब कुल कितनी लागत लग रही है?

श्री गिरधारीलाल—

आशा की जाती है कि राम गंगा बांध पर कार्य मार्च, १९७२ तक समाप्त हो जायगा। इस समय योजना की अनुमानित लागत ८९·१७ करोड़ रु० है।

*४०—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतलाएगी कि रामगंगा बांध के तैयार हो जाने पर कितनी एकड़ सिंचाई तथा कितनी बिजली, किन-किन जिलों को मिल पावेगी?

श्री गिरधारीलाल—

रामगंगा योजना पूर्ण हो जाने पर लगभग १७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इससे १९८ मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी जो गंगा व शारदा ग्रिड में दे दी जायगी। संलग्न सूची में दिए गए जिले सिंचन सुविधा से लाभान्वित होंगे।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १९५ पर)

[१२ अप्रैल, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

महुला गढ़वाल बांध के ठेकेदारों का बकाया

*१—श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ स्थित महुला गढ़वाल बांध को बाढ़ से बचाने के सिलसिले में अप्रैल, सन् १९६३ से अब तक ठेकेदारों के कितने रुपए रोक लिए गए हैं? और क्यों?

श्री गिरधारी लाल—

कार्य की खराबी, सरकारी माल की बरबादी और कार्य को देर से पूरा करने या अपूर्ण छोड़ देने, के कारण विभिन्न ठेकेदारों के ५४,७०६ रुपए और ८४ पैसे रोके गए हैं।

बीरापुर क्षेत्र में नलकूप सर्वे

*२—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि मेरी प्रार्थना पर, जिसे अर्सा ८ या ९ महीने हुए आपके यहां मैंने दिया था, मड़ियाहूं (जौनपुर) का किसी अधिकारी ने तीन दिन तक मेरे क्षेत्र में ट्यूबवेल बनाने के लिए सर्वे किया और दस ट्यूबवेल्स का स्थान चुना, अब तक कोई कार्यवाही नहीं शुरू हुई, इस देरी का क्या कारण है?

*३—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—

यद्यपि मेरा जिला नहरी क्षेत्र कहलाता है परन्तु जिले भर में इस स्थान पर एक ट्यूबवेल है, इसी वजह से उपरोक्त दरख्वास्त दी गई, यदि किसी कारण से ट्यूबवेल्स नहीं बन सकते हैं तो फिर नहर ही यहां कब तक पहुंचाई जायगी?

श्री गिरधारी लाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई क्षेत्र, बिजनौर में जिलेदार व एस० डी० ओ० का तबादला न होना

*४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि सिंचाई डिवीजन, बिजनौर के तृतीय जिलेदारी, कांठ कितने वर्षों से वहां कार्य कर रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल—

वर्तमान जिलेदार, श्री विक्रम सिंह, अगस्त, १९६५ से सिंचाई डिवीजन, बिजनौर के तृतीय जिलेदारी कांठ में कार्य कर रहे हैं।

*५—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतायेंगे कि उक्त अधिकारी का दो बार तबादला हुआ? यदि हां, तो बाद में किन कारणों से रोका गया?

श्री गिरधारी लाल—

जी नहीं, अगस्त, १९६५ से उक्त अधिकारी का कोई तबादला नहीं हुआ।

*६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलायेंगे कि सिंचाई डिवीजन, बिजनौर में सब-डिवीजन तृतीय, मुरादाबाद के एस० डी० ओ० पांच वर्ष से वहां रुके हुए हैं? यदि हां, तो उनका तबादला क्यों नहीं किया गया?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बड़हल गंज—गोरखपुर सड़क पर बस दुर्घटना

*७—श्री ऊदल, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २० जनवरी, १९६४ को रोडवेज की बस का ऐक्सीडेंट, बड़हलगंज—गोरखपुर रोड पर गगहां के पास हुआ था? उसमें कितने लोग घायल हुए थे और उन लोगों में ड्राइवर और दूसरों को कितना कम्पेन्सेशन दिया गया और कब? यदि नहीं, तो अब तक न दिए जाने का क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां। २८ व्यक्ति, चालक तथा परिचालक सहित, घायल हुए थे उनमें से एक व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो गई। कम्पेन्सेशन देने का मामला अभी विचाराधीन है।

*८-१०—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

[१०वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*११-१२—श्री बलवानसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

*१३-१४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[८वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५-१७—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

[१०वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१८-१९—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—

(१०वें मंगलवार के लिए स्थगित किए गए।)

लखनऊ—सुल्तानपुर सड़क पर फेपर बस स्टाप

*२०—श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह भी बताएगी कि लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर चौबीसी बस स्टाप पर जो "फेपर बस स्टाप" है उसके टिकट कब से मिलना शुरू हो जायेंगे? इस समय कन्डक्टर टिकट क्यों नहीं देते?

श्री मुजफ्फर हसन—

१ अप्रैल, १९६६ से पैसेन्जर बस के लिए टिकट मिलने लगे हैं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में नलकूपों को बिजली

*२१—श्री ईश्वर शरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सन् १९६४ से दिसम्बर, १९६५ तक निजी ट्यूबवेल में बिजली द्वारा चलाए जाने हेतु बिजली देने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आए तथा कितनों को अब तक बिजली दी गई और कितने प्रार्थना-पत्र अभी बाकी हैं?

श्री गिरधारी लाल—

गोंडा जिले में सन् १९६४ से दिसम्बर, १९६५ तक निजी नलकूपों के लिए बिजली प्राप्त करने के लिए ६५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से २३ व्यक्तियों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष व्यक्तियों को कनेक्शन देना बाकी है।

*२२—श्री ईश्वर शरण—

क्या यह सत्य है कि सरकार ने सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन हेतु प्राथमिकता दे रखी है? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सरकार द्वारा निर्धारित नीति की अवहेलना गोंडा जिले के हाइडिल डिपार्टमेंट ने कितने प्राइवेट ट्यूबवेल्स के प्रार्थना-पत्रों को रोक कर कितनी चक्की तथा आरा मशीनों को कनेक्शन दिए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन प्रार्थना-पत्रों की तादाद क्या है तथा यह प्रार्थना-पत्र किन-किन तारीखों में आए तथा सरकार की योजना के विरुद्ध प्राइवेट ट्यूबवेलों को रोकने का कारण तथा चक्की व आरा मशीनों को देने का कारण क्या है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने सिंचाई हेतु बिजली देने के लिए प्राथमिकता दे रक्खी है। गोंडा जिले के हाइडिल डिपार्टमेंट द्वारा इस नीति की अवहेलना नहीं की गई?।

कोछा ग्राम को बिजली देने की प्रार्थना

*२३—श्री हरिनाथ तिवारी तथा श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कोछा, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद जिसकी आबादी २,००० की होते हुए भी गांव की आबादी को बिजली न देकर केवल एक सड़क पर ही दी गई है? इसका क्या कारण है?

श्री गिरधारी लाल—

जो सड़क पर बिजली की लाइन बनी है वह कोछा बाजार स्थान के लिए है उक्त स्थान कोछा ग्राम से दो फर्लांग की दूरी पर स्थित है और इस ग्राम का विद्युतीकरण उपयुक्त न पाए जाने से नहीं किया गया।

*२४—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[१०वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

जैंतीपुर व जलालाबाद ब्लाक में नलकूपों को बिजली देने की मांग

*२५—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अधिकारी, शाहजहांपुर ने सरकार से १२५ निजी नलकूप चालू करने के लिए जो केवल ब्लाक जैंतीपुर व ब्लाक जलालाबाद में है, बिजली की मांग शीघ्र की है जिससे शीघ्र ही इन पिछड़े इलाकों में अन्न उत्पादन बढ़ाया जा सके? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां। ब्लाक जैंतीपुर व ब्लाक जलालाबाद में विद्युत् प्रसार की योजना विचाराधीन है।

*२६—श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री केशवसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि ब्लाक जैतीपुर व ब्लाक जलालाबाद में बिजली का सर्वे सर्वश्री आर० एस० बोरा तथा जे० सी० शर्मा असिस्टेंट इंजीनियर, शाहजहांपुर द्वारा हो चुका है जिसकी रिपोर्ट श्री जे० डी० ज्याल, सुपरिंटेन्डिंग इंजीनियर, शारदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वालों को पत्र सं० १११८/ई० एस० (ए), दिनांक ५ मई, १९६५ को प्रेषित की जा चुकी है? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। जैसा ऊपर कहा गया है ब्लाक जैतीपुर व ब्लाक जलालाबाद में विद्युत् प्रसार की योजना विचाराधीन है।

*२७—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री केशवसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी प्रदेश में अन्न संकट को देखते हुए और उपरोक्त इलाके के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए ब्लाक जैतीपुर व जलालाबाद में बिजली देने की शीघ्र व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—

इन क्षेत्रों में बिजली १९६७–६८ तक पहुंचने की आशा की जाती है।

*२८—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

[१०वें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२९–३०—श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)—

[१०वें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

मथुरा जिले में प्राइवेट बस सर्विस परमिट

*३१—श्री लखो सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की कोसी से शेरगढ़ जैत तथा छाता से गोवर्धन सड़कों पर प्राइवेट बसों का आगरा रीजन से परमिट १९५७ से सन् ६२ तक मोटर चलाने को दिये गये हैं? यदि हां, तो उन मोटर मालिकों का क्या पता है और इनमें कितने राजनैतिक पीड़ित हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—

कोसी से शेरगढ़-जैत मार्ग पर निम्नलिखित व्यक्तियों को परमिट दिये गये थे।

(१) सर्वश्री अमर सिंह, शिवचरण लाल वैद्य, खरग सिंह मार्फत गुलाब चन्द्र ऐंड सन्स, घिया मन्डी, मथुरा।

(२) राजकुमारी दुर्गा देवी, कुंवरानी इन्द्रमती कुमारी, मार्फत राजा नारायण प्रतापसिंह, पोस्ट आफिस मलाजनी, जिला इटावा।

उपरोक्त व्यक्तियों ने अपने प्रार्थना-पत्र में राजनैतिक पीड़ित होने का कोई उल्लेख नहीं किया था।

छाता से गोवर्धन कोई अलग मार्ग नहीं है और न इस पर १९५७ से १९६२ तक कोई परमिट दिया गया था।

*३२—श्री लखी सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन रूटों पर यह मोटर चल रही है और उनके क्या-क्या नम्बर हैं और इनके कोसी कलां तथा छाता से छूटने का क्या टाइम है?

श्री मुजफ्फर हसन—

कोसी से शेरगढ़ जैत मार्ग पर सर्वश्री अमर सिंह इत्यादि को दिये गये परमिट पर बस सं० यू० पी० वी० १४४३ चलती थी। इस गाड़ी को परमिट होल्डर ने १९६२ में बेच दिया। परमिट को १९६३ में रद्द कर दिया गया।

राजकुमारी दुर्गा देवी इत्यादि ने अपना परमिट नहीं लिया। १९६३ में यह परमिट भी रद्द कर दिया गया।

इस समय इस मार्ग पर कोई बस नहीं चल रही है।

गोवर्धन—छाता मार्ग पर अलग से कोई परमिट नहीं दिया गया था। शेष प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली

*३३—श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में लोहवान सिहोरा, कारब व पटलौनी गांवों में विद्युतीकरण के लिये जो खम्भे और तार डाले गये हैं उन पर शेष कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ताकि वहां के निवासी लाभान्वित हो सकें ?

श्री गिरधारी लाल—

मथुरा जिले के लोहवन, सिहोरा, कारब व पटलौनी ग्रामों के विद्युतीकरण का शेष कार्य आगामी माह तक पूर्ण होने की संभावना है।

*३४—श्री कन्हैया लाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांवों के विद्युतीकरण के बाद इस विद्युत् लाइन को इन गांवों से आगे किस-किस क्षेत्र में बढ़ाने की योजना है और इस योजना पर कब कार्य आरम्भ हो जावेगा ?

श्री गिरधारी लाल—

उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण के बाद इस विद्युत् लाइन को जिन क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिये बढ़ाया जावेगा उसका अभी निश्चय नहीं किया गया। सर्वेक्षण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में होने की संभावना है।

*३५-३६—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में गुरसराय व पडवाहा को बिजली तथा भटपुरा के किसानों को नहरी मुआवजा

*३७—श्री काशी प्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के पंडवाहा व कस्बा गुरसराय में जो बिजली तृतीय पंचवर्षीय योजना में जानी थी वह अब कब तक जा सकेगी और इस कार्य के स्थगित किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—

जिला झांसी के कस्बा गुरसराय का विद्युतीकरण १९६६-६७ में किये जाने की आशा है।

पंडवाहा कस्बे के विद्युतीकरण के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जावेगा।

*३८—श्री काशी प्रसाद द्विवेदी —

क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले में रानीपुर-कैनाल के फट जाने से भटपुरा ग्राम के किसानों की करीब दो सौ एकड़ रबी की फसल बरबाद हो गई है ? यदि हां, तो उन किसानों को सरकार की ओर से क्या सहायता प्रदान की जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां, भटपुरा ग्राम के किसानों की केवल ३४.६९ एकड़ रबी की फसल को नुकसान हुआ ।

प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन्सिल, जौनपुर

*३९—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जौनपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौंसिल (क्रिमिनल) में एक नये पद का सृजन १९६५-६६ में किया ? उस पद पर नियुक्ति के लिये जिले के अधिकारियों द्वारा किन-किन व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजे गये तथा सरकार द्वारा किस व्यक्ति का नाम स्वीकृत कर भेजा गया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

जी नहीं । ऐसा कोई पद नहीं है । जब पद का सृजन नहीं हुआ तो नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पटियाली विकास खण्ड के मझोला ग्राम में बिजली

*४०—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या बिजली मंत्री बताने की कृपा करेंगे ग्राम मझोला, विकास खंड पटियाली, जिला एटा में जून, १९६५ में ही बिजली की लाइन के तार एव लट्ठे पहुंचा दिये गये हैं और अब भी वहीं पड़े हैं परन्तु अभी बिजली प्रदान नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

विकास खंड पटियाली, जिला एटा के अन्तर्गत मझोला ग्राम में एल० सी० लाइनें (४०० वोल्ट) बनाई जा चुकी है तथा एच० टी० लाइन (११००० वोल्ट) खम्भे भी गाड़े जा चुके हैं । धन की कमी के कारण ११ के० वी० लाइन बनाने का कार्य १९६५-६६ में पूरा न हो सका । इस कार्य के १९६६-६७ में पूरा किये जाने की आशा की जाती है ।

*४१—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में आपको ज्ञात है कि उपरोक्त प्रश्न सम्बन्धित ग्राम में ७ नलकूप लगवाने हेतु प्रार्थियों ने कनेक्शन स्वीकृत करा लिये हैं और बिजली विभाग, मैनपुरी कार्यालय में आवश्यक धनराशि भी जमा कर दी है तथा नलकूपों का सामान भी ले आये तथा नलकूपों का सामान भी ले आये हैं, परन्तु बिजली नहीं मिलने से फसलें सूख रही हैं ? यदि हां, तो उन्हें शीघ्र बिजली देने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री गिरधारी लाल—

सूचना नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी "ड" आगे पृष्ठ १९६ पर ।)

गोवर्द्धन ड्रेन निर्माण

*४२—श्री कन्हैया लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गोवर्द्धन ड्रेन निर्माण की मूल योजना में ढाना खेमा (जिला मथुरा) के पास पुल बनाने की योजना थी जो रद्द कर दी गई है और उस क्षेत्र के कृषक लोगों को अपना उत्पादन, मवेशी इत्यादि लाने-ले-जाने में दिक्कत हो रही है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के कृषकों की दिक्कत को देखते हुये वहां पर पुल बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां।

एक पुल ४–६–६०० पर बनाया जा चुका है जो इस गांव से केवल ३ फर्लांग की दूरी पर है जिस से इस क्षेत्र के कृषक अपना उत्पादन व मवेशी ले जा सकते हैं अतः ढाना खेमा (मथुरा) के पास नये पुल की आवश्यकता नहीं है।

*४३—श्री बृजमोहन लाल गुप्त (जिला बांदा)—

(१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।)

कासिमाबाद—यूसुफपुर—गाजीपुर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

*४४—श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के कस्बों मऊनाथभंजन से जो प्राइवेट बस चलती हैं और बहादुरगंज, कासिमाबाद, यूसुफपुर होती हुई गाजीपुर, ओड़हार तक आती है, इस रूट को सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया है। यदि हां, तो इस रूट पर इस समय जो प्राइवेट बस चल रही है वह कब से चल रही है और फिर दोबारा इसको क्यों परमिट दिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

केवल कासिमाबाद-यूसुफपुर-गाजीपुर तक के मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया है, जो प्रश्न में पूछे गये मार्ग का एक हिस्सा है। इस मार्ग पर परमिट १९५५ में दिया गया था। इसका नवीनीकरण १९६५ में केवल नान-नोटिफाइड मार्ग के लिये किया गया है। नोटिफाइड मार्ग पर सम्पथ प्रतिबन्ध के साथ चलने की अस्थायी अनुमति चार-चार महीने की दी जाती है।

जौनपुर ब्रांच, रायबरेली नहर

*४५—श्री भगवान दीन (जिला रायबरेली—)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर ब्रांच, रायबरेली नहर की सफाई जब से वह बनी है कभी की गई ? यदि हां नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

उक्त प्रश्न में दो नहरें आती हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) जौनपुर ब्रांच

(२) राय बरेली नहर।

(१) जौनपुर ब्रांच—१९६०–६१ में बन कर तैयार हो गई थी और तब से अब तक इस नहर की तली की सफाई नहीं की गई क्योंकि नहर की तली में सिल्ट इतनी मात्रा में नहीं बैठ पाई है जिसके लिये सफाई की आवश्यकता हो।

२—रायबरेली रजबहा—यह नहर, शारदा नहर के साथ की बनी हुयी पुरानी नहर है। १९६२ में इस रजबहे की हेड से टेल तक सफाई हुई थी। पिछले तथा इस वर्ष भी इस नहर की आवश्यकतानुसार सफाई की गई।

खेसराहा विकास खण्ड में नलकूप

*४६—श्री जगदीश प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के खेसराहा विकास खंड के अन्तर्गत कितने और कहां-कहां नलकूप बनाने की योजना वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकृत है और इन पर कब तक कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रथम भाग—इस क्षेत्र में वर्ष ६६–६७ में किसी भी नये नलकूप बनाने की योजना अभी नहीं बनी है।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में खुवरियापुर माइनर

*४७—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६५ में फर्रुखाबाद जिले के खुवरियापुर माइनर में कितनी बार पानी दिया गया तथा टेल पर पानी पहुंचा या नहीं ?

श्री गिरधारी लाल—

सन् १९६५ में फर्रुखाबाद जिले के खुवरियापुर माइनर को माह जनवरी से दिसम्बर १९६५ तक १६१ दिन तक चलाया गया और टेल पर पानी निश्चय रूप से पहुंचता रहा है।

*४८—श्री दयाराम शाक्य—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उपरोक्त माइनर की सफाई पिछली बार कब और किसके द्वारा कराई गई तथा कितना खर्च उस पर किया गया ?

श्री गिरधारी लाल—

खुवरियापुर माइनर की सफाई पिछली बार श्री जवाहर सिंह ठेकेदार द्वारा कराई गई। इस कार्य की पूर्ति पर कुल धन ४५० रु० व्यय किया गया।

*४९—चौधरी रतीपाल—

(१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।)

*५०—चौधरी रतीपाल—

(१०वें मगलवार के लिये स्थगित किया गया।

*५१—श्री विजय सिंह—

(१० वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।)

बाबूगंज नहर कोठी व जमुनाबाद फार्म

*५२—सर्वश्री छेदा लाल चौधरी तथा बंकटा सिंह (जिला खीरी)—

क्या सिंचाई मंत्री को ऐसी कोई सूचना है कि बाबूगंज नहर कोठी, खीरी ब्रांच शारदा कैनाल, जिला खीरी, दि शुगर मिल्स, गोला द्वारा संचालित जमुनाबाद फार्म के प्रबन्धकों को किराये पर उठा दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? और कब से ?

श्री गिरधारी लाल—

बाबूगंज नहर कोठी किराये पर नहीं उठाई गई है बल्कि इस निरीक्षण भवन के साथ बने केवल स्टैबिलशमेंट क्वार्टर को जमुनाबाद शुगर शोध संस्थान, गोला गोकरन नाथ जिला खीरी के सरकारी कर्मचारियों को इस विभाग द्वारा किराये पर दिया गया है क्योंकि यह एक सरकारी संस्था है और इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं जिनके ठहरने के लिये इस जंगली इलाके में कृषि विभाग को कोई अन्य निवास स्थान प्राप्त नहीं हो सका। यह क्वार्टर १६ अक्तूबर, १९६५ से किराये पर दिया गया।

*५३—सर्वश्री छेदा लाल चौधरी तथा बंकटा सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जमुनाबाद फार्म की कुल कितनी भूमि खीरी ब्रांच शारदा कैनाल के सिंचाई कमान्ड में है और उसमें कितने कुलाबे लगे हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

जमुनाबाद फार्म की १३३४ एकड़ खेती योग्य भूमि (सी०सी०ए०) खीरी ब्रांच शारदा कैनाल के कमान्ड में है और इस फार्म में ६ कुलाबे लगे हैं।

खटीमा से निघासन बिजली लाइन

*५४—श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खटीमा से जो बिजली की लाइन मैलानी भीरा होती हुई शारदा नदी को पास कर निघासन तहसील जा रही है उस लाइन पर शारदा नदी को पार करने के लिये लाइन में कितना निर्माण कार्य अभी शेष है ? तथा वह कब तक पूरा हो जायगा और इस लाइन पर बिजली देने की व्यवस्था कब से हो जायगी ?

श्री गिरधारी लाल—

कुठार से पलिया होती हुई निघासन को जाने वाली ३३ के० वी० बिजली की लाइन का शारदा नदी को पार करने का कार्य पूर्ण हो चुका है, केवल एक टावर का खड़ा होना व तत्सम्बन्धी कन्डक्टरों व अर्थवायर का खींचना शेष रह गया है। आशा है यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् इस क्षेत्र में बिजली भी मिलने लगेगी।

माताटीला बांध बिजली योजना

*५५—श्री लखपत राम शर्मा—

क्या सरकार यह बतायेगी कि माताटीला बांध झांसी में बिजली योजना पर कितना रुपया प्रारम्भ से दिसम्बर, १९६५ तक व्यय हुआ और क्या यह भी सत्य है कि जुलाई, सन १९६५ में उक्त बांध द्वारा जो बिजली दी जा रही थी उसमें कटौती की गई है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

माता टीला बांध में बिजली योजना पर दिसम्बर, १९६५ के अन्त तक ३,८४,१०,२९२ रुपये खर्च किय गये हैं। इस परियोजना द्वारा दी जाने वाली बिजली में कोई कटौती नहीं की गई है।

*५६–५७—श्री राम किशोर वर्मा—

(१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।)

गाजीपुर जिले में पावर स्टेशन के लिए अध्याप्त भूमि

*५८—श्री झिलमिट राम (जिला गाजीपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हिनौता, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर में एक पावर का सब-स्टेशन बनाने के लिये गरीबों की ८ बीघा जमीन ली जा रही है जिसके सम्बन्ध में वहां के किसानों का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र मिनिस्ट्री आफ पावर, उत्तर प्रदेश को १७ दिसम्बर, १९६५ व अधिशासी अभियन्ता हाइडिल विभाग, वाराणसी को १६ दिसम्बर, १९६५ को तथा कमिश्नर, वाराणसी को १६ दिसम्बर, १९६५ को मिला है ? यदि हां, तो कितने किसानों की कितनी-कितनी जमीन ली जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां, गाजीपुर जिले के ग्राम हनौता में दुल्हापुर पर ३३/११ के० वी० सब-स्टेशन बनाने के लिये कुछ भूमि जिसका क्षेत्रफल ४.५९१ एकड़ है ५ नवम्बर, १९६५ को आधिपत्य ले लिया गया है। इस भूमि में किस किसान की कितनी भूमि ली गई है इसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १९७ पर)।

*५९—श्री झिलमिट राम—

क्या सरकार को पता है कि उस गांव में बंजर, ऊसर की जमीन भी है तथा बड़े-बड़े काश्तकार भी हैं ? यदि हां, तो इन गरीबों की जमीन क्यों ली जा रही है और दूसरी जमीन क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

उपर्युक्त विद्युत् उप-केन्द्र के निर्माण के हेतु इस भूमि का प्रत्येक दृष्टिकोण से एवं निकटतम एरिया का सर्वेक्षण करने के पश्चात् अत्यन्त उचित समझ कर आधिपत्य किया गया है।

*६०–६१—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

(१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।)

कालिंजर से प्राइवेट बस सर्विस

*६२—श्री मतोला सिंह (जिला बांदा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के कालिंजर बस स्टेशन के बनने के वास्ते सन् १९६६–६७ में क्या योजना है और वह कब तक बनेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१९६६–६७ में इस बस स्टेशन के बनने के लिये कोई योजना नहीं है।
शेष प्रश्न नहीं उठता।

*६३—श्री मतोला सिंह—

क्या परिवहन मंत्री जिला बांदा के कालिंजर बस अड्डे से कच्ची सड़क कालिंजर से रोडी कल्यानपुर व बघेला बारी पर प्राइवेट बसें चलाने की आज्ञा देने को तैयार हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्राइवेट बसों के चलाने के सम्बन्ध में आज्ञा देने व न देने का अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी का है, शासन का नहीं।

अधिशासी अभियन्ता, जिला फर्रुखाबाद की कार्यालय इमारत

*६४—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) जिला फर्रुखाबाद के कार्यालय की इमारत बहुत खराब हालत में है ? यदि हां, तो क्या कार्यालय

की इमारत बहुत खराब हालत में है ? यदि हां, तो क्या कार्यालय वहां रखने से पहले अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर द्वारा जांच करा ली थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

मिर्जापुर जिले में रोडवेज कन्डक्टरों की मुअत्तली

३—श्री श्रीराम—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मिर्जापुर जिले में १९६५ में कितने रोडवेज कण्डक्टर सस्पेंड किये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

६ ।

श्री श्रीराम—

२—क्या यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितने कण्डक्टरों को अब बहाल किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

३ ।

४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

(१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।)

५—सर्वश्री विजयपाल सिंह तथा ऊदल—

(१०वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।)

कादीपुर बस स्टेशन

६—श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले के कादीपुर बस स्टेशन (रीजन गोरखपुर) की छतें फट गयी हैं, वह बस स्टेशन कब तैयार हुआ है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस बस स्टेशन के बरान्डे की छत कुछ चिटक गई है, यह बस स्टेशन १९६२ में बना था ।

श्री उमादत्त—

७—क्या कादीपुर बस स्टेशन की चहारदीवारी भी गिर गई है वह कब बनाई गई थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इस चहारदीवारी का कुछ भाग गिर गया है, यह अगस्त, १९६४ में बनाई गई थी ।

फर्रुखाबाद नहर शाखा की सर्विस रोड

८—सर्वश्री राजेन्द्र सिंह तथा बेदराम (जिला एटा)—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री इस बात की मौके की जांच कराके कि फर्रुखाबाद नहर शाखा के मील २६ से ३३ तक की सर्विस रोड की पटरी में जगह-जगह पर गड्ढे एवं अत्यधिक रेत

का दलदल-सा हो गया है रिपोर्ट मंगाकर ऐसे स्थानों पर कंकड़ कुटवाकर पटरी को मजबूत कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा ?

श्री गिरधारी लाल—

फर्रुखाबाद नहर शाखा के मील २६ से ३३ तक की सर्विस रोड कहीं-कहीं रेतीली है। धनाभाव के कारण कंकड़ कुटवा कर पटरी को मजबूत कराने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

लखनऊ क्षेत्र में रोडवेज कण्डक्टरों की नियुक्ति

९—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ रीजन में रोडवेज कन्डक्टरों की नियुक्ति के लिये परीक्षा पिछली बार कब हुई, कितने उत्तीर्ण हुए तथा उन उत्तीर्ण कन्डक्टरों में से कितने को अब नियुक्त किया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अगस्त तथा नवम्बर, १९६१ की परीक्षा में ५९२ चुने गये तथा इनमें से २१९ अब तक नियुक्त किये गये।

निजी नलकूप लगाने के नियम

१०—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पिछले दिनों सरकार ने यह निश्चय किया था कि सरकारी नलकूप से पुराने नियम के अनुसार बजाय ४ फर्लांग के ३ फर्लांग की दूरी पर किसानों को अपना निजी नलकूप लगाने की आज्ञा है ? क्या इस ३ फर्लांग के नियम का विभाग द्वारा पालन हो रहा है ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठते।

११—श्री मूलचन्द्र शास्त्री—

क्या सरकार के यह भी विचाराधीन है कि इस ३ फर्लांग की दूरी के नियम को शिथिल करके सरकारी नलकूप से २ फर्लांग की दूरी पर भी निजी नलकूप लग सकें ?

श्री गिरधारी लाल—

वर्तमान प्रतिबन्ध के अनुसार राजकीय नलकूप से ४ फर्लांग के अन्दर निजी नलकूप को बिजली नहीं मिलती है। यह दूरी और कम की जा सकती है अथवा नहीं यह प्रश्न विचाराधीन है।

विकास खण्ड सिढ़पुरा में सिंचाई साधन

१२—श्री रामसिंह शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एटा जिले के विकास खन्ड सिढ़पुरा के अन्तर्गत लोगपुर-भीकपुर से लौट, गंगसारा ग्रामों की आराजी की सिंचाई के हेतु काश्तकारों को सरकार द्वारा कौन-कौन साधन प्रदान किये गये हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

इन ग्रामों की आराजी की सिंचाई के हेतु काश्तकारों को सरकार द्वारा कोई साधन नहीं है।

१३—श्री राम सिंह शाक्य—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त ग्रामों की आराजी के पास से ही बिजली की लाइन गई है? तो क्या सरकार उक्त ग्रामों की आराजी की सिंचाई हेतु ट्यूबवेल बनाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारी लाल—

इस क्षेत्र में नल कूप निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र का अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

मुरादाबाद जिले से नलकूप चालकों के विरुद्ध शिकायत

१४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि सिंचाई मंत्री के पास मुरादाबाद के दर्जनों ट्यूबवेल आपरेटरों के खिलाफ समय पर पानी न देने के फलस्वरूप खरीफ की फसल सूखने की शिकायतें अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५ के बीच आई हैं? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई गई?

श्री गिरधारी लाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सोलहवां प्रतिवेदन†

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६५-६६) के सोलहवें प्रतिवेदन को जो, वन विभाग से संबंधित है, माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह नहीं पता चला कि मुद्रित प्रतियां कब तक मिलेंगी।

इलाहाबाद जिले में भयंकर सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

जो यह कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है उसको मैंने कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यह इलाहाबाद के सूखे और अदर्षण के परिणामस्वरूप जो उलझनें पैदा हुई हैं उनसे संबंधित है। एक कार्य स्थगन प्रस्ताव है और दूसरा नियम ५२ के अन्तर्गत है चूंकि इस पर यहां दो ढाई घंटे की बहस भी हो चुकी है इसलिये मैंने इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में लेना उचित नहीं समझा लेकिन वक्तव्य के लिये इसको ले लिया गया है। यह श्री सत्य नारायण पान्डेय, श्री कल्याण चन्द मोहिले और श्री नाथू राम शिक्षक जी का है।

जो इस सदन में आश्वासन दिये गये थे कि किस प्रकार से उन क्षेत्रों में सहायता पहुंचा रहे

---

†छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

हैं। उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुयी है। वह इस प्रकार है—

"इलाहाबाद जिले में विशेषकर करछना और मेजा तहसील में भयंकर सूखा पड़ने के फलस्वरूप अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मनुष्य और पशुओं की मौतें हो रही हैं। अर्ध भुखमरी की अवस्था में हजारों आदमी हो गए हैं और उनके सूखे कंकाल इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे अधिक दिन नहीं चल सकते। कुएं के पानी बराबर सूखते जा रहे हैं। इस संबंध में सदन में दिए गए आश्वासनों को सरकार पूरा नहीं कर रही है। पानी पीने के लिये जो थोड़ी व्यवस्था की गयी है वह अपर्याप्त है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें अभी तक केवल मेजा तहसील को छोड़कर कहीं भी हर पंचायत अदालत में हीं खोली गयी है। १५ हजार की जन संख्या के बीच केवल २५ बोरी अनाज दिया जाता है जो पूर्णतया अपर्याप्त है। लगान माफी की एवं विद्यार्थियों की फीस माफी की भी घोषणा नहीं की गयी। तकावी, लगान तथा अन्य सरकारी पर्यों की वसूली जारी है। जो कुछ गल्ला बटता भी है, उसके वितरण की व्यवस्था इतनी खराब है कि वह गरीबों को न मिलकर खाते पीते लोगों को जा रहा है....।"

एक माननीय नाथू राम शिक्षक जी की है सूचना नियम ५२ की जो सूखे तथा अवर्षण के कारण सारे प्रयाग जिले की फसलों के संबंध में है। उनका भी यही कहना है कि वहां पर व्याप्त अकाल स्थिति को नियंत्रित कर पाने हेतु कोई भी समुचित कदम न उठाने से पूरे जिले में असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त है। मैंने इन्हें वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है।

(राजस्व मंत्री से) आप इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री राम कुमार शास्त्री)—

जितने ब्योरे से लिखा गया है वह केवल पुनरावृत्ति है। वहां पर पूरे तरीके से व्यवस्था की गयी है। फिर भी इस पर १५ तारीख को वक्तव्य दे दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें केवल पुनरावृत्ति हुई है तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे बताने की कृपा करें कि उन्होंने १, २, ३ क्या-क्या व्यवस्था वहां पर की हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह नहीं कहा है। अब आप बैठ जाइये।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

एक दूसरी सूचना माननीय कमला सिंह जी ने दी है जिसमें उन्होंने सिंचाई विभाग के कुछ ओवरसियर, जो निकाले जा रहे हैं, के बारे में लिखा है। इसे माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है। इसे नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि दफा ५२ के अन्तर्गत इलाहाबाद के बारे में जो आपने स्वीकार किया है, उसी पर एक काम रोको प्रस्ताव हम ५–६ आदमियों के नाम से मिर्जापुर के विशेष क्षेत्र, जो कि मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच में पट्टी है, से संबंध रखता है। आपने उसे स्वीकार नहीं किया था। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि जब वे इलाहाबाद के बारे में वक्तव्य दें तो इसके संबंध में भी वक्तव्य देने की कृपा करें। वहां पर वर्षा नहीं हुई है और वहां पर भुखमरी का वातावरण है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया लिखकर दे दें ताकि हम उस पर विचार कर सकें।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मेरी भी एक सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के संबंध में जिन माननीय सदस्यों को कुछ पूछना है वे आदेशों को देखलें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से हमें जितने आश्वासन मिले हैं, उनको हमने आश्वासन मानकर सन्तोष कर लिया है लेकिन व्यावहारिक रूप में कुछ नहीं हुआ है। यह बात तो अवांछनीय है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसको ओवररूल तो कर दिया है तो फिर आपको क्या करना है ?

प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय पट्टी में फैले हुए गुप्तचर भेदियों के सम्बन्ध में वक्तव्य

*विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

गत २१ मार्च, १९६६ को सूचना मिलने पर कि कैलाशानन्द आश्रम ऋषीकेश के स्वामी कैलाशानन्द के पास बिना लाइसेन्स का रेडियो ट्रान्समिटर है, पुलिस अधिकारियों ने स्वामी कैलाशानन्द के पास से दो बिना लाइसेन्स के ट्रांसरिसीवर सेट बरामद किये। स्वामी कैलाशानन्द को गिरफ्तार किया गया व बाद में उन्हें १०,००० रु० के मुचलके पर छोड़ दिया गया। बरामद किये गये ट्रांसरिसीवर सेटों की जांच करने पर यह पाया गया कि यह सेट चालू हालत में हैं और इनके द्वारा लगभग ३ मील की दूरी तक बातचीत की जा सकती है। इस घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई है। और इसमें जांच जारी है।

९ जनवरी, १९६६ को इसी प्रकार के दो ट्रान्सरिसीवर सेट एक जर्मन नागरिक के पास से ऋषिकेश में बरामद किये गये थे। इन सेटों द्वारा भी लगभग ३ मील तक बातचीत हो सकती थी। जांच में उक्त जर्मन नागरिक ने बताया कि वे प्रयाग के कुम्भ मेले की भीड़ में अपनी पत्नी से सम्पर्क बनाये रखने के लिये, इन सेटों का प्रयोग करना चाहते थे। जांच द्वारा भी उनके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाई गई। अतः डाक व तार विभाग ने उक्त सेटों का लाइसेन्स दे दिया और वे अब भारत सरकार की अनुमति से भारत से चले गये।

उक्त दो घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है न कोई ऐसी अन्य बात सामने आई है जिससे यह आशंका पैदा हो कि प्रदेश के इस सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय विदेशी जासूसों का जाल फैला है। राज्य का इन्टेलीजेन्स विभाग तथा स्थानीय अधिकारी इस बारे में पूरी तरह सतर्क है और सभी प्रकार की सावधानी बरती जा रही है।

(श्री टम्बेश्वर प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह तो केवल वक्तव्य के लिये था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, दो तीन चार बातें ऐसी है, जिनके संबंध में इस वक्तव्य से कोई प्रकाश नहीं पड़ता। एक तो यह कि जिस समय हम लोगों ने यह प्रश्न लगाया था उस समय कहा था कि यह सेट जो है इसका विदेशों से संबंध है। लेकिन वक्तव्य में यह नहीं दिया गया है कि यह सेट किस देश का बना हुआ है, नागरिक जो पकड़ा गया वह किस जर्मनी का था। तथा उसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस प्रकार जासूसी संबंधी जो काम होते हैं, उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि जिसका सेट हो वही उसको रिसीव करे। रिसीविंग सेट द्वारा हो सकता है। अब यह रिसीव करने वाले सेट की शक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितनी दूर रिसीव करता है और इसके साथ-साथ रिसीव करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। यह केवल खबर दे सकता होगा और दूसरा उसे सुन कर आगे खबर देता होगा। तो यह एक ऐसा भ्रम-पूर्ण वक्तव्य है जिससे तथ्यों पर प्रकाश पड़ने के बजाय उस पर और अन्धकार ही पड़ गया। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि विदेश के किस-किस देश से इसका संबंध था तथा जो नागरिक पकड़ा गया, वह किस देश का था और यह सेट किस देश का बना हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस संबंध में प्रश्न कर लें तो मैं देख लूंगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

प्रश्नों के आने का अब समय नहीं है। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका संबंध सारे देश की सुरक्षा से है। इसलिये इसका क्लेरिफिकेशन आप करा दें कि किस देश का बना हुआ वह सेट था और उसका मन्तव्य क्या था। आपने तो लिखा है कि अपनी पत्नी से बातचीत करने के लिये उन्होंने वह सेट रखा था लेकिन स्वामी जी की कौन पत्नी थी जिससे उनको बातचीत करनी थी ? केस चल रहा है, तो इतना तो प्रकाश डालें कि उनका मन्तव्य क्या था ?

श्री अध्यक्ष—

स्पष्टीकरण के लिये तो आप ठीक कहते हैं लेकिन मेरी जो कठिनाई है वह यह है कि मैंने उसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था, नियमतः वह स्पष्टीकरण के लिये नहीं था। अगर मैं इसे अपवाद के रूप में स्वीकार कर लूं तो आगे और भी अपवाद करना पड़ेगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

इस देश की सुरक्षा का इससे संबंध है।

श्री अध्यक्ष—

सुरक्षा का सवाल नहीं है, सवाल तो नियमों का है।

लोक लेखा समिति के लिए विधान परिषद् के ५ सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

आज सभापति, लोक लेखा समिति उपस्थित नहीं हैं, इसलिये मद नं० ९ कल पेश होगा।

सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, एक मेरा निवेदन आपसे है कि माननीया मुख्य मंत्री भी मौजूद हैं, आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने आ गयी है, तो उस पर चर्चा

होना बहुत आवश्यक है। इस सदन के उठने के पहले ही कोई ऐसा दिन निश्चित हो जिस दिन इस विषय पर चर्चा हो जाय तो बहुत अच्छा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री की इस पर क्या राय है। यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस पर चर्चा होने से कुछ मार्ग दर्शन भी होगा।

श्री अध्यक्ष—

क्या विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जी हां, वह हाउस में आ गयी है।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में माननीया मुख्य मंत्री को कुछ कहना है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं तो चाहूंगी कि माननीय सदस्यगण इसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और तब जुलाई में इस पर डिस्कशन कीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसको पोसपोन करना अच्छा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

पोसपोन करने का सवाल नहीं है। कब बहस हो इस पर विचार किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री विचार करने के लिये तैयार हैं, केवल उनके सामने समय की कठिनाई है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, चौथी पंचवर्षीय योजना के संबंध में भी मुख्य मंत्री ने कहा था कि डिस्कशन कर लीजिये, लेकिन आज तब नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि कौन महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जिन पर बहस हो इसको आप लोग साथ बैठ कर विचार लें और फिर मुझे बता दें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

विचार विनिमय का यह तरीका है कि जब आप सदन में ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं तो मुख्य मंत्री को बुलाना चाहिये। हमारे बुलाने से अगर वह हमारे कमरे में आ सकें तो मैं नेता विरोधी दल की तरफ से उनको आमंत्रित करता हूं। लेकिन न वह बुलाती हैं और न आती हैं। तो हमारे पास क्या रास्ता है। यह तो बात करने का गतिरोध है। आप कृपया इनसे कह दें कि बुलायें और अगर कल तक हमको न बुलायें तो आप के कमरे में हम लोग उपस्थित होंगे और आप इनको बुलायें।

श्री अध्यक्ष—

आप जायें तो वह इन्कार नहीं करेंगी।

उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन (१९६४-६५) एवं सरकारी संकल्प† (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखी सिंह कल बोल रहे थे।

*श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि छोटे कर्मचारियों के विषय में कमेटी ने अधिक ध्यान नहीं दिया। यह जो कमेटी बनायी गई यह कमेटी ही गलत बनायी गई। इससे छोटे कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। आज मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कल लाल रोशनी हो गई थी जब आप बोल रहे थे।

श्री लखी सिंह—

लाल रोशनी श्रीमन् नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष—

आप दो मिनट बोल लीजिये।

श्री लखी सिंह—

मैं कहना चाहता हूं कि प्रथम लिपिक जो रोडवेज में हैं वे बी० ए० पास रखे जाते हैं और यही योग्यता स्टेशन इंचार्ज की होती है। लेकिन ग्रेड दोनों का एक ही रखा गया है, यानी १२० रु० प्रतिमास। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार और केन्द्रीय सरकार में कोई भेद है? जब अपना काम पड़ता है तो यह सरकार कामराज की दुहाई देती है, उनसे मिल कर सब चीज बनाती है और केन्द्रीय सरकार लगातार अपने कर्मचारियों की डयोढ़ी और सवाई तनख्वाह बढ़ाती जाती है और प्रदेशीय सरकार छोटे-छोटे कर्मचारियों को रगड़ती जाती है, उनको कुचलती जाती है। यह असमानता कभी बरदाश्त नहीं होगी। समाजवादी पार्टी ने बार-बार कहा है कि सौ से कम और हजार से ज्यादा किसी की तनख्वाह न हो। अगर इतनी असमानता आमदनी में होगी तो यह कभी बरदाश्त नहीं किया जायगा और छोटे-छोटे कर्मचारी अब क्रान्ति की तरफ उतारू हो चुके हैं। और मजदूर क्रान्ति करेगा जैसे रूस में मजदूर ने क्रान्ति की। वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट पर दुबारा विचार किया जाय और एक कमेटी बनाई जाय जिसमें एक तिहाई प्रतिनिधि मजदूरों के रखे जायं। बड़े-बड़े जजों की कमेटी नहीं बनानी चाहिये क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि मजदूर को क्या दुख है। वे पूंजीपति के लड़के हैं। छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह में कुछ नहीं किया गया है, इस पर दोबारा विचार किया जाय।

*श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये मुझे अवसर प्रदान किया। हमारे प्रदेश के लाखों कर्मचारी बहुत आशा लगाये हुए बैठे थे कि वेतन अभिनवीकरण समिति की जब रिपोर्ट आयेगी, उससे उनके वेतन में तथा महंगाई भत्ता में सुधार होगा, उनके जीवन के रहन-सहन में सुधार होगा, उनकी नौकरी का जो श्रेणीकरण है उसमें सुधार होगा और महंगाई को देखते हुए उनको

---

†११ अप्रैल, १९६६ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हर प्रकार से राहत मिलेगी। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के उपरान्त आपने देखा कि इस सेक्रेटेरियट के चारों तरफ कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसके कर्मचारी ने किसी न किसी रूप में अपने रोष का प्रदर्शन न किया हो और अपने सुझाव सरकार के सामने न भेजे हों। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट से हमारे जितने कार्य करने वाले लोग हैं उनके अन्दर उसने एक विक्षोभ की भावना पैदा कर दी है और सरकार का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह पुनः इस मसले पर विचार करे। या तो सरकार उसको सही तौर से कार्यान्वित करे जिससे लोगों के अन्दर जो क्षोभ व्याप्त है वह दूर हो सके या नये सिरे से एक हाई पावर कमेटी बनाये जिसमें तमाम श्रेणी के लोगों को संतुष्ट किया जा सके।

इस समिति के अगर टर्म्स आफ रिफरेंस को देखा जाय तो ऐसा मालूम होता था कि समान वेतन का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाय जिसमें आज कल की महंगाई को देखते हुए उदारता-पूर्वक एडजस्ट किया जा सकेगा। एक तरफ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीगण के वेतन तथा महंगाई भत्ते में विभिन्न कमेटियां बैठा कर बढ़ोत्तरी की जा रही है और दूसरी तरफ प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों के एमालुमेंट्स वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के जरिये कम होते चले जा रहे हैं जिसके कारण बड़ा असन्तोष और विक्षोभ व्याप्त हो गया है।

मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि यदि आप सूक्ष्म तरीके से उन पर विचार करेंगे तो पायेंगे कि इतना ज्यादा फर्क हो गया है, इतना ज्यादा रोष व्याप्त हो गया है कि अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो एक बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। वेतन अभिनवीकरण समिति ने जो सबसे पहले काम किया अपने टर्म्स आफ रेफरेन्स के अन्दर वह यह कि ३४५ प्रकार के जो वेतन क्रम प्रचलित थे उनको घटा कर ५१ प्रकार के कर दिया। जो एक नीति निश्चित हो गयी कि हमें एक ग्रेडेशन में सब को ले आना है चाहे वह क्लास १, क्लास २, क्लास ३ या चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो और महंगाई स्तर को देखते हुये ले आना है, तो उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि उसका हर डिपार्टमेंट पर क्या असर पड़ा। जब तक आप यह नहीं देखेंगे तब तक आप सही स्थिति को नहीं जान पायेंगे।

महंगाई के मामले में आज एक फ्लैट रेट यह कह दिया गया कि १४० रुपये तक जो तनखाह पाता हो उसको साढ़े ७ रुपये महंगाई। दूसरे आप जानते हैं कि आज ५ परसेंट आदमी ही एलाटेड मकानों में रहते हैं। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो बगैर एलाटेड मकानों में रहते हैं और मकान मालिक रसीद तक नहीं देता। जो आपने साढ़े ७ रुपये महंगाई फ्लैट रेट रखा है उसका असर इन कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा? वे ५० रुपये, १०० रुपये के मकान में रहते हैं। उनसे कहा जाता है कि वेरीफिकेशन कराइये, फिर मंहगाई के स्तर को ठीक किया जायगा नहीं तो फ्लैट रेट पर दिया जायगा। तो इस तरह की चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो रेप्रेजेन्टेशन्स आये हैं उन पर विचार कर के उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि पहले ट्रांसलेटर्स और अपर डिवीजन क्लर्क का एक ही ग्रेड था लेकिन अब ट्रांसलेटर्स के ग्रेड को बहुत कम कर दिया गया है। इससे बड़ा असन्तोष है। इसको सुधारने के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये। इसी प्रकार अभी तक कमेटी आफिसर्स को एलाउन्स मिलता था। उस एलाउन्स को तो खत्म कर दिया गया है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो विभिन्न तरीके के स्तर अपनाये गये। एक तरफ तो उनके ग्रेडेशन्स कम किये गये लेकिन अगर देखा जाय तो पहले से ज्यादा ग्रेड हो गये। मैं समझता हूं कि इस कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंस के बिल्कुल ही विपरीत वह चीज है। इससे तो जो आपका मुख्य मकसद है उसके खिलाफ आप जाते हैं। सेनीटरी इंस्पेक्टर्स की बात आप लीजिये। वे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनको वी० एस० डब्लू० के लेबिल पर लाकर रख दिया गया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। चेचक उन्मूलन का काम भी उनके जिम्मे कर दिया गया है। तो जिम्मेदारी तो उनकी बढ़ती जाती है मगर तनख्वाह घटती जाती है। आपने कहा कि हम एक पे स्केल रखेंगे लेकिन हम पाते हैं कि उनका पे स्केल उनके काम के मुताबिक नहीं है।

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

छः महीने का बी० एल० डब्लू० ए० डी० ओ के स्केल में हो जाता है, लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर जो टेक्निकल ट्रेनिंग ले कर आता है जिसने उस डिपार्टमेंट में एक्सपीरिएंस किया है उसकी तनख्वाह को उसके मुकाबले कम किया जा रहा है। मैं महसूस करता हूं कि उसका ग्रेडेशन बी० डी० ओ० के ग्रेडेशन के अन्दर लाया जाय। आज प्रदेश के सारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और उनका ऐसोसिएशन सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है सरकार को उनके काम के बोझ को देखते हुए उस पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करना चाहिए और उनको आगे बढ़ने की सुविधा देनी चाहिए। दूसरे प्रदेशों को अगर देखा जाय तो हम पाते हैं कि उनका मंहगाई भत्ता और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मंहगाई भत्ता है उसके मुकाबले में हमारे यहां सबसे कम महंगाई का भत्ता है जिसके कारण हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा असन्तोष है। केरल ने ग्रेडेशन को ठीक करने के लिए ८ करोड़ रु० खर्च किया। हमारे यहां महंगाई अन्य प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ी है लेकिन महंगाई भत्ता सबसे कम मिलता है। इस पर पे कमेटी को विचार करना चाहिए था। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। केरल में डी० ए० ९० रु० से १४९ रु० तक ५० रु०, १५० रु० से २०९ रु० तक ६५ रु०, २१० रु० से ३९९ रु० तक ८१ और ४०० से १,२०० रु० तक ९० रु०। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में ९० रु० से १४९ रु० तक ३५ रु०, १५० रु० से २०९ रु० तक ४० रु०, २१० रु० से ३९९ रु० तक ३१ रु०। मदरास में ८९ रु० तक ३३ रु०, ९० रु० से १४९ रु० तक ५० रु०, १५० से २०९ रु० तक ६५ रु०, २१० रु० से ३९९ रु० तक ८१ रु० और ४०० रु० से १,२०० रु० तक ९० रु०। अगर हम केन्द्र के कर्मचारियों को देखें तो वहां तो ५० रु० तक ४५ रु० १९५९ से पहले और १ मार्च ६५ को ६८ रु०, ५१ रु० से १०० रु० तक ५५ रुपये, १९५९ से पहले और ९५ रु० १ मार्च ६५ को। इसी तरह १०१ रु० से १५० रु० तक १९५९ से पहले ६० रु० और १ मार्च, १९६५ को १०५ रु०। इस तरह से हमारे प्रदेश की हालत औरों के मुकाबले में बहुत नाजुक है। हमारे प्रदेश में पी० आर० सी० रिपोर्ट के अनुसार ९९ रुपये तक १५ रु० १०० रु० से २९९ रु० तक २५ रु० और ३०० रु० ९०० रु० तक ३५ रु० इस तरह से भेदभाव जब तक आप दूर नहीं कर पाएंगे तब तक मूल उद्देश्य जो है देश को समाजवादी रास्ते पर ले जाने का देश को समाजवादी रास्ते पर नहीं ले जा पायंगे। पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाय तो कोई भी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है अगर एक-एक ग्रेडेशन को देखा जाय, तो श्रीमन् आप पाएंगे कि फिक्सेसन को लेकर एक जगह कर दिये गए और उसके लिये वह रखा गया था कि उसका आप्शन होगा कि वह इसको ले या उसको ले। यानी वह पहले वाला ग्रेड ले या बाद वाला। लेकिन मैं एक डिपार्टमेंट का फारमूला रखूं तो आप पाएंगे कि वह यदि पहले का ग्रेड लेते हैं तो अब के ग्रेड और उस ग्रेड में जमीन आसमान का अन्तर है। तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट आयी है उससे कमचारियों में बड़ा ही असन्तोष और क्षोभ फैल गया है। इसलिये आज की यह आवश्यकता है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए जो आज की महंगाई को देखते हुए तमाम एसोशिएशनों के असन्तोष को दूर करे और उनमें सन्तोष पैदा कर सके। तभी हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर सरकार अवश्य विचार करेगी और तद्नुसार कदम उठाने की कृपा करेगी।

श्री बसन्त सिंह (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, वेतन अभिनवीकरण समिति ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, मैं उसे पढ़ कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वह रद्दी की टोकरी में फेंक देने लायक है। वास्तव में जब सरकार कोई कमेटी नियुक्त करती है, तो सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि कमेटी वास्तविक समस्याओं की गहराई में न पहुंचे, उनका निराकरण न किया जाए और सरकार जिस प्रकार से चाहे, वैसा उस कमेटी के सदस्य काम करें। मैंने समिति के सदस्यों की नामावली

को देखा और मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों के ऊपर अपने विभाग का दायित्व पहले से ही अधिक है, उन्हें यदि एक और ऐसा बड़ा काम दे दिया जाए, तो उनके पास उसे पूरा करने के लिये समय नहीं होगा और न उनके पास समस्याओं का अध्ययन करने के लिये समय होगा। मेरा अक्सर समितियों का अनुभव भी है, लोग वहां जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और थोड़ी चीजें अपने असिस्टेंटों से जमा करके दे देते हैं। मैं समझता हूं ऐसा ही इस कमेटी ने भी किया है। वास्तव में अगर समिति गहराई में जाती तो जिस असन्तोष को दूर करने के लिये समिति का निर्माण हुआ था, वह दूर हो गया होता और वह अधिक न बढ़ता। दूसरा कारण मेरी समझ में यह आया है कि समिति के जो सदस्य थे वे वास्तव में सामन्तवादी विचारधारा के लोग थे, पूंजीवादी विचार-धारा के पोषक लोग थे और एरेस्टोक्रेशी विचारधारा के पोषक और पूजक लोग थे और उनकी वह विचारधारा इस समिति के प्रतिवेदन में पग-पग पर परिलक्षित होती है। यदि यह विचार-धारा न रही होती, उनकी यह मनोवृत्ति न रही होती तो मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूं कि दो हजार रुपया वेतन पाने वालों का वेतन बढ़ाया जाए और आज की भीषण महंगाई में निम्नतम वेतन स्तर मान का आरम्भ सिर्फ ५५ रुपया रखा जाता। मैं नहीं समझ पाता हूं कि एक साधारण परिवार, जो कम से कम औसतन पांच सदस्यों का होता है ५५ रुपये में कैसे अपना काम चलाएगा यदि हम मासिक लें तो यह ११ रुपये प्रति व्यक्ति पड़ा और पांच आने प्रति दिन पड़ा मेरी समझ में नहीं आता कि केवल पांच आने प्रति दिन में एक व्यक्ति कैसे अपना काम चला सकता है।

मेरी समझ से वेतन समिति के सदस्यों ने इस समस्या पर विचार नहीं किया। समिति ने केवल इतना किया कि पहले की समितियों की रिपोर्ट से कुछ आंकड़ों को ले लिया और उनका कुछ गुना कर दिया, उन्होंने सिर्फ यह काम किया है। यदि वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते तो उन्हें वस्तुस्थिति समझ में आ जाती। यही नहीं उन्होंने साधारण परिवार को ढाई व्यक्तियों का माना है। मैं नहीं समझता कि ढाई व्यक्तियों का परिवार कौन सा होगा। और यदि होता है तो मुझे बताया जाय कि कहां और किसका परिवार ढाई व्यक्तियों का होता है। यदि नहीं होता है तो यह सीमा क्यों रखी गयी है। हमें वास्तविकता की ओर जाना चाहिये और जो वस्तुस्थिति है उसको देखना चाहिये। मैं तो समझता हूं कि आज की स्थिति में सौ रुपये से कम प्रतिमास किसी का वेतन नहीं होना चाहिये और जो समिति ने वेतन क्रम सौ से कम रखे हैं उनका आज की भीषण महंगाई के जमाने में कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर २ हजार रुपये पाने वाले के लिये भीषण महंगाई है और उसका वेतन ढाई सौ रुपया बढ़ाया गया है तो क्या कारण है कि ५५ रुपया पाने वालों के लिये भीषण महंगाई नहीं समझी गयी है, इसका जवाब जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है उनको देना चाहिए। यह कार्य वास्तव में उसी विचारधारा का द्योतक है जिस विचारधारा के अनुसार अंग्रेज यहां काम करते थे। उस समय जो व्यक्ति केवल हस्ताक्षर करता था उसका वेतन सबसे ज्यादा रखा जाता था और उसको लेजी और निकम्मा बना दिया जाता था और जो वास्तव में काम करने वाले आदमी हैं, जिस पर समाज की बुनियाद है और जो परिश्रम करते हैं उनको कुचला जाता था, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, उनको जरूरी सुविधायें नहीं दी जाती थीं। यही मनोवृत्ति इस समिति के व्यक्तियों की रही है। समिति ने जो कुछ पहली रिपोर्टों के आधार पर लिखा है उन्होंने उस भावना को कार्यान्वित नहीं किया है।

समिति ने पृष्ठ १४ पर लिखा है—"राज्य को, एक सेवायोजक के रूप में अपने किसी भी कर्मचारी को पारिश्रमिक उतने से कम नहीं देना चाहिये जितना कि उसकी भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आवश्यक हो"। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रतिवेदन में इस बात की ओर ध्यान दिया गया है और क्या इसका कार्यान्वयन किया गया है? इसमें आगे लिखा है—"यह कि निम्नतम वेतन और मजदूरी सामाजिक और आर्थिक दोनों दशाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किये गये स्तर से नीचे नहीं होना चाहिये।" अगर इसको ध्यान में रखा गया होता तो ५५ रुपये का वेतन निर्धारित न किया गया होता। और वास्तव में स्वयं सरकार ने इस बात को मान लिया है। मैं नहीं समझता कि इस समिति के अधिकारों का दायरा कम था या सरकार ने उसको एक संकुचित दायरे में काम करने के लिये

[श्री बसन्त सिंह]

कहा था और इस चीज को देखते हुये उसने कार्य किया है। समिति ने यह लिखा है कि—"वेतन मानों का अभिनवीकरण तब तक समुचित रूप से नहीं किया जा सकता जब तक कि सेवाओं का, कार्यों का युक्तिसंगत आधार पर वर्गीकरण न कर दिया जाय।" समिति ने स्वयं माना है कि "स्थूल रूप से सेवाओं का वर्गीकरण परम्परागत आधार पर किया गया है न कि वैज्ञानिक आधार पर"। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुये जो वैज्ञानिक आधार होना चाहिये उस वैज्ञानिक आधार को निश्चित करने के बाद जो वर्गीकरण सेवाओं का होना चाहिये था वह समिति नहीं कर सकी है यह समिति स्वयं मानती है। समिति आगे कहती है—"हम समझते हैं कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि आधुनिक ज्ञान और प्रशासनिक अनुभव को ध्यान में रख कर इससे अधिक युक्तियुक्त और अधिक वैज्ञानिक आधार पर "कार्य वर्गीकरण" किया जा सकता था और उनके पदनाम निर्धारित किये जा सकते थे। किन्तु हमसे ऐसा करने के लिये नहीं कहा गया है।" सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे। जो छोटे वेतनक्रम हैं मैं समझता हूं कि वास्तव में उनको और भी कम किया गया है। जब मैं यह बात कहता हूं तो इसके पीछे यह भावना है कि सन् ४७ के वेतनक्रमों को अगर कुछ देखने में बढ़ा दिया गया है तो यह सोचना पड़ेगा कि सन् ४७ में रुपये का क्या मूल्य था और आज उसका क्या मूल्य रह गया है। जिस हिसाब से रुपये का मूल्य कम हुआ है क्या उसी हिसाब से वेतनों में वृद्धि की गयी है।

उपयोगिता के सिद्धान्त को समिति ने स्वीकार किया है लेकिन उपयोगिता के सिद्धान्त का समिति ने बार बार खंडन किया है, उसका पालन नहीं किया है। इसके उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा। समिति इस बात को भी मानती है कि व्यक्ति की क्षमता के अनुसार काम लिया जाय और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे वेतन दिया जाय। परन्तु जब वेतन क्रम निर्धारित करते हैं और बड़े वेतन क्रम के लोगों का वेतन बढ़ाते हैं तो मैं यह समझ सकता हूं कि समिति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। वास्तव में कुछ सिद्धान्तों का भी इसमें जक्र किया गया है लेकिन समिति ने उनका १/१०० भी पालन नहीं किया है और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि उनकी मनोवृत्ति सामन्तवादी थी। दूसरे उनके पास समय नहीं था। जब भी इस प्रकार की कोई समिति बनायी जाय तो यह देखा जाना चाहिये कि जिन लोगों को सरकार उस समिति में रख रही है वास्तव में उनके पास समय हो और वे अपनी उस जिम्मेदारी का वहन कर सकते हों। हमें समस्याओं का समाधान करना चाहिये न कि उनको उलझा देना चाहिये। ऐसा न करने से राज्य का पैसा भी लगता है और शक्ति का अनावश्यक दुरुपयोग भी होता है।

मैं अब सरकार का ध्यान कुछ ऐसी चीजों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि लोगों में असन्तोष का कारण बनी हुई हैं। वास्तव में इस प्रतिवेदन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया है और समिति के पास समय का अभाव रहा है। जो पहले कम वेतन पाते थे उनका वेतन कुछ बढ़ा है लेकिन जिस हिसाब से उन का वेतन बढ़ना चाहिये था वह नहीं बढ़ पाया है। कहीं-कहीं ऐसा हुआ है कि विभाग के जो कर्मचारी, ऊपर काम करते थे, उनका वेतन वहीं रह गया और जो उनके नीचे काम करने वाले लोग थे उनका वेतन बढ़ा दिया गया। ऐसी बात कई जगह मिलती है। इसे देखना चाहिये। मैं इसके उदाहरण दे सकता हूं लेकिन चूंकि समय का अभाव इसलिये उन पर दृष्टिपात करना संभव न होगा। एक अनामली कमेटी बनायी गयी थी। एक सज्जन ने उस पर व्यंग करते हुए कहा कि उसने अनामलीज को रिमूव करने के बजाय एनामलीज को पैदा किया। इस प्रकार इस कमेटी ने एनामलीज उत्पन्न कर अपना नाम सार्थक किया। एनामलीज दूर करने के लिये यदि इसका निर्माण होता तो इसका नाम एनामलीज रिमूवल कमेटी होता। और वास्तव में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उसने कई स्थानों पर एनामोलीज को पैदा किया है। पे रेशनलाइजेशन कमेटी ने फुर्सत का समय पा कर जो थोड़ी बहुत अच्छी चीजें करदी थीं, उस कमेटी ने उनको बिगाड़ दिया है। वास्तव में समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सरकार एक स्थायी

वेज बोर्ड की स्थापना करे जो समय-समय पर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वेतन बढ़ाता रहे। ऐसा होने से यह जो रोज-रोज के स्ट्राइक होते हैं, उनमें कर्मचारियों का समय शक्ति और धन व्यर्थ ही व्यय होता है उसकी बचत हो सकेगी और असन्तोष भी समाप्त हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि केन्द्र, प्रान्त तथा स्थानीय निकाय, इन तीनों के कर्मचारियों के वेतन समान कार्य के लिये समान होने चाहिये। इसका अभाव एक भीषण असन्तोष पैदा करता है। केन्द्र के कर्मचारी उसी नगर में रहते हैं, समान कार्य करते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा प्रान्तीय कर्मचारी को वेतन कम मिलता है और स्थानीय निकाय के कर्मचारी को और भी कम वतन मिलता है। कहा जा सकता है कि इसमें केन्द्र का अधिकार आता है, परन्तु सरकार यहां भी कांग्रेस की है और केन्द्र में भी, इसलिये यदि समान कार्य को करने वाला कर्मचारी है, चाहे वह प्रान्त का कर्मचारी हो अथवा केन्द्र का, अथवा स्थानीय निकाय का, उसे समान वेतन मिलना चाहिये। ऐसा न होने से ही स्थानीय निकाय का कर्मचारी सबसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसलिये आवश्यक है कि समान कार्य करने वालों का समान वेतन दिया जाय। जनतंत्र का तकाजा भी है कि जनता की संस्थाओं को श्रेष्ठता दी जाय और यह तभी सम्भव हो सकेगा जब जनता की संस्थाओं के कर्मचारियों को सरकार के कर्मचारियों की श्रेष्ठता दी जाय।

इस कमेटी ने कर्मचारियों के ग्रेड कम अवश्य किये हैं लेकिन जितने कम किये जा सकते थे उतने कम नहीं किये हैं। कई स्थानों पर अधिक ग्रेड रहने दिये गये हैं। वास्तव में यदि ग्रेड कम किये जाने पर ध्यान दिया जाता तो केवल दस प्रकार के ग्रेड या वेतन मान रखे जा सकते थे। किसी एक विभाग में इससे अधिक वेतन मान नहीं होते। विभिन्न विभागों में समान उत्तर-दायित्व के लिये समान वेतन रखा जाना चाहिए था। इस हालत में अच्छा काम करने वाला व्यक्ति एक ही विभाग की ओर आकर्षित न होकर किसी भी विभाग की ओर जा सकता था और ऐसा होने से सभी विभागों को अच्छे व्यक्ति मिल सकते थे। किन्तु जब किसी विभाग में अच्छा वेतन मिलता है और दूसरे विभाग समान उत्तरदायित्व के लिये उससे कम मिलता है, तो नतीजा यह होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जहां अच्छा वेतन मिलता है, वहां चले जाते हैं और जहां कम वेतन मिलता है वहां अच्छे व्यक्तियों का अभाव हो जाता है। फलतः विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में संतुलन नहीं रह जाता और इस कारण से जो सर्वतोमुखी विकास हम देश का करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। उसमें हम पिछड़े जाते हैं।

मान्यवर, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का कार्य भी सरकारी कर्मचारियों की ही तरह का होता है उसके वेतन आदि पर बिचार करना इस आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर था। उनके लिये एक अलग आयोग की स्थापना होनी चाहिये। सन् १९४७ में सेनेटरी इंस्पेक्टरों को जितना वेतन मिलता था आज भी वे उतना ही वेतन पा रहे हैं। उत्तरदायित्व उनका दिन प्रति दिन बढता जा रहा है, उस हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन अभिनवीकरण समिति ने उनका वेतन बढाया था परन्तु एनामली कमेटी ने फिर पूर्ववत ही कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का वेतन उसके नीचे कार्य करने वालों के बराबर ही रखा गया है। कहीं-कहीं तो कुछ का वेतन उनके नीचे काम करने वाले लोगों से भी कम रखा गया है। इससे कर्मचारियों में ईमानदारी से काम करने की भावना को ठेस लगती है। माडेल असिस्टेन्ट का वेतन उनके नीचे काम करने वालों से कम रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों है? जब कि वे इन्टर विज्ञान से पास होते हैं और तकनीकी ज्ञान भी रखते हैं। हाई स्कूल पास रुटीन ग्रेट क्लर्क का वेतन उनसे अधिक रखा गया है।

एक्सटेंशन टीचर्स और ट्रेन्ड के वेतनों में अन्तर रखा गया है जब कि एक्सटेन्शन टीचर्स को अपने काम के अलावा फील्ड आदि पर जो काम होता है, उसको भी सुपरवाइज करना होता है इस पर समिति ने ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं जब भी ऐसे प्रश्नों पर बिचार करने के

[श्री बसन्त सिंह]

लिये कोई समिति बनायी जाय उसमें ऐसे आदमियों को रखा जाय जिनके ऊपर और कामों का बोझ न हो, तभी वे समस्याओं को अच्छी तरह से समझ कर, उन पर विचार करके अपना निर्णय दे सकते हैं ।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस समिति की रिपोर्ट पर बोलने का अवसर दिया । मैंने कई माननीय सदस्यों का भाषण सुना और सरकार की जो पालिसी एग्जीक्यूट हो रही है, उसको भी स्टडी किया और मुझे बड़ा असन्तोष है उसे देख कर । पे रेशनालाइजेशन कमेटी प्राइमरी रिलीफ के लिये नहीं बनायी गयी थी, कुछ प्राइमरी रिलीफ मिलनी चाहिये थी । उस तरफ कमेटी ध्यान नहीं दे सकती थी । मुझे ताज्जुब है, जो हमारे बड़े नेता हैं, उनकी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ गया है । इससे मुझे बड़ा दुख है । मैं चाहता हूं मुझे एक फ्री सिटीजन की तरह बोलने दिया जाय, मैं चाहता हूं कोई इन्टरफीयरेन्स न किया जाय . . .

श्री अध्यक्ष—

आपको बोलने का अधिकार है, पर आप यह ध्यान रखें कि भाषा असंसदीय न हो ।

श्री चन्द्र सिंह रावत—

जहां असंसदीय हो आप रोक दें ।

मैं यह कह रहा था कि पे रेशनालाइजेशन कमेटी जो बनी, उसका मतलब क्या है । एक दिन मैं इस कमेटी के चेयरमैन, श्री मुकर्जी के साथ एक ही कम्पार्टमेन्ट में दिल्ली से लखनऊ आ रहा था । मैंने उन साहबान, मि० मुकर्जी से कहा कि क्या आप समझते हैं कि पे रेशनलाईजेशन कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करके आप न्याय कर सकेंगे ? ठीक है आपने एक पे स्केल बनाया । लेकिन पे स्केल में जो बढती होती है और डीअरनेस अलाउन्स में जो बढती होती है वह दो और पांच रुपये प्रति सैकड़ा लेकिन बाजार के भाव ओवरनाईट ५० सैकड़ा, ८० सैकड़ा और ९० सैकड़ा बढते हैं । यू कैननाट होप टु इस्टेबलाइज दि मार्केट प्राइसेज थ्रू दि पे रेशनेलाइजेशन कमेटी रिपोर्ट एन्ड थ्रू योर डियरनेस अलाउन्स । सबसे बड़ी जो विचार करने की बात थी और जब हमारी गवर्नमेन्ट ने महान भूल की है वह यह है कि जब तक मार्केट प्राइसेस को स्टैबेलाइज नहीं किया जाय तब तक किसी रिलीफ की सम्भावना नहीं हो सकती । उसमें इनहैरेन्ट डिफिकल्टी है । आपकी पे कमेटी और आपका डीअरनेस अलाउन्स कोई माने नहीं रखते। गवर्नमेन्ट की यह बड़ी भारी गलती है उसको दुरुस्त करना चाहिये । गवर्नमेन्ट मस्ट रैक्टीफाई दि मिस्टेक ह्विच दे हैव कमिटेड " । इस मिस्टेक को रिवर्स दिमाग से ठीक नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय, कान्सीक्वैन्यशल और प्राइमरी रिलीफ को आप अच्छी तरह समझते हैं । इफ देयर इज नो प्राइमरी रिलीफ, देयर इज नो क्वैश्चन आव कान्सीक्वैन्शयल रिलीफ । यह बड़े दुख की बात है कि हमारे सोचने में कितनी कमियां और खामियां हैं । उसको मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं । दूसरी बात यह कि हमने मुल्क को विश्वास दिलाया था कि हम सोशलिज्म के प्रकाश की रश्मि को चारों ओर बिखेरेंगे और इस भारत में नया वसन्त सोशलिज्म का लायेंगे । हम देखते हैं कि सरकार ने जिस बात का ऐलान किया उसके खिलाफ हमने काम किया । सोशलिजम के माने जिसको अधिक उसको कम होना चाहिये था और जिसको कम उसको अधिक होना चाहिये था । जिनकी तनख्वाहें ज्यादा थी उनको अधिक डीअरनेस अलाउन्स देकर आपने मुल्क के साथ विश्वासघात किया । आपने अपनी पालिसी को ही समाप्त किया है । इस बुद्धि से इस दिमाग से आप कभी सोशलिज्म ला नहीं सकते । अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह समझते हैं लेकिन मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि जब हम एक

पालिसी का कमिटल जनता के सामने कर देते हैं तो हमको यह पूर्ण अधिकार है कि सरकार अगर आत्मघात करती है तो उसे रोका जाय। लेकिन यह सरकार समझती है उलटा। जो सरकार को आत्मघात करने की ओर प्रवृत्त करते हैं यह सरकार उसकी पीठ ठोंक देती है। ठीक है, जब किसी को मरने के दिन नजर आते हैं तो उसको अपने मित्र दुश्मन और दुश्मन मित्र नजर आते हैं। मुझे खेद है और में बड़े दुख के साथ अपने बिचारों का इजहार कर रहा हूं कि कम तनख्वाह वालों के लिए क्या बाजार के भाव कम हो गये है। आप देखिये, इन्सान का दिमाग। जानवरों में और इन्सानों में फर्क है। हम जानवर वाली बात इस दिमाग से कर रहे हैं। हमने अपने को इनसानियत के दर्जे से गिरा दिया है, इतनी ही नहीं हैवानियत के दर्जे से गिरा दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बिचारों में और हमारे ऐक्शन में भिन्नता नहीं होनी चाहिये जिस बात को हम कहें उसका प्रैक्टिकल आचरण हमको करना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें कनडम किया जाता चाहिये। लेकिन जब कनडम किया जाता है तो उसको बुरा समझा जाता है मैं उन बड़ी बुद्धि वालों पर चार्ज लगाता हूं कि जो यह समझते हैं वे मुल्क के लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं, कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया गैर इंसाफी कर रहे हैं। गरीब जनता को खाने और रहने की भी गुंजाइश नहीं रक्खी है। मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार ने जमीन पर सीलिंग लगाई, बाजारों पर सीलिंग लगाई, लेकिन इन सर्विसेज पर सीलिंग क्यों नहीं उनकी तंखवाहों पर सीलिंग क्यों नहीं लगाई इसलिये मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट इस सदन का वक्त जाया न करें व साफ और सही तरीक से यह समझाए कि उसने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हाई सेलरीज पर सीलिंग लगती हो। इस प्रकार से सरकार ने अपनी उत्तरदायित्व को नहीं निभाया उसमें वह फेल हुई है, अगर जनता की तकलीफ और दुख नहीं बढ़ती तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन उसकी तकलीफ बढती है और रावत उसको यहां नहीं कह पाता तो उस पर लानत है। जिस दिन रावत यह समझ लेगा कि यहां पर रह कर वह अपनी डयूटी नहीं कर पाता तो वह सदन को छोड़ कर चला जायगा।

कहा जाता है कि हमने जो पालिसी अख्तियार की है उससे कंटरी फारवर्ड जायेगा। लेकिन आपके कामों से कंटरी बैकवर्ड जा रहा है। क्यों? हम बिना समझे किसी बात को सदन में कहना गुनाह समझते हैं। डीयरनेस को ही ले लीजिये, जो डीयरनेस आप ने दिया है उससे डिसपैरिटी और अधिक बढी है अधिक वाले को अधिक और कम वाले को कम। यह आपका सोसलिज्म कैसा? समानता कैसी? आपने अपने सोसलिज्म की पालिसी को इम्पलीमेन्ट क्यों नहीं किया? प्रदेशीय सरकारी के नौकर भी यहीं रहते हैं और केन्द्रीय सरकार के नौकर भी यहीं रहते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों के लिये सरकार ने भावों में कोई फर्क कर रक्खा है क्योंकि दोनों को डियरनेस मिलता है वह बिलकुल भिन्न है एक ही स्थान पर आपने दो प्रकार की चीजें क्यों कर रक्खी है? क्या आप अपने एक्शन को जसटीफाइड कर सकते हैं? आप इसको जसटीफाइड नहीं कर सकते हैं? और जो इस बात को कहते हैं कि हम झूठ कर रहे हैं, उनकी बुद्धि पर तरस आना चाहिये मैं समझता हूं उनके लिये स्वर्ग की सीढ़िया बहुत दूर होवेंगी। जिस कुत्ते के बाल झड़ गये हों और दुम उखड़ गई हो उसकी तरह, उसकी जिन्दगी की तरह अगर हम सदन में रहना चाहते हैं तो वह उचित नहीं है। इससे मुल्क की ताकत घटती है और बदनामी होती है। मैं माफी चाहूंगा इसके लिये कि मैं इस संबंध म सरकार की बगावत और मुखालफत करता हूं लेकिन आप समझेंगे कि यह बगावत नहीं है यह तो सरकार की दावत है, हम इस सरकार को वक्त से सचेत करते हैं और उसे हम सही रास्ते पर लाना चाहते हैं लेकिन भगवान जाने कि इस सरकार की बुद्धि में कहां से पत्थर पड़ गये हैं कि वह समझती है कि जो इस तरह से सही बात कहते हैं वह मुल्क के दुश्मन हैं। मैं पूछना चाहता—हूं कि क्या इस संबंध में हमने इस दृष्टिकोण से जनता की कोई सेवा की है। गवर्नर साहब के साथ दावत होती है हम इस तरह की दावत को पसन्द नहीं करते, ऐसी दावते गरीब मुल्क की तबाही के साथ होती हैं और लानत है ऐसी दावतो पर और ऐसी दावतों को खाने वालों पर और ऐसी दावतों को देने वालों पर....

श्री उग्रसेन—

माननीय अध्यक्ष, पहले तो मुझे इस बात का बहुत ही दुख है और मैं अपने इस दुख का इजहार सदन में करना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण यह विषय आज सदन में बिचारार्थ प्रस्तुत है जिससे कि प्रदेश के साढे ५ लाख में कर्मचारियों और उनके २० लाख परिवारों के लोगों का

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर अधिठाता, श्री जगदीश प्रसाद पीठासीन हुए।)

संबंध है और जिससे उनकी जिन्दगी और मौत का सीधा सवाल जुड़ा हुआ है उससे माननीय सदन के सदस्यों में कोई गंभीरता और दिलचस्पी नहीं दिखाई देती और हमारी यह बदकिस्मती है कि जिस विषय पर आज यहां चर्चा हो रही है उसमें हमारे साथी श्री कृष्णानन्द राय जैसे व्यक्ति भी इतनी गंभीरता से दिलचस्पी नहीं लेते और महत्व उसको नहीं देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है ? जो खुद नहीं मरता वह नर्क और स्वर्ग को दूसरे की चिट्ठी को पढ़कर नहीं देख सकता। आज यह जो साढ़े ५ लाख सरकारी कर्मचारी हैं इनके मुंह उदास हैं, उनका मांग पत्र मैंने देखा, तमाम कापियां भरी पड़ी हैं। उन्होंने अपनी मांगे वेतन अभिनवीकरण समिति के सामने रखीं, सरकार के समक्ष रखीं और माननीय सुचेता कृपालानी मुख्य मंत्री के सामने रखीं और ३० हजार आदमियों का प्रदर्शन उनकी मांगों को लेकर इसी भवन के सामने हुआ लेकिन कोई नतीजा इस सब से नहीं निकला। उनकी तकलीफ को यह चीफ सेक्रेटरी के० के० दास क्या समझे जो खुद २,२५० रुपए के ग्रेड में हैं ? वह गरीबी को क्या जानें ? वह अगर ५५ रुपये के ग्रेड में होते तब पता चलता कि उस ग्रेड में रहकर वह किस तरह से गुलाब का फूल लगाकर चल सकते। न उन्होंने कोई सुनवाई की और न सरकार को कोई राय ही दी। उनके नारों में कोई दम है या नहीं यह समय बतायेगा। जो पपीहा पी पी की आवाज करता है और वह सीप जो मुंह बाये स्वाति के लिये ऊपर देखता है उसकी आवाज में क्या कम दम होता है। राजकीय कर्मचारी हमारे पास आये, उन्होंने कहा कि वेतन अभिनवीकरण समिति ने तो हमारा नाश कर दिया और उसके बाद जो त्रुटि समिति बैठी उसने तो हमारा महानाश कर दिया।

अब माननीय सुचेता जी ने यह महानाश कराया हम क्या करें। हमने रास्ता बताया। उन्होंने प्रदर्शन किये उनकी बेगमों ने लखनऊ की गरीब बेगमों ने, राज्य कर्मचारियों की बेगमों ने अपने कष्ट का इजहार किया, नारे लगाये। लखनऊ की बेंगमें मशहूर हैं। हमारे सरकारी कर्मचारियों की बीवियों ने फटे चिथड़ों में अपने भूखे नंगे बच्चों को गोद में लेकर इसी सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन किया परन्तु हमारी माननीया मुख्य मंत्री उनके समक्ष नहीं आयीं। कितने शर्म की बात है। तो इससे भी कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कोई गंभीरता नहीं आ रही है। बहुत से माननीय सदस्य भी मजाक उड़ा रहे हैं। असल में जो लोग हैं, उनमें कोई जनबल नहीं है। अगर वे एक दिन भी उत्तर प्रदेश को बन्द करदें तो सब कुछ हो जावेगा। बंगाल में बम गिराया गया। उनकी पे कमेटी बनी और उसने अपना जो निर्णय दिया वह लागू भी कर दिया गया। अभी कुछ दिन हुए केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढाया। उसे सुनकर सारे प्रदेशों के कर्मचारियों की मांग हुयी कि हमारा मंहगाई भत्ता भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान किया जाय। उत्तर प्रदेश के कर्मचारी भी आन्दोलित हुए। सब प्रदेशों में आन्दोलन हुआ। बंगाल में आन्दोलन हुआ। उन्होंने वृद्धि कर दी। लेकिन माननीया सुचेता कृपालानी की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी।

बंगाल बन्द हुआ तो आपने राजकीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। केरल बन्द हुआ तो आपने राइस का क्वान्टम बढ़ाया। बिहार बन्द हुआ तो वहां के मुख्य मंत्री ने राज्य कर्मचारियों को मूंगफली बेचने की सलाह दी। और हुआ क्या कि वहां के लगभग ५० हजार कर्मचारियों ने सचिवालय के सामने मूंगफली बेचनी आरम्भ कर दी। जब विधायकगण, जो उधर से गुजरें ने पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा, कि हमारे मुख्य मंत्री ने यही कहा है कि तुम मूंगफली बेचो। तो इसलिये अपनी गुजर करने के लिए हम मूंगफली बेच रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन हुए एक अखबार में पढा था कि एक प्रदेश के कर्मचारियों ने पालिस करना आरम्भ

कर दिया और जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम तो अवर वर्ग के कर्मचारी हो ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि सरकार की नौकरी से ज्यादा तो हमें पालिश करने से पैसे मिल जाते हैं।

इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कराने में जो १५ करोड़ का व्यय हुआ है उसमें भी उन बड़े बड़े लोगोंको ही फायदा हुआ है जो कि ६५०-५०-१,४०० रु० और ८५०-१५०-२,२५० के ग्रेड में हैं। नीचे वाले कर्मचारियों को कुछ फायदा नहीं हुआ है। पर इतना होते हुए भी हमने कहा कि ले लो लेकिन उसके बाद में एक त्रुटि कमेटी बिठा दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी बुनियाद क्या है उसकी कौन्सटीटयूशनल पोजिशन क्या है। आपने त्रुटि कमेटी बना दी और उसने रोडवेज के कन्डक्टर का स्केल १००-१८० के स्थान पर ८०-१४० कर दिया। नीचे को उठाया नहीं गया है। उसको गिराया ही गया है। जिनको ऊपर उठाया गया है वह हैं रोडवेज के जनरल मैनेजर, जिनको १,५०० रुपये मिलते हैं। उन्हें एक स्पेशल पे भी मिलती है जिसे विशेष वेतन भत्ता भी कहते हैं। वे लखनऊ में रहेंगे, उनके टायर कम घिसेंगे, उनके लड़के अच्छी शिक्षा पायेंगे लेकिन फिर भी उन्हें एक विशेष वेतन दिया जायगा। हमारे यहां के चपरासी क्या पायेंगे? हमारी माननीय मुख्य मंत्री को यह भी पता नहीं है कि उनके चपरासी का वेतन भी कम हो गया। उन्होंने कहा कि हमको मालूम नहीं है। उनको मालूम इसलिये नहीं है कि उनको छोटे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। रोडवेज के मजदूरों के मामले को तो हम हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं लेकिन हमारे राजकीय कर्मचारियों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें अब क्या करना है।

१९४७ में एक पे कमेटी बैठी थी। उसी के आसपास एक लेबर इन्क्वायरी कमेटी भी, श्री आर० एस० निम्बकार की अध्यक्षता में मजदूरों के मामले में बैठी थी। उन्होंने अपनी सिफारिशें की थी कि मजदूरों को जीवनतम मजदूरी मिलनी चाहिये। उन्होंने १५० रु० की सिफारिश की। फिर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने एक लेबर कमीशन बैठाया। तो उसने कहा कि कम से कम किसी आदमी को मजदूरी और महंगाई भत्ता कितना होना चाहिए, इसके द्वारा पूरा खुलासा किया गया। मगर पे कमेटी ने इस पर गौर नहीं फरमाया। अगर आप कमेटी की रिपोर्ट में उसकी सिफारिशों को देखें तो कहीं भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है। आपने क्या वर्ग तोड़ा? कहने के लिये आपने वर्ग १, २, ३ और ४ बना दिया। वर्ग तीन और चार के कर्मचारियों में तो वही माली, चौकीदार, चपरासी, क्लर्क आदि आते हैं। नं० २ में डिप्टी कलेक्टर, पुलिस कप्तान, और नं १ में प्रादेशिक सरकार और केन्द्रीय सरकार के वे लाड़ले आते हैं जो ऊपर के हैं। इस तरह से आपने ४ वर्ग तो बना दिया लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि आपने पद कितना से कितना बना दिया। यह भी आप देख लें कि पहले कितने पद थे और अब कितने पद हो गये। आपने ४५-४६ ग्रेड्स बना दिये हैं। आपने एक ग्रेड ८०-१४० का बनाया है लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि एक जगह तो ८०-३-१२० है और दूसरी जगह ८०-३-१४० है। एक जगह १००-५-१५० है और दूसरी जगह १००-५-२०० है, इन दोनों में कितना विरोधाभास है। दूसरी तरफ सरकार के जो लाड़ले हैं उनके ग्रेडस का आप मुलाहिजा फरमावें। ७५०-५-१,४००-१५०-१,८०० और इस तरह से बढ़ते-बढ़ते वह २७५० तक जाता है। हमने यह सुझाव दिया था कि १ हजार से ऊपर जिनकी तनख्वाह है उनको मंहगाई भत्ता न देकर इमर्जेंसी के मौके पर सुरक्षा कोष में चन्दा के तौर पर ही उनसे ले लिया जाय लेकिन हमारी राय को सरकार ने नहीं माना। दर्जा तो आपने ४ बनाया और २५ किस्म की पढ़ाई कर दी, किसी को बेसिक रीडर पढ़ाने लगे तो किसी को उर्दू का गुलिस्तां पढ़ाने लगे।

हमारे पास सिनेटरी इंसपेक्टर आते हैं और कहते हैं कि पहले जहां हमारी तनख्वाह १२०-२१०, १५०-२६० और १५०-३०० थी अब वहां १२०-२२० कर दिया गया है। फिर आगे लिखा है कि २५ परसेन्ट पोस्ट्स को २५०-३०० के ग्रेड में कर दिया गया है। जो चपरासी हैं, बुकिंग क्लर्कस आदि हैं, कंडक्टर्स हैं, उनका तो इस एनामली कमेटी ने सर्वनाश ही कर दिया है।

[श्री उग्रसेन]

महंगाई भत्ता बढाने की मांग बराबर की जा रही है, केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता बढाया उसी हिसाब से सरकार को चाहिये कि वह अपने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढावे। आपने महंगाई भत्ता तीन तरह का रखा है, १५, २५, रु० और ३५ रु०। आप देखें कि कानपुर के कपड़ा मिलों में मंहगाई भत्ता क्या मिलता है, करीब ९७ रु० वहां महंगाई मिलता है। बम्बई कारपोरेशन मेहतरों को महंगाई भत्ता १३७ रु० ८५ न० पं० मिलता है लेकिन हमारे यहां महंगाई भत्ता उतना नहीं दिया जाता है जितना कि मिलना चाहिये और उसको खत्म करने के लिए दाम बांध दीजिए और मिल के बने सामान का दाम लागत से ड्योढ़ा न हो तथा खाद्यान्न का सवाई से ज्यादा दाम न हो। आप चाहते हैं कि चपरासी १ रु० की मिट्टी के तेल की बोतल खरीदे, यह कैसे सम्भव है। आप को चाहिए चीनी १२ आने किलो बिकवायें, ४ आने गज बम्बई और शोलापुर का कपड़ा बिकवायें। लेकिन हो क्या रहा है? ढाई रु० गज बिकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नतीजा यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। मन्त्री लोग क्या करते हैं? हमारे यहां श्रम मन्त्री जी गए थे, बड़ा जलसा हुआ, एक श्रम हितकारी केन्द्र का उद्घाटन करने गए थे। वहां मन्त्री जी नाच देखते हैं और जब लौट कर आते हैं अखबार में बयान देते हैं कि मैं कर्मचारियों के दुख से दुखी हूं। मुझे नीरज की कविता याद आती है जिसका लब्बो-लबाब यह कि भूख इन्सान को गद्दार बना देती है। इसलिए मैं प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार को बन्द करो तब यह सरकार तुम्हारी बात मानेगी अन्यथा कुछ नहीं करेगी।

*डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, वेतन अभिनवीकरण समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत है उस में यह बात मैं मानती हूं कि बड़ी मेहनत करके, उन व्यक्तियों ने जिनकी जिम्मेदारी थी कि सही-सही हर कैटेगरी के इम्प्लाइज की बातों को समझें और इस तरीके विभाजन करें कि जिससे आज की जो हालत है और जो उन की मांग है उस में सुधार हो सके। इस के लिए जो प्रयास किया गया वह अपनी जगह पर सराहनीय है। लेकिन साथ ही साथ में यह भी मानती हूं कि जितना बड़ा यह काम था और जितना जटिल था उस दृष्टि से कुछ त्रुटियां इस में रह गई हैं। और यही इस बात का प्रमाण है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सरकार को एक अनोमली कमेटी बनानी पड़ी और कुछ महीने उस को भी विचार करना पड़ा कि कहां-कहां त्रुटियां रह गई हैं। लेकिन इस के बावजूद भी वे त्रुटियां मौजूद हैं और उस के बाद जो जी० ओ० निकले उन में भी बड़ी असंगतियां हैं। इसलिए सरकार को यह विचार करना होगा कि यही फाइनल नहीं है और फिर से जो त्रुटियां रह गई हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक हमारे सुझावों के अनुसार और जो नए रेप्रेजेन्टेशन्स आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं उन पर पुनः विचार करके जो भी त्रुटियां हैं जिन को कि बड़ी आसानी से सरकार दूर कर सकती है दूर करके अपने इम्प्लाइज को वह सन्तुष्ट कर सके और साथ ही साथ जो एक नई चीज कीमांग वह भी पूरी हो सके। साधारण रूप से जब तनख्वाहें निश्चित की जाती रही हैं वे किस तरह तय की जाय उस में जो एक परम्परा रही खास तौर से यूटिलिटी की जो सर्विसेज हैं उनकी जो यूटिलिटी है वह डिटरमिन करती थी पे स्केल को। उस के बाद आज की वेलफेयर स्टेट में यह भी देखा जाता है कि यूटिलिटी के साथ कम्युनिटी के ऊपर सामूहिक रूप से उन सब कर्मचारियों के कार्यों का कितना असर है। और कहां तक वह उपयोगी हैं। योग्यता अपनी जगह पर है लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी भी आवश्यकतायें हैं जिनको पूरा करना स्टेट का फर्ज है। तो इन दोनों को मिला कर के ही आज के बदले जमाने में तनख्वाहें निश्चित की जा सकती है। पे रेशनलाइजेशन कमेटी जब बनायी गयी थी उस समय मांग हुई थी कि मंहगी बहुत अधिक है और सन् १९४७ के बाद से अभी तक उत्तर प्रदेश में इस पर फिर से विचार नहीं किया गया। सरकार ने पे कमेटी तो बनायी नहीं, लेकिन पे रेशन-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाइजेशन कमेटी बनायी और उसके द्वारा दोनों ही बातें सामने आ गयीं। अपग्रेडिंग भी की गयी और साथ ही साथ जो ३४५ ग्रेड्स थे उनको कम करके ५२ में बदल दिया गया। लेकिन प्रश्न दो अलग-अलग थे। एक प्रश्न था कि १९४७ से १८ वर्ष में बहुत अन्तर हो गया।

उदाहरण के लिए मैं चपरासी की तनख्वाह की बात करूंगी। उसकी जो २७ रुपए तनख्वाह थी वह मंहगाई मिला कर ६०–६५ तक चली आ रही थी। जब पी० आर० सी० की रिपोर्ट आयी तो उसकी बेसिक पे ५५ रुपए कर दी गयी लेकिन साथ ही साथ मंहगाई भत्ता केवल १५ रुपए किया गया। इस तरह दोनों मिला कर टोटल ७० रुपए पड़ता है। इन १८ वर्षों में समय बहुत बदल चुका है। स्टैंडर्ड आफ लिविंग कास्ट आफ लिविंग, प्राइस इन्डेक्स, इन सब को देखते हुए यह काफी वक्त था कि हम उनके पे स्केल्स को बढ़ायें। उसके बाद दूसरा इश्यू डी० ए० को बढ़ाने का जोकि द्वितीय महायुद्ध के बाद हिन्दुस्तान में पहली बार लागू किया गया था। उसको भी समय-समय पर बढ़ाया गया था। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियन रखा गया था कि कहीं २५ परसेन्ट, कहीं ३० परसेन्ट, कहीं ४० परसेन्ट, इस तरह बढ़ाने की बात थी, लेकिन इस बार पी० आर० सी० में तनख्वाह तो बढ़ायी गयीं लेकिन जो डी० ए० था उसको निश्चित करने में जो आज का बढ़ा हुआ प्राइस इन्डेक्स है उसका खयाल नहीं रखा गया। १५ रुपए, २५ रुपए और ३५ रुपए जिस आधार पर मंहगाई भत्ता निश्चित किया गया इसका कोई जस्टिफिकेशन कहीं पर उसमें नहीं है बल्कि जहां तक मैंने पढ़ा मैंने तो यही देखा कि कमेटी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यह कहना मुश्किल है कि कहां पर जा कर महंगाई रुकेगी। फिर भी लोगों की राय पर चलते हुए कमेटी ने सन् १९६०–६१ का जो प्राइस इन्डेक्स था उसके आधार पर मंहगाई भत्ता देने की बात सोची। आज हम १९६६ में बात कर रहे हैं और १९६०–६१ का प्राइस इन्डेक्स लिया गया तो यह कहां तक उचित है। तब से अब प्राइसेज न मालूम कहां पहुंच गयी हैं। साथ ही साथ कमेटी ने स्वीकार किया , मुझे इसकी खुशी है और मैं चाहूंगी कि सरकार यह घोषणा कर दे तो हमारे इम्प्लाइज को काफी सन्तोष होगा, मेरे पास रिपोर्ट अंग्रेजी में है इसलिए मैं आपकी आज्ञा से दो, एक लाइनें अंग्रेजी में ही पढ़ूंगी। इसमें लिखा है:

"Therefore, we would suggest that any increase in the D. A. which the Union Government may allow to their employees after August, 1965 may also be allowed to the State Employees."

अन्त में उन्होंने कहा—

"The cost of living allowance at present admissible to the Government of India employees is to be ignored and only the increase or decrease that may be made hereafter for any category of employees under the Government of India may be adopted by the State Government."

इससे यह साफ मालूम होता है जहां एक ओर यह कहा गया है कि वर्तमान समय में इस बात को न छेड़ा जाय लेकिन इस बात को जरूर स्वीकार किया गया है कि भविष्य में स्टेट इम्प्लाइज का जो भत्ता है तथा कन्द्रीय सरकार का इम्प्लाइज का भत्ता है उस हिसाब से उनके भत्ते में बढ़ोत्तरी की जाय। हमारी सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया है लेकिन मेरा खयाल है कि इस समय जो दिया गया है वह बहुत कम है और उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं ठहरता है। सन् ६६ में जो महंगाई है और सन् ६१ की बात कही जाय और प्रति वर्ष हमारी मंहगाई बढ़ती जा रही है इस पर हम लोगों को विशेष तौर से गौर करना चाहिए कि किस तरह की इकोनामी से हम गुजर रहे हैं। उसने खास तौर से मुद्रा इस्फीती कर दी है, रुपए की कीमत उससे कम होती चली जा रही है और आज हमारे देश में मूल्यों का स्तर रहना कठिन हो रहा है क्योंकि जो इंवस्टमेंट होता है प्वानिंग के द्वारा उसके बदल में जो रिटर्न होता है वह बहुत कम है। मुद्रा इस्फीती को सरकार अगर नहीं रोक पाती है तो इम्पलाइज को यह कह कर दबाना कि आज ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वह उनको अधिक मंहगाई भत्ता दे सके कहां तक उचित होगा ?

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

मैं तो यह समझती हूं कि हमारी समाजवादी व्यवस्थायें जब हम प्लांड इकोनामी की बात करते हैं तो हमको उन कर्मचारियों का विशेष खयाल रखना चाहिए जो कि इस प्लान को आज चला रहे हैं। अगर हम इम्पलाइज को सन्तुष्ट रखते हैं तो उनके द्वारा उस वक्त जो काम होता है वह ज्यादा होगा बनिस्बत उनको असन्तुष्ट रख कर, उनमें अनुशासनहीनता पैदा करने के बाद हम उनकी बात सुनें। ये रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जायगा, लेकिन कहीं-कहीं पर विशेष तौर से भूल हो गयी है जिस ओर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। हमारे जो प्रसार अध्यापक हैं योजना के अन्तर्गत काम करने के लिए उनको एल० टी० ग्रेड दिया जाता था लेकिन वेतन अभिनवीकरण समिति ने उसको १६०–२८० कर दिया जब कि काम वे वही करते हैं जो कि बी० ए० एल० टी० करते हैं जिनको १५०–३५० दिया जाता है। ये लोग देहात में काम करते हैं, ब्लाक स्तर पर खेती के काम में मदद देते हैं। उनकी ड्यूटी अधिक है और उनको गर्मी का अवकाश नहीं दिया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि वह ज्यादा काम करें। मैं यह चाहूंगी कि इसके लिए अलग से जी० ओ० निकाला जाय। जब रूस में क्रांति हुई तो लेनिन और स्टालिन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा रूस के निर्माण में लगे। उस समय अर्थ शास्त्रियों ने विश्वास दिलाया कि जो प्रारम्भिक शिक्षा पर पूंजी लगाई जाती है, उसमें श्रमिकों की कार्यक्षमता पर बहुत अच्छा असर होता है। और करीब करीब उत्पादन में ४० प्रतिशत की वृद्धि होती है। उन्होंने यह भी आंकड़े बताए कि जो माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक हैं उन पर जो पैसा खर्च होता है उसका ३०० प्रतिशत रिटर्न मिलता है। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ की राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उसका ३० प्रतिशत शिक्षा के ऊपर व्यय के रिटर्न में मिला। इस निर्माण युग में हम विशेषकर खयाल करना हो कि जो स्नातक गांव-गांव में जा कर चाहे कृषि के क्षेत्र में हों या शिक्षा संस्थाओं के क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगे हुए हैं जिसके ऊपर हमारा भविष्य निर्भर करता है, उनके ऊपर दस बीस रुपए का फर्क पड़ता है तो न खयाल करें। वह पंजी आगे चल कर आपके लिए लाभदायक होगी। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी तनख्वाह और मंहगाई का भत्ता मिला कर १०० तक नहीं पहुंचता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने स्केल में थे उनका मैक्सिमम पहुंच गया है, तो जो मंहगाई दे रहे हैं, कहीं-कहीं पर ऐसी स्थिति है, जैसे बाइन्डर और पैकर हैं, उनको मंहगाई और वेतन मिला कर दस रुपए कम मिलेगा। इस तरह की कुछ त्रुटियां हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

अधिष्ठाता महोदय, कल से इस वेतन अभिनवीकरण समिति के प्रतिवेदन पर जो चर्चा चल रही है, उस पर जितने माननीय सदस्य बोले हैं मेरा ऐसा खयाल है कि एक दो को छोड़ कर सभी ने अपना असन्तोष प्रकट किया है। जिन्होंने प्रतिवेदन तैयार किया वे यह महसूस करेंगे कि उन्होंने कितना थैंकलेस जाब उठाया था। कठिन काम था लेकिन तने परिश्रम के बाद जो प्रतिवेदन उन्होंने उपस्थित किया उस पर सन्तोष व्यक्त करने वाला शायद ही कोई इस सदन में हो। मेरा खयाल है कि यदि आज इस प्रतिवेदन को तैयार करने वाले सदस्यों को दे दिया जाय तो वे भी इस पर असन्तोष प्रकट करेंगे। मेरा निवेदन यह है कि किस प्रकार रेशनलाइजेशन सम्भव है जब कि हमारी पूरी इकोनामी इर्रेशनल बेसिस पर चल रही है। कहा जाता है कि १९६०–६१ के मूल्यों के आधार पर वेतन निश्चित किए गए। अगर हमारी इकोनामी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साउन्ड होती तो आज १९६५–६६ में इस प्रतिवेदन पर इतना असन्तोष नहीं बढ़ता। जिस प्रकार गैलपिंग टी० बी० होता है उसी प्रकार इस देश में गैलपिंग इनफ्लेशन हो गया है इस लिए सारा रेशनलाइजेशन का प्रयत्न निष्फल हो जाता है। यही कारण कि यह प्रतिवेदन कोई मानी नहीं रखता। जिस आधार पर यह बना था। वह आधार समाप्त हो चुका है। मैं आप की अनुमति से दो चार तथ्य रखना चाहता हूं। हम जितना पैदा करते हैं उससे ज्यादा खा लेते हैं। यह तो अन्न की बात है। दूसरे, हमारी सरकार जितना टैक्स इकट्ठा करती है जितना कर्जा ले आती है उससे ज्यादा खर्च करती है। नासिक प्रेस में नोटों को छाप कर, जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है। जितना माल हम बाहर भेजते हैं, उससे ज्यादा हम बाहर से मंगाते हैं। जितनी विदेशी सहायता हमको मिलती है जिसके लिए हमारे मन्त्री और प्रधान मन्त्री विदेशों में जाते हैं, भिखमंगों की तरह झोली फैलाते हैं, उस सहायता को अधिक से अधिक तो हम सिर्फ जीवित रहने के लिए खर्च कर देते हैं। उसको खा लेते हैं और उसका मल-मूत्र बन कर निकाल देते हैं। फिर भी हमारी सरकार का विश्वास है कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का सबसे उचित माध्यम सरकार है। जनता का अधिक से अधिक धन एकत्र करके, बचत कर के सरकार खर्च करे तो देश का तेजी से विकास हो सकता है, ऐसा विचार सरकार का है।

श्रीमन्, यह जो टैक्स वसूल किया जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि इससे देश की राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि होगी। लेकिन वह पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार इस्तेमाल हुआ है, उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जितना धन केन्द्रीय सरकार ने व्यय किया है, उसमें कितना प्रतिशत उसने अनप्रोडक्टिव कार्यों पर व्यय किया है यानी जिस व्यय से हमें कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है, उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है। तो जितना सन् ६०–६१ में भारत सरकार ने व्यय किया उसका ७१.४ प्रतिशत अनप्रोडक्टिव कामों पर खर्च किया है। सन् ६१–६२ में ८०.७ खर्च किया, सन् ६२–६३ में ८५.९, सन् ६३–६४ में ८९.५ और सन् ६४–६५ में भी ८९.५ प्रतिशत अनप्रोडक्टिव कामों पर भारत सरकार ने व्यय किया है। जिस सरकार का यह विचार हो कि अधिक से अधिक जनता की बचत एकत्र करके और फिर उसको अनप्रोडक्टिव कामों पर, जिसका प्रतिशत निरन्तर बढ़ता जा रहा है, खर्च करे, उस देश की एकोनामी कैसी होगी यह आप स्वयं सोच सकते हैं। आखिर इन गलत नीतियों का कहीं तो नतीजा निकलता और निकलना आवश्यक था। पहले हमारे देश की कृषि व्यवस्था को लकवा मार गया। एक-एक अंग इस देश की एकोनामी का पैरालाइज होता चला जा रहा है। पहले कृषि का हुआ और अब इंडस्ट्रियल क्षेत्र को लकवा मार रहा है। पहले ११–१२ प्रतिशत वृद्धि हुई थी, वह ११ से १०, १० से ९—८ होते होते अब चालू वर्ष में केवल ५ प्रतिशत की वृद्धि होगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद सरकारी कर्मचारियों के क्षेत्र में अब लकवा मारने वाला है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि आज के सरकारी कर्मचारी का आधा समय इसी बात में बीतता है कि वह अपने ग्रेड के लिए, अपनी मंहगाई के लिए और अपनी तमाम सुविधाओं और उत्पीड़न के लिए कैसे लड़े? इन सब बातों के लिए वह डिमान्स्ट्रेशन करता है, संगठन करता है, पर्चे छपवाता है। यदि यही गति रही तो सरकार का जो यह अंग अभी तक ठीक से चल रहा था और जिस पर सरकार को अभिमान था, उस पर भी लकवा मारने वाला है। क्योंकि अब उनकी जिन्दगी भी दूभर हो गयी है।

मैं सोच नहीं पाता कि सरकार का निम्न श्रेणी का कर्मचारी कैसे अपनी जिन्दगी बसर करता है। लेकिन इसका उपाय क्या है? हमारे राय साहब कहते हैं कि आप वेतन वृद्धि स्वीकार करते हैं या नहीं, मैं कहता हूं कि वेतन वृद्धि की जब आपकी बुनियादी नीति ही सर्वथा दोष पूर्ण है तो उस वृद्धि से किसी का लाभ नहीं हो सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि गलत नीतियों में परिवर्तन किया जाय, ये दीवालियापन की जो नीतियां हैं उनको छोड़ दिया जाय और सरकार के कार्य क्षेत्र को समाप्त किया जाय। सरकार अपने कार्य-क्षेत्र को यदि निरन्तर बढ़ाती रहेगी तो जनता को भी कष्ट होगा, उसको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा और नासिक कारखाने में नोट छापने पड़ेंगे। सरकार केवल उतना ही कार्य करे जो उसके लिए उचित है।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

श्रीमन्, जिस प्रकार से यह वेतन कर्मचारियों के लिए सन्तोषजनक बना सकते हैं उसके लिए आप देखें कि मंहगाई किस भीषण गति से बढ़ रही है। मार्च, सन् ६३ में मूल्य का सूचकांक १३० था, मार्च, १९६४ में १४३, मार्च, १९६५ में १५९, और जनवरी सन्, १९६६ में १६९.५ उसके बाद के आंकड़े मुझे नहीं मिले और इन आंकड़ों को आप देखें तो आप पायगे कि लगभग १० प्रतिशत मंहगाई प्रति वर्ष बढ़ रही है। कोई भी वेतन क्रम जो मंहगाई से सम्बद्ध न हो, जो एक बार निर्णय कर लिया जाय जैसे यहां कर लिया गया वह कैसे लागू हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब प्रतिवर्ष १० प्रतिशत की मंहगाई बढ़ती चली जा रही है। श्रीमन्, बहुत से लोगों ने कहा कि जो निम्नतम श्रेणी का वेतन-क्रम है वह ५५–७५ रु० है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि किस प्रकार से कोई आशा कर सकता है कि इस वेतनक्रम पर ईमानदारी के साथ अपने और घरवालों क जीवन का निर्वाह कर सकता है। यह तो हमारी सरकार जो यह कहती है कि वह समाजवाद लाना चाहती है बतला सकती है लेकिन मैं आपके सामने इसका एक और रूप रखना चाहता हूं। निम्नतम वेतनक्रम है ५५–७५ और मध्यम श्रेणी के लिए ३ सौ से ९ सौ तक वेतनक्रम रखा गया है। पहले में उच्चतर पर जब ३६ प्रतिशदत की वृद्धि होगी तब दूसरे में उच्चस्तर पर २ सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी। इसमें यह भी है कि जो कर्मचारी ५ सौ रुपए पाता है अगले वर्ष उसको ५० रुपए वेतनवृद्धि मिलेगी यानी १० प्रतिशत बढ़ जायगी और वह किसी प्रकार मंहगाई के स्तर को लेकर उसी वेतन स्तर पर बना रहेगा जैसा वह पिछले वर्ष था लेकिन निम्न श्रेणी के कर्मचारी की वेतन वृद्धि ५५ से पौने ५६ रुपए होगी जब कि मंहगाई उस पर ५ रुपए ६ रुपए का अधिक भार डालेगी उस समय उसको केवल १० या १२ आने अधिक मिलगे। तो इस मंहगाई का कुप्रभाव छोटे कर्मचारियों पर ज्यादा पड़ रहा है।

एक बात और। समिति ने इस बात को मानकर वेतनक्रम निश्चित किया है कि देश में एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स पर जो काम करते हैं उनकी जिम्मेदारियां और उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है—"हम उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस और उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (जूडिशियल) के लिए अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक प्रारम्भिक वेतन देने, की शिफारिश करते हैं क्योंकि इन सेवाओं का जो कर्तव्य है जो उत्तरदयित्व उनको सौंपा जाता है वह असाधारण रूप में महत्वपूर्ण है।" श्रीमन्, यह क्या करते हैं? यह फाइल पैदा करते हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का काम फाइल पैदा करना है। जो देश में अन्न पैदा करता है, देश में पुलों और सड़कों का निर्माण करता है, जो देश के स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं की व्यवस्था करता है उससे अधिक इन लोगों की सर्विसेज को महत्वपूर्ण समझा गया है जो केवल फाइलें पैदा करते हैं।

मैं नहीं समझ सकता कि क्या कारण है कि डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज को कम वेतन मिले, कोआपरेटिव के रजिस्ट्रार को कम वेतन मिले, ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर को कम वेतन मिले। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिये अथवा जनता को मूर्ख बनाने के लिये जब कभी जनता में जाते हैं तो कहते हैं कि कृषि को हम सर्वाधिक प्रायरिटी देना चाहते हैं, लेकिन वेतन क्रम निश्चित करते समय कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी किसानों की तरह ही गये गुजरे समझे जाते हैं और उनके लिये निम्न श्रेणी ही उचित समझी गयी है।

श्रीमन्, एक अनोमली कमेटी बनी थी। मैंने उसका अध्ययन नहीं किया क्योंकि उसकी रिपोर्ट भी हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा वह शायद अनामोली दूर करने के लिये नहीं अनामोली जो बढ़ाने के लिये बनायी गयी थी। एक सेन्टरी इंस्पेक्टर्स का ही आप उदाहरण ले लें। उनके गणना अब तक ग्रुप लेविल वर्कर में होती थी और वह पूरे ब्लाक के इंचार्ज होते थे। उनको वेतन भी उसके अनुसार ही दिया जाता था। वह उन्नति करके बी० डी० ओ० भी बन जाते थे। इस समिति ने सिफारिश भी की थी कि उनका वेतन भी उनके कार्य के अनुसार ही रखा जाय, लेकिन अनामोली कमेटी ने पता नहीं किस बुद्धिमानी से उनके वेतन क्रम को घटा कर बी० एल० डब्लू० के वेतन क्रम के बराबर कर दिया।

आज थोड़े से सेनेटेरी इंस्पेक्टर्स बी० डी० ओ० के स्थान पर टेम्पोरेरीली काम कर रहे हैं और कल अगर वह रिवर्ट हो गये तो उनको ग्राम सेवक के समकक्ष रख दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार क अनामोलीज और इस प्रकार का रेशनलाइजेशन कभी भी संतोषजनक नहीं हो सकता है। बुनियादी नीतियां जब तक गलत है तब तक आप का काम ही ठीक नहीं हो सकता है। आज मैं सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि यदि आज उनको तकलीफ है तो उनको भी हमारे साथ निर्णय करना चाहिये कि जब तक इस सरकार को बदला नहीं जायगा तब तक उनके कष्ट दूर नहीं हो सकते और अगर कुछ करना ही है तो कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि एक दूसरी पे कमेटी बना दी जाय। कुछ एम०एल०एज० की कमेटी बन जाय और एक नये सिरे से इस प्रश्न पर विचार हो। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वह कमेटी बने और वह अपना प्रतिवेदन देगी तब तक उसकी रिपोर्ट भी आउट आफ डेट हो जायगी। इसलिये अगर कुछ करना है तो आपको एक परमानेन्ट वेज बोर्ड कायम करना चाहिये जो हमेशा इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करता रहे। अगर आप इस दिक्कत को हल करना चाहते हैं तो आप इसके लिये एक परमानेन्ट वेज बोर्ड कायम कर दें जो सदैव इस प्रकार की दिक्कतों को देखता और उनका हल करता रहे।

श्री किशोरी लाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रतिवेदन इस वेतन अभिनवीकरण समिति ने प्रस्तुत किया है उसे पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारे स्टेट का नारा समाजवाद की ओर ले जाने का है, लेकिन इस समिति की रिपोर्ट से मालूम होता है कि यह समाजवाद से विपरीत दिशा में जा रहा है। इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि समान कार्य करने वालों का समान वेतन मिलना चाहिये, लेकिन इसके बरखिलाफ रिपोर्ट है। मैं समझ नहीं सकता कि इस तरह से सरकार कैसे जनता के हितों की रक्षा करेगी और कैसे अपने कर्मचारियों को राहत पहुंचायेगी। अगर सरकार के कर्मचारी ही असंतुष्ट होंगे तो कैसे उसकी योजनायें पूरी होंगी ? सरकार को चाहिये था कि वह ५ लाख कर्मचारियों को कुछ राहत पहुंचाती।

जहां तक डियरनेस एलाउन्स का सवाल है, वह प्राइश इन्डेक्स के हिसाब से मिलना चाहिये। आज बाजार में हर चीज की कीमत बहुत अधिक बढ़ी हुयी है। इसलिये प्राइस इन्डेक्स के हिसाब से कर्मचारियों का डियरनेस अलाउन्स मिलना चाहिये, तथा मेडिकल और एजुकेशन सम्बन्धी अन्य सभी फैसीलीटीज मिलनी चाहिये। जब तक आपके कर्मचारी संतुष्ट नहीं होंगे आपकी कोई योजना सफल नहीं होगी। जो एक बहुत बड़ी आज डिस्पैरिटी रखी गयी है इसके कारण उनमें बड़ा असंतोष है। कम वेतन पाने वालों का कम लाभ हुआ है और ज्याद वेतन पाने वालों का वेतन बहुत ज्यादा बढाया गया है, यह गलत तरीका है। अगर हमारी सरकार के पास पैसा इतना नहीं है कि सबका वेतन बढ़ाया जा सके, तो उसको कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन ही बढ़ाना चाहिये था। कम से कम वेतन १०० रुपये होना चाहिये। इस से कम वेतन किसी भी कर्मचारी को, चाहे वह चपरासी हो या कांस्टेबिल हो, नहीं मिलना चाहिये। इसके अलावा जिस हिसाब से सेन्ट्रल गवर्नमेंट डी० ए० देती है उसी हिसाब से हमारी सरकार को डी० ए० देना चाहिये। चाहे जिला बोर्ड का कर्मचारी हो, चाहे म्युनिसिपल बोर्ड का कर्मचारी हो, चाहे सेक्रेटरियेट का बाबू हो, महंगायी सब के लिये बराबर है। इसलिये सबको महंगायी एक समान मिलना चाहिये। वरना उनमें असंतोष बढ़ेगा और उनकी एफी-सिएन्सी घटती जायेगी। मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कर्मचारी रहते हैं और मैं उनकी दिक्कतों को जानता हूं। मैंने उनकी हालत को देखा है। वे अपने घरों में रोजमर्रा की चीजों को भी नहीं जुटा पाते हैं। मैं चाहता हूं कि रेशनालाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जाय और फिर से एक नयी कमेटी बनायी जाय जिसमें विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्य भी हों और वे बैठ कर फिर से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें और अपनी रिपोर्ट सरकार को दें। वही डेमोक्रेसी में अगर जनता के चुने हुए व्यक्ति जनता के बारे में फैसला लेते हैं तो उसकी इम्पारटेंस बढ़ती है बनिस्बत इसके कि सरकारी कर्मचारियों की। क्योंकि

[श्री किशोरीलाल अग्रवाल]

उनका तो विचार करने का ढंग ही अलग है। जैसा कि यह जो रिपोर्ट है इसमें दिखलाया गया है कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाईज ओ० ए० एस०, ओ० पी० एस०, उनके यहां तो अभी अभिनवीकरण की रिपोर्ट भी तैयार नहीं हुई उनकी सैलेरीज बढ़ गई। ऐसी बात तो है नहीं कि स्टेट एम्प्लाईज जो पी०सी० एस० हैं उनसे कम विद्वान हैं या उनमें सोचने विचारने की शक्ति कम है। उनमें भी उतनी शक्ति है और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की उनमें भी योग्यता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे एम्प्लाईज के डीअरनेस अलाउन्स बढ़ाने को पैसा नहीं दे देती है तो उन अधिकारियों को वापिस कर देना चाहिये क्योंकि हमारी स्टेट की क्षमता नहीं है कि बड़ों का पैसा बढ़ाया जाय और छोटे भूखों मरें।

दूसरी चीज मुझे यह निवेदन करनी थी कि गवर्नमेंट की यह भी जिम्मेदारी है जैसा कि आज हम लखनऊ शहर में देखते कि एम्प्लाईज एजीटेशन करते हैं, इन्श्योरेंस के एम्प्लाईज एजीटेशन करते हैं, इसका भी बुरा असर पड़ता है। इसका भी ये रोज रोज के डिमान्स्ट्रेशन तभी खत्म होंगे जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट प्राविंशियल गवर्नमेंट के राय मशविरे से सर्विसेज के संग एक सा बरताव करे। इसके लिये मंत्रिस्तर की जिम्मेदारी है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर करे कि कि वह डिस्पैरिटीज न पैदा क्योंकि प्राविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहां के मंत्रियों पर है। अगर कोई एजीटेशन होता है तो उसमें दिक्कत यहां के मंत्रियों को होती है। अगर वे ऐसा एजीट्यूड एडाप्ट कर लें कि या तो रुपया दो और नहीं तो हमारे यहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट न माने। हमारी मुख्य मंत्री दिल्ली गई थी और अगर उन्होंने इस चीज को टेक-अप किया होता तो कोई माने नहीं कि जब आपकी और चीजों को माना जाता है तो इसको वे न मानते। ऐसा नहीं होता। मैंने देखा पिछले हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी टीचर्स की पे बढ़ा दी लेकिन संग ही हमने एजुकेशन मिनिस्टर और मुख्य मंत्री का भी स्टेटमेंट पढ़ा। अब इससे जनता में और टीचर्स में भी दोनों में असंतोष हो गया। ये चीजें तभी दूर हो सकती हैं जब प्राविंशियल गवर्नमेंट कड़ा रुख अपनाये और कड़ा रुख अपनाने के लिये जो हमारी स्टेट के लेजिस्लेचर के मेम्बर्स आपोजीशन के गवर्नमेंट का संग दें। ऐसी चीजों में जिसमें स्टेट का इन्टरेस्ट है तो उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। हम लोग कांग्रेस दल के लोग, जिनके लिये गवर्नमेंट की पालिसी निश्चित है, उसी के अनुसार चलेंगे। अगर विरोधी दल के लोग सरकार को मजबूर करें और सरकार के साथ सहयोग करें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मोर्चा लेने में तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने प्रदेश के कर्मचारियों की तकलीफों को दूर न कर सकें। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वह अपने निम्न वेतन के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता फौरन बढ़ावे।

ये रेशनलाइजेशन कमेटियां इसलिये बनायी जाती है कि जो आज तनख्वाह मिल रही है उसे रिव्यू करके मंहगाई के अनुसार बढ़ाया जाय न कि कम कर दिया जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—(जिला सहारनपुर)—

जरा श्रीमन कोरम तो हो जाने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठ जावें। कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई। गणपूर्ति न होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सहकारिता मंत्री, दो मिनट घंटी में और बजवाता हूं। अगर कोरम नहीं हुआ तो बैठक स्थगित करना होगा।

(गणपूर्ति न होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

गणपूर्ति न होने के कारण मैं आधे घंटे के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(इस समय २ बजकर १३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होती लाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री किशोरी लाल अग्रवाल—

अब मैं आपके सामने एनामली कमेटी ने जिन कर्मचारियों के वेतनों का घटाया है उसके बारे में बताना चाहता हूं। हाई कोर्ट के खजान्ची का पुराना वेतन १२०–३०० रुपया था जिसको घटा कर १००–१५० कर दिया गया है। इसी प्रकार से पहले जजी के मुन्सरिम रीडर का १५०–२०० के ग्रेड में रखा था लेकिन अब उसका ग्रेड १२०–२५० कर दिया गया है। इसी प्रकार से पंचायत विभाग में सहायक पंचायत अधिकारी का वेतन क्रम पहले २५०–६५० था लेकिन अब उसका २२५–५०० करदिया गया है। सोचने की बात है कि हम अपनी स्टेट में पंचायतराज बनाना चाहते हैं लेकिन वह काम जिस अधिकारी के द्वारा करना चाहते हैं उसके वेतन को घटा दिया गया है। भला वह क्या काम करेगा ?

इसी प्रकार से राजस्व विभाग में असिस्टेन्ट सेक्रेटरी का पुराना वेतन क्रम ४७५–६७५ था जो अब ६००–८५० कर दिया गया है। वैसे सुपरिन्टेन्डेन्ट को ही असिस्टेन्ट सेक्रेटरी बनाया जाता था। पी० सी० एस० ग्रेड के मुताबिक उनको वेतन नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिये। क्योंकि पी० सी० एस० वाले को तो एक ही जिले में काम करना पड़ता है लेकिन सेक्रेटरियेट के लोगों को सारे जिलों का काम देखना पड़ता है सारे प्रदेश की मेशनरी को चलाना पड़ता है। इसलिये यह जरूरी है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट को डिप्टी सेक्रेटरी तक बनाया जाय। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपनी पालसी को चेन्ज करे और पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को वापस ले कर दोनों सदनों के मेम्बरों की एक कमेटी बना कर उसके द्वारा इन लोगों का वेतन नीयत करावे। इसके अलावा तब तक इन लोगों को सेन्टर की दरों से डियरनेस दिया जाय।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से वेतन अभिनवीकरण की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। जो भी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार प्रकट किये उनसे एक ही बात हमारे सामने आयी और उसमें कुछ सचाई भी है। सभी सदस्यों ने चाहे वे कांग्रेस दल के हों अथवा विरोधी पक्ष के हों सभी ने यह विचार प्रकट किये कि यह कमेटी वास्तव में अपने लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ रही है। इसलिये फिर से दूसरी कमेटी नियुक्त करके सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। परन्तु इसके बारे में एक बात कहूंगा कि सदन के निर्णय के बाद जुलाई सन् ६४ में इस कमेटी के बनाने का निर्णय हुआ और उस कमेटी ने काम किया। साल डेढ़ साल के बाद रिपोट आई और उसके बाद भी एक त्रुटि निवारण कमेटी बनी और उसने भी समय लिया और इस तरह से कुल २ साल का समय लगा। सदन में जो रिपोर्ट पर चर्चा हुई और जो भावनायें माननीय सदस्यों ने प्रकट की है उसके द्वारा यह काम पूरा नहीं हुआ और जो कर्मचारियों के लिये सुविधा की बातें होनी चाहिये थी वह न हो कर जहां आवश्यकता थी वहां कुछ किया गया है लेकिन जहां बुद्धि की आवश्यकता थी वहां कुछ नहीं किया गया है। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य सदस्यों ने कहा है इस का हल यह है और जैसा कि जनसंघ ने अपने कार्यक्रम में भी लिख रखा है कि इन सब बातों के लिये एक स्थायी वेतन आयोग बनाया जाय जो विभिन्न विभागों की उचित मांगों का मंहगाई आदि के मामलों को समय समय पर देखता रहे कि वहां किस चीज की जरूरत है। इस से जो यह हो रहा है कि आज एक विभाग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कल दूसरे के कर रहे हैं और कोई काले झंड दिखा रहा है यह सब चीज खत्म हो जायगी। आपको उस आयोग में पैसा देकर मेम्बर रखने चाहिये ताकि वह सही रिपोर्ट दें सरकार के पक्ष में रिपोर्ट देने वाले लोगों को रखने से कोई लाभ नहीं है उसमें सबके प्रतिनिधि रखे जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक स्थायी वेतन आयोग बने जो समय समय पर हर विभाग के मामलों को देखे।

[श्री रक्षपालसिंह]

यह रिपोर्ट जो आई है इसमें एक प्रारम्भिक गलती यह है कि इसमें जो परिवार की इकाई मानी गई है वह ढाई व्यक्ति की मानी गई है। मैं नहीं जानता कि कहीं अन्य स्थानों में ढाई यूनिट के परिवार होते हों लेकिन इस प्रदेश में जो चाहे श्रमिक वर्ग का सवक्षण हो या अन्य कर्मचारियों के परिवारों का हो तो वह किसी तरह से भी साढ़े ३ आदमी से कम का न होगा बाकी वैसे तो एक आर्थिक परिवार मामूली तौर से ५ आदमियों का होता है। दूसरे निम्न वेतन ५५ रुपया का रखा गया है और यह ढाई व्यक्ति का परिवार जो रखा गया है इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। यह निम्न वेतन और अधिक होना चाहिये।

इसी तरह से अगर आप देखें तो इस रिपोर्ट में ऐसे भी दृष्टान्त हैं कि जहां से जो व्यक्ति कुछ पा रहे थे उसमें भी घटनाओं की प्रक्रिया हुई है। होना यह चाहिये था कि निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों को अधिक लाभ होता। तीन चार ऐसे उदाहरण हैं कि जहां और कमी कर दी गई है। यहां पर प्रसार अध्यापकों की बात भी कही गई है। जो अध्यापक उसी प्रकार का काम करते हैं और स्नातक हैं और दस दस साल से काम कर रहे हैं और जो अलग से फील्ड सुपरवाइजरी करते हैं उनको अन्य के समान वेतन कम न देना उचित नहीं है। उनको ट्रेन्ड स्नातकों के समान वेतन देना चाहिये। इस मांग में बल है और उस पर विचार करना चाहिये। इनको २८० पर रोकना उचित नहीं है उनको भी १५०–३५० देना चाहिये।

इसी तरह से सेनिटरी इंस्पेक्टरों की बात कही गयी। इस वर्ग के जो अन्य लोग हैं जो इंस्पेक्टर हैं उनकी तुलना में इनका वेतन कम हो गया है। दूसरे जो इंस्पेक्टर हैं पुलिस के हों या किसी भी विभाग के उन सबके वेतन में समानता होनी चाहिये। एक बात में रोडवेज विभाग के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स के बारे में कहना चाहता हूं। जो वेतन उनको नियुक्ति के समय पहले ९५–२०–११५ रु० था वह घटकर ८०–१५–९५ हो गया है। इस विभाग में कोई नियमावली नहीं है जी० एम० और ए० जी० एम० की मरजी पर उनकी नौकरी है उनको ओवरटाइम का भत्ता नहीं दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को जिनके परिश्रम से विभाग को लाभ होता है अधिक वेतन मिलना चाहिये था और जो कमी हुई है उसको ठीक करने के लिये सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये और उनका वेतन बढ़ाना चाहिये।

कलेक्शन अमीनों को जो पैसा पहले से मिलता चला आ रहा है उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गयी। वृद्धि जो दिखती है वह मंहगाई भत्ता को मिलाकर के नया वेतन क्रम बना दिया गया है लेकिन उनको कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ। उनके ही समान विभाग में अन्य काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको तो अधिक पैसा मिलता है लेकिन इन कलेक्सन अमीनों को नहीं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये। सरकार ने एक जगह पर कहा है कि जिनके पास पैसा रहता है उसका हिसाब रखना पड़ता है उनका वेतन बढ़ना चाहिये। तो कलेक्शन अमीन का काम पैसा एकत्र करना है उसका हिसाब रखना है कहने का मतलब यह है कि ट्रेजरी के लोगों के समान उनका काम है तो इस पर विचार करके उनके वेतन में सरकार को वृद्धि करनी चाहिये।

यह देखा गया है कि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ब्लाक के अन्तर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको तो सरकारी कर्मचारी माना गया है परन्तु जिला परिषद् के कार्यालय में जो हजारों कर्मचारी काम करने वाले हैं उनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना गया है। न उनको पंचायती राज विभाग में और न ही स्थानीय निकाय विभाग में रखा गया है। मैं चाहूंगा कि उनको पंचायती राज विभाग में लेकर सारी सुविधायें मिलनी चाहिये।

समिति की रिपोर्ट १९६५ में आयी और उसको एनफोर्स करते करते १९६६ आ गया और अब एक साल पूरा हो गया। १९६५ में केन्द्रीय सरकार ने एक बार मंहगाई भत्ता दिया था और रिपोर्ट लागू होते दूसरी बार उसने फिर मंहगाई भत्ता दिया। इस प्रश्न को लेकर प्रदेशीय कर्मचारियों ने प्रदर्शन किये। उनकी बात सही है। उसमें औचित्य है कि एक साल के

अन्दर हमारी रिपोर्ट आ जाने के बाद में जो मंहगाई बढ़ी है उसके लिये अतिरिक्त भत्ता मिलना चाहिये। और अगर सरकार इस समय नहीं दे सकती तो सरकार को संकोच नहीं होना चाहिये वह घोषणा करे एक कमेटी बनावे और हिसाब लगावे कि एक साल के अन्दर कितनी मंहगाई बढी है उसी के अनुसार भत्ता दिलाने का प्रयास करें। भले ही सरकार के पास आज पैसा नहीं है तो आगे दिया जा सकता है। लेकिन बाडी तथा अन्य संस्थाओं के जो कर्मचारी है उनके बारे में भी यह रिपोर्ट लागू करनी चाहिये और प्राइवेट संस्थान द्वारा भी यही वेतन मान दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये।

किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रदेश को बन्द कर दो। मैं यह तो नहीं कहता लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि वह असंतोष को समाप्त करने के लिये प्रयास करे। सरकारी कर्मचारी का प्रजातंत्र को चलाने में बड़ा भाग है इसलिये अगर उनके मन की स्थिति ठीक नहीं है तो हमारा शासन ठीक से नहीं चल सकता। मैं प्रदेशीय कर्मचारियों को बधाई देता हूं उनके संयम के लिये और उनसे कहूंगा कि प्रजातंत्रीय पद्धति के अन्दर रहते आये अपने आन्दोलन और प्रदर्शन को चलावें। यदि सरकार ठीक बात नहीं करती तो उसको उखाड़ने के लिये उनके पास सारी शक्तियां हैं एकदम बन्द कर के और क्रान्तिकारी और हिंसा का रूप लाने से अच्छा तो यही है कि जो नाजायज ढंग का सहयोग प्रदान करते हैं अगर वह भी बन्द कर दें तो इस सरकार को उखाड़ने के लिये विरोधी पक्ष काफी है और फिर इनकी बातें पूरी होंगी इसमें कोई संदेह नहीं है।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष महोदय, ये कमेटी की रिपोर्ट बहुत ही प्रतीक्षा के बाद इस सदन में पेश हुई और जितनी बड़ी आशा इस कमेटी की रिपोर्ट से हमारे कर्मचारियों को और विशेषकर छोटे कर्मचारियों को थी उसमें निराशा ही हुई और निराशा ही नहीं कहीं कहीं तो इतना उलट गया मामला कि जो वेतन पहले मिलता था उससे भी कम मिलेगा। इससे कर्मचारियों में कुछ असन्तोष बढना आशा में निराशा होना यह सब बहुत ही स्वाभाविक है। समाजवाद और देश की समृद्धि जब तक काम करने वाले लोगों को उनकी मेहनत का सही मुआविजा नहीं मिलता न समाजवाद आ सकता है और न इस प्रदेश की समृद्धि ही हो सकती है। ठीक इसका उल्टा यहां हो रहा है कि तादाद और तनख्वाह दोनों उच्च अधिकारियों की बढ़ रही है। तादाद तो इस तेजी से बढ़ रही है कि जिसका शुमार नहीं हो सकता। और मैं यह कह सकता हूं कि काम करने वालों की तो नहीं बल्कि काम चेक करने वालों की तादाद बढ़ रही है और उनकी तनख्वाह भी बढ़ रही है। यह समझ में नहीं आता कि जब उच्च अधिकारियों की तनख्वाह और तादाद दोनों बढे तो जो छोटे कर्मचारी हैं अनेक विभागों के उनके तनख्वाह बजाय बढ़ाने के और कम कर दी गयी। आज देश को जरुरत है पैदावार बढाने की। सिंचाई के महकमे में जो पतरौल, आपरेटर, अमीन, जिलेदार और डिप्टी जो गवर्नमेन्ट के रेवेन्यू का काम करते हैं उनकी तनख्वाह बजाय बढाने के घटा दी गयीं। मुकाबिलतन पतरौल टयूबवेल आपरेटर को ६०-८० का ग्रेड रखा। ठीक यही ग्रेड रखा गया है जमादार दफ्तरी बंडल उठाने वाले माली और मेहतर का और जो हमारा यू० पी० निवास दिल्ली में है उसके रसोइये का। तब यह समझ में नहीं आता कि पैदावार बढ़ाने वाले जो नीचे स्तर पर लोग हैं जो सरकार को रेवेन्यू वसूल कर के देते हैं उनकी तनख्वाह इतनी कम क्यों रखी गयी। पहले उसको ७५ रुपये मिलते थे वह वही रहे पतरौल के। लेखपाल का ७५-९० का ग्रेड कर दिया गया। अमीन को १०५ मिलते थे उसका ९५ कर दिया गया। उसके मुकाबले का जो सुपरवाइजर कानूनगो होता था उसका १३०-से १४५ कर दिया गया। जिलेदार का १७५ से १४५ कर दिया गया। और उसके बराबर का जो नायब तहसीलदार होता है उसके १७५ से १८५ कर दिये गये। डिप्टी रेवेन्यू आफिसर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

के ४०० से २५० कर दिये गये। समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी कटौती क्यों की गयी। और जो इसके मुकाबले का डिप्टी कलेक्टर था उसके ३५० से ३७५ कर दिये गये।

तो दूसरा ऐसा मुहकमा सिंचाई विभाग का है जिसके कर्मचारियों के बारे में आपके सामने गणना की उनकी तनख्वाह बजाय बढ़ाने के घटा दी गयी। उपाध्यक्ष महोदय, सन् ३१ में एक ग्रेड लिस्ट बनी उस समय डिप्टी रेवेन्यू आफिसर जो नहर का था उसको २५०-५०० रु० मिलता था। सन् ४७ में वह ३५०-४५० रु० हो गया और अब की पे कमेटी ने उसे २२५-५०० रु० कर दिया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस तरह से मंहगाई बढ़ती जाय और इस मुहकमें के आफिसरों की तनख्वाह कम होती जाय। सिंचाई विभाग का मुहकमा वह है जिससे उम्मीद की जाती है कि हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ाने की। इसी तरह से जो हमारा विधान सभा सचिवालय है हमें रिपोर्ट में देखने को मिला कि इस सचिवालय के कर्मचारियों के लिये एक तारीख २९ जुलाई, ६५ को भर्ती होने वालों को रखी गयी है और वही कर्मचारी अगर २६, २७ या ३० जुलाई को भर्ती हुआ होगा तो उसको इस नये पे स्केल का फायदा नहीं होगा। माननीया मुख्य मंत्री ने इस हाउस में कई बार सवालों के जवाब में कहा था कि सब को यह बढ़ोत्तरी १ली अप्रैल से दी जायगी। फिर क्या वजह है कि विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के ऊपर २९ जुलाई वाली बात क्यों लागू की जा रही है। पहली अप्रैल वाली बात उनके लिये भी क्यों नहीं मान ली जाती? इसी तरह से मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि मुल्क में काम बन्द हो और उससे राष्ट्रीय क्षति हो यह देश हित में किसी माने में भी नहीं है। लेकिन जब सरकार इस बात को आदी हो कि राष्ट्रीय क्षति हो तभी वह लोगों की बात मानती है उसकी यह आदत कोई अच्छी नहीं है। लिहाजा समझदारी की बात तो यही है कि सरकार उच्च अधिकारियों की बात भले ही छोड़ दे लेकिन खासतौर से छोटे कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की बात सोचे।

श्रीमन्, इसी लखनऊ में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का एक सम्मेलन हुआ था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं और सिंचाई मंत्री को यह सूचना दे भी चुका हूं कि उन्होंने अपने काम को बन्द करने का एलान किया है क्योंकि छोटे कर्मचारियों को इस पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो वेतन मिलता है उससे उनको बड़ी निराशा हुई है। कई माननीय सदस्य उस सम्मेलन में शरीक हुए थे और इस बात की बहुत कोशिश की गयी कि १ महीने के बजाय ३ महीने का मौका सरकार को दे दिया जाय ताकि वह इस बात को सोचे और सारी स्थिति पर दोबारा गौर करे। आज कर्मचारियों में जो असन्तोष है उससे राष्ट्रीय क्षति की बात हो सकती है। उसका एक कारण यह है कि आज १८ साल के स्वराज्य के बाद भी छोटे कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह कोई मनुष्यता का व्यवहार नहीं है। खासतौर से लोगों में असन्तोष इसलिये भी है कि वेतन की बात तो अपनी जगह है लेकिन लोगों की सही बात को भी सुनने का मौका नहीं दिया जाता। जो एक परम्परा किसी वक्त में थी उसको हमें बदलना चाहिये। जो बड़े आफिसर हैं वे छोटे कर्मचारियों को मिलने तक का मौका नहीं देते हैं। उनकी अप्लीकेशन केवल मुलाकात के लिये आती है लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया जाता है। अंग्रेजों के जमाने की स्थिति ही आज भी बनी हुई है। एक तरह से आज भी गुलामी की मान्यता बनी हुई है। आज भी बड़े आफिसर्स छोटे कर्मचारियों के दुख दर्द को सुनना नहीं चाहते। आधी समस्या हल हो सकती है लोगों की बात सही रूप से सुनने से।

इस पे कमेटी की रिपोर्ट से बजाय सद्भावना के एक असन्तोष पैदा हुआ है। छोटे कर्मचारियों की भावनाओं की कद्र की जाय। उच्च कर्मचारी दौरे पर जाते हैं तो उनको दौरे का इन्तजाम करना पड़ता है अपनी समस्या कह नहीं पाते। इस रिपोर्ट से संतोष के बजाय असन्तोष बढ़ा है। इस पर दोबारा गौर करना होगा। कमेटी के सामने ऐसे लोग ही

गये जो उच्च अधिकारी थे और जिन्होंने बड़े अधिकारियों की ही तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश की और छोटे कर्मचारियों की तरफ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई गयी। आज भी सारा प्रशासन आई० सी० एस० लोगों के हाथ में है जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में था। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने नीचे के तबके से मिलने की कोशिश नहीं की और आज भी नीचे के स्तर पर उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनको समझने और सुनने का मौका नहीं है। जिसके कारण उनकी समस्या हल करने का नम्बर आ ही नहीं सकता। इससे बजाय संतोष के असन्तोष ही पैदा हो सकता है। लिहाजा एक ऐसी नई कमेटी का निर्माण किया जाय जिससे लोगों को सन्तोष हो और कोई हल निकले।

आप देखें कि ओवरसियर्स का ग्रेड बढ़ाया गया। इस प्लानिंग के जमाने में ठेकेदार ओवरसियर, इंजीनियर्स ने कितना रुपया कमाया और फिर भी उनकी तनख्वाह बढ़ायी जा रही है और टी० ए०, डी० ए० बढ़ाया जा रहा है लेकिन छोटे कर्मचारियों के लिये कुछ नहीं होता। लिहाजा दोबारा ऐसी कमेटी बनाई जाय जिसमें सार्वजनिक जीवन के लोग हों और आई० सी० एस० तथा मंत्रिगण न हों और जो दोबारा इस रिपोर्ट पर गौर करें तभी समस्या का समाधान निकल सकता है।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट पर विचार करने से पूर्व हमको उसके टर्म्स आफ रिफरेंस को देखना होगा। वह इस प्रकार है :

"राज्य के सरकारी कर्मचारियों (जिनमें अपवित पुलिस कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं) की परिलब्धियों के मौजूदा ढांचे पर विचार करना और ऐसे परिवर्तनों की यदि कोई हों, सिफारिश करना जो वेतन मानों की बहुत बड़ी संख्या को कम करने, उनका अभिनवीकरण करने और समान कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के लिये यथासम्भव समान परिलब्धियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसमें किये जाने चाहिये।

अभिनवीकरण के हेतु कार्यवाहियां करने के संबंध में अपने सुझाव देते समय समिति को ऐसे विशेष वेतनों को जारी रखने या न रखने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिये जिनको इसके पूर्व की वेतन समिति ने कर्मचारियों को वेतन मान के बदले में अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में देने की सिफारिश की थी।

अभिनवीकरण के संबंध में अपनी सिफारिशें देते समय समिति को राज्य की संसाधन स्थिति का समुचित विचार करते हुए योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के हेतु उपयुक्त रूप से अर्हता प्राप्त तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिये। इस संबंध में अपनी सिफारिशें करते समय समिति को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि अन्य राज्यों में उपयुक्त पदक्रमों के समकक्ष पदक्रमों पर दी जाने वाली परिलब्धियों का स्तर क्या है—यह तीन चार विषय ऐसे हैं जिनको लेकर अभिनवीकरण रिपोर्ट पर हम विचार कर सकते हैं। इसके पहले रिपोर्ट पर जो माननीय सदस्यों के भाषण उधर से या इधर से हुए उनको मैंने सुना। सब लोग इस निश्चय पर आये हैं कि यह रिपोर्ट गलत है और जिस तरीके पर यह रिपोर्ट होनी चाहिये उस तरीके पर नहीं है। लेकिन किसी माननीय सदस्य ने इस बात पर विचार नहीं किया कि गवर्नमेन्ट ने जो रेफरेंस भेजा है आखिर रेफरेंस क्या किया। यह तो कह दिया कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन का क्रम निश्चित होना चाहिये और समान कार्य और उत्तरदायित्व के लिये समान वेतन होना चाहिये लेकिन सीमा के बारे में कम से कम और अधिक से अधिक कितना वेतन होना चाहिये इस बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा। अब तक सरकार इस बात को सीमा निर्धारित न करे कि न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन क्या होगा तब तक मैं नहीं समझता कि वह उचित राय प्रस्तुत कर सकते थे। जहां तक इस कमेटी के अध्यक्ष का सवाल है वह एक जज हैं। जज जो प्वाइन्ट्स भेजते हैं उसको देखते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

हुए अपनी राय प्रकट करता है। सरकार को चाहिये था कि टर्म्स आफ रेफरेंस के अन्दर सरकार कहती कि चूंकि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी हमने माना है इसलिये कम से कम वेतन १०० और अधिक से अधिक १,००० होना चाहिये। यदि ऐसा कोई इशारा किया गया होता तो कमेटी की रिपोर्ट गलत नहीं कही जाती। हालांकि इस प्रदेश के कर्मचारियों की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। १९४७ में जब वेतन अभिनवीकरण समिति बनी उस वक्त हालत दूसरी थी, १९६०-६१ में हालत दूसरी थी, उस वक्त सूचनांक दूसरे थे तब से १९६५-६६ तक बराबर सूचनांक बढ़ते गये हैं। इसके दो कारण हैं। सरकार की आदत पड़ गयी है और अब तक जितने बजट पेश किये उसमें घाटे का बजट पेश किया। घाटे का बजट पेश करने के कारण इसेंशल कमोडिटीज के दाम बहुत ऊंचे बढ़े। इस रिपोर्ट के अन्दर कमेटी ने बहुत अच्छा मार्ग दरशाया है। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि आगे घाटे का बजट नहीं होना चाहिये।

श्री ब्रह्मदत्त माथुर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं घाटे के लिये बजट का जिक्र कर रहा था। मैं पृष्ठ २१ की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह दिया गया है कि हमारी कृषि व्यवस्था बड़ी हद तक कृषि पर आधारित है और जितने कर्मचारी हैं उनकी करीब ६१ प्रतिशत आमदनी एसेंशियल कमोडिटीज को खरीदने में खर्च हो जाती है। नतीजा यह है कि बचे हुए पैसे में उसका भरण पोषण नहीं हो पाता है। रिपोर्ट में यह भी दिया हुआ है कि बढ़ती हुई कीमतों का कारण व्यापारी वर्ग है और उसको सरकार ठीक नहीं कर सकती है क्योंकि अब तो एलेक्शन भी करीब है। सरकार तो उनकी मदद ही करना चाहती है। इस सरकार का ध्यान सरकारी कर्मचारियों की तरफ और जनता की तरफ कम है और उनका सबसे ज्यादा ध्यान बड़े बड़े व्यापारियों की तरफ है जो बड़ी बड़ी होर्डिंग करके वस्तुओं के दाम बराबर बढ़ाते चले जाते हैं। सरकार का ध्यान उसको कन्ट्रोल करने की तरफ न जाकर सिर्फ एलेक्शन का पैसा ही इनके सामने रहता है। इसलिये जो कुछ संभव हो सकता है वह मदद उन्हें देने जा रहे हैं। पहली और दूसरी योजनाओं के बारे में दिया हुआ है—"प्रथम दो आयोजनाओं की अवधियों के दौरान में घाटे का वित्त प्रबन्धन अत्यन्त सीमित रूप में किया गया था और वास्तविक राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि मुद्रा-संपूर्ति में हुई वृद्धि के लगभग अनुरूप फलस्वरूप कीमतों पर काफी नियंत्रण रखा जा सकता था। यद्यपि तृतीय आयोजना की अवधि में घाटे का वित्त प्रबन्धन बहुत कुछ उदारतापूर्वक किया गया था इतना ही नहीं कमेटी ने भी यह स्वीकार किया है कि घाटे का बजट दिखाने के कारण किस तरह से यह कीमतें बढ़ती हैं। इस बार मुझे खुशी है कि इन्होंने घाटे का बजट नहीं दिखाया है। अब जहां तक वेतन का संबंध है बराबर यह देखा जा रहा है कि कीमतें जब बढ़ती हैं उस वक्त कोई भी वेतन फिक्स नहीं किया जाता है पिछली जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसकी पूर्ति करने के लिये डियरनेस एलाउन्स कर्मचारियों को दिया जाता है और कीमतें जब स्थिर हो जाती हैं तो वेतन स्थिर किया जाता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार ने जुलाई सन् ६५ में जो वेतन फिक्स करने का कार्य कमेटी को दिया उसके बारे में हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी उसमें हुई। हम तो यह चाहते हैं कि इसके लिये परमानेन्ट बोर्ड बनाना चाहिये। जब जब कीमतें स्थिर होने का अन्दाजा लगे वेतनों का अभिनवीकरण हो जाए।

अभी हमने यह देखा कि जब से यह कमेटी बैठी हुई है तब से अब तक केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के डियरनेस एलाउन्स में दो बार वृद्धि की और वेतन में भी थोड़ी बहुत

वृद्धि की है और हमारे यहां कोई वृद्धि नहीं हुई है। जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता है वह दूसरा है और हमारे राजकीय कर्मचारियों का डियरनेस एलाउन्स है। जब कि सारे प्रदेशों में हम देखते हैं कि कीमतें एक तरह से सब जगह बढ़ी हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कीमतें बढ़ी है। इसलिये जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का डी० ए० है उसी प्रकार हमारे यहां होना चाहिये। सरकार कहती है कि हमारी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और इसलिये हम अपने कर्मचारियों को डी० ए० दे नहीं सकते। अगर केन्द्रीय सरकार रुपया देगी तो हम अपने कर्मचारियों को डी० ए० देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी, जिला परिषद आदि हैं, जो इस सरकार के मातहत हैं। उनके कर्मचारियों को ५ और दस रुपया मंहगाई भत्ता मिलता है। वे भी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर हम अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देंगे और बढ़ायेंगे। जहां तक इन स्थानीय निकायों का ताल्लुक है इनके पास आमदनी का एक ही जरिया था--हाउस टैक्स का। लेकिन सरकार ने भूमि-भवन कर लगा कर उसे भी समाप्त कर दिया है और उसका एक अंश भी वह उन संस्थाओं को नहीं दे रही है। इसकारण इन के कर्मचारी यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उनको कभी डी० ए० मिलेगा। सरकार जिस प्रकार अपने कर्मचारियों को डी० ए० देने के लिये केन्द्र से रुपये की मांग करती है उसी प्रकार उसे इन स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिये उनको डी० ए० देने के लिये रुपये की व्यवस्था करनी चाहिये। आप का अपना दामन साफ नहीं है और इस प्रकार की बात करना केवल बहाना बनाना है। रुपये की कमी की बात कही जाती है, लेकिन जितना रुपया इस मार्च में लैप्स हुआ है उससे ही सरकारी कर्मचारियों को कई साल तक मंहगाई-भत्ता दिया जा सकता है। इसलिये इस प्रकार का बहाना उचित नहीं है।

हमारे यहां कई तरह के कोर्ट्स हैं। कलेक्टरी तथा सिविल कोर्ट है। वहां के कर्मचारियों की हालत देखकर बड़ी परेशानी हो जाती है। निदेशक के मामले में इस वेतन अभिनवीकरण समिति ने एक महकमें में कुछ वेतन रखा है, दूसरे में कुछ रखा है। छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों में भी काफी भिन्नता है, जो ४० रुपये के ग्रेड में चपरासी था उसकी तनख्वाह तो १०० रुपया कर दी गयी लेकिन जो लिटरेट दफ्तरी था उसे ६०-८० के ग्रेड में ही रखा गया है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार भी उचित नहीं है। जहां तक सिविल कोर्ट्स का संबंध है डी० एम० और ए० डी० एम० की तनख्वाह ९०० से १,८०० तक हैं और ए० डी० एम० जे० का ग्रेड २५० से ८५० रखा गया है, १०० रुपया उसे स्पेशल एलाउन्स मिलता है। वे काफी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करते हैं और इसलिये उनकी भी तनख्वाहें वही होनी चाहिये जो डी० एम० या ए० डी० एम० की हैं। साथ ही साथ श्रीमन्, आप देखें कि पी० सी० एस० का ग्रेड २५०-८५० तक है। वे कमिश्नर तक हो सकते हैं, लेकिन जुडिशियल आफिसर्स का वेतन फिक्स है, उनको शुरू में ३२५ रुपये दिये जाते हैं। उनका वेतन बढ़ना चाहिये (लाल बत्ती होने पर) मुझे श्रीमन्, ५ मिनट का समय और दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष —

समय कम है, और नहीं मिल सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मुंसिफ वगैरह जो हैं उनका वेतन कम है, वह बढ़ना चाहिये। जो सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको स्पेशल एलाऊन्स मिलना चाहिये। उनका ग्रेड ४००-१,२०० तक होना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप १००-२०० रुपये एलाऊन्स देते हैं, पर डिस्ट्रिक्ट जजों को नहीं मिलता। यह एलाउन्स उनको भी मिलना चाहिये।

एक बात मैं पुलिस विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। इस विभाग में प्रासीक्यूशन से संबंधित कुछ लोग रखे जाते हैं। उनका वेतन बहुत कम है। जो यह ए० पी० पी०, पी० पी०

[श्री कमलासिंह यादव]

और एस० पी० पी० हैं इनका क्रमशः ग्रेड इस समय २००–३००, २२०–३००, २२०–४००, और २५०–८५० है। एस० पी० पी० की १४ पोस्ट्स हैं और जब कभी कोई मरता है या रिटायर होता है तभी किसी को प्रोमोशन मिलता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इनका ग्रेड बढ़ाया जाय—ए० पी० पी० का ग्रेड २५०–५००, पी० पी० का ३००–६०० तथा एस० पी० पी० का ग्रेड ४००–८५० तक का हो।

इसके अलावा सर्किल इन्सपेक्टरों के वेतन का भी अभिनवीकरण होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया कि गरीबों के बारे में हम यहां कुछ अपने विचार रख सकें। वैसे तो माननीय विरोधी दल के काफी सदस्य बहुत कुछ कह चुके हैं मैं गरीब लोगों तथा छोटे-छोटे लोगों की समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब जब मंहगायी बढती है कर्मचारी आन्दोलन करते हैं और यहां शोर मचाते हैं कि मंहगायी भत्ता बढ़ाया जाय। श्रीमन्, जब कमीशन बैठता है तो उसमें कभी छोटे गरीब लोगों के नुमाइन्दों को नहीं रखा जाता। कभी कोई इस पर नहीं विचार करता कि जनता के नुमाइन्दों को उसमें रखा जाये जो छोटे कर्मचारियों के विषय में कभी कुछ सोच सकें। होता क्या है। आन्दोलन तो श्रीमन् करते हैं छोटे लोग और उसका मुनाफा कौन उठाते हैं ये सब बड़े-बड़े जो अधिकारीगण हैं हर विभाग के। तनख्वाहें उनकी बढ़ें, भत्ते उनके बढ़ें सैकड़ों में। गरीबों के बढ़े तो चार पांच रुपये बढ़ाये गये। फिर भी आन्दोलन वही लोग करते हैं। श्रीमन्, एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं। एक सेनेटरी इन्सपेक्टर को देखिये। दुनिया भर की मुसीबतें उन्हें हैं। जनता के वे काम आते हैं। पैदल फिरते हैं वे गांवों में। वहां के स्वास्थ्य और वहां के पशुओं की देखभाल करते हैं और उनका जो ग्रेड पे कमेटी ने नियत किया वह दूसरी कमेटी ने घटा दिया। इसलिये मेरा सुझाव है कि मंत्री जी निवेदन करें कि उन सैनेटरी इंसपेक्टरों का वेतन उतना होनो चाहिये जितना कि पे कमेटी ने नियत की थी पहिले। श्रीमन्, दूसरी बात यह है कि कल कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अगर बड़ों-बड़ों का पे को बढ़ाया जाय तो कुछ लाख का ही फर्क आता है और अगर छोटों की बढ़ाई जाय तो करोड़ों का हिसाब आ जाता है। श्रीमन्, मुझे यह सुनकर अचम्भा हुआ। जब हम वोट लेने जाते हैं तब यह नहीं कहते कि हम बड़ों-बड़ों के वोट के लिये जाते हैं उस समय तो हम छोटों के पास भी वोट के लिये जाते हैं और जब हम हुकूमत में आते हैं तब हम यह कहते हैं कि बड़ों के बढ़ाने पर कुछ लाख ही बढ़ाने पड़ते हैं और छोटों के लिये करोड़ों रुपया खर्च आता है। जो विरोधीदल से बोल रहे हैं वे देख लें कि हमने कभी खेतिहर मजदूर के लिये कोई कमीशन बैठाया? उसके लिये सोचा कि उसको केवल एक रुपया की मजदूरी मिलती है। आपके चपरासी को ७५–७६ रुपये मिलते हैं लेकिन खेतिहर मजदूर के बारे में कभी नहीं हड़ताल की, न आन्दोलन किया कि उनकी पे भी निर्धारित की जाय। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, कभी-कभी आप टोक दिया करें, उस दल के लोगों को। वे ऐसी बात कहते हैं कि उन्होंने खेतिहर मजदूरों के बारे में चर्चा ही नहीं की। हम लोगों की ओर से मांग की गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करेंगे जब कांग्रेस दल की ओर से मांग हुई तो वोट लेने के लिये विरोधी दल ने भी कह दिया। माननीय नेता जी मुझे क्षमा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में बात न करें।

श्री हरीसिंह—

आप यहां महज वोट की बात करते हैं। कांग्रेस सदस्य ईमानदारी के साथ बात कहते हैं और वे देने के लिये तैयार रहते हैं। आप वोट के प्रलोभन के लिये बात करते हैं। जब भी बात होगी पतनाला वहीं पड़ेगा। गरीब मजदूर के लिये कोई पे कमीशन नहीं बैठाया जाता। आपने बार-बार पे कमीशन के लिये कर्मचारियों के बारे में बात की। वहां गरीबों को कुछ नहीं मिला और बढ़ाया गया तो बड़ों का। आपने कौन-सा विरोध किया। उसमें हमारा दोष नहीं है। उसमें आपने पे कमीशन नियुक्त किया। मिनिस्टरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ीं, एम० एल० एज़० की तनख्वाहें तिगुनी हो गई हैं। मिनिस्टर वही ले रहे हैं। यहां उलटा है। पे बढ़नी चाहिये थी छोटे कर्मचारियों की और बढ़ गई बड़ों की, कलेक्टर और कमिश्नरों की। जो बेचारे मेहनत करते हैं, जैसे सेनीटरी इन्सपेक्टर, उनकी घटा दी। अगर इस कमेटी में जनता के नुमाइन्दे होते, चाहे वे विरोधी दल के होते या बहुमत दल के, तो छोटे कर्मचारियों को जो घाटा हुआ है वह नहीं होता। हरिजन विभाग के सुपरवाइजरों की पुरानी ही पे चली आ रही है। लेकिन टाप के अफसरों की पे बढ़ गई। उन्हें तो पहले ही इतना मिलता है कि वे १० खान्दानों का गुजारा कर सकते हैं चूंकि एक सेक्रेटरी को २,५०० रुपये और एक सुपरवाइजर को केवल १००, १२५ रुपये ही मिलते हैं। खेतिहर मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने के लिये भी एक कमीशन मुकर्रर किया जाय। सैनिटरी इन्सपेक्टर्स के साथ जो अन्याय हुआ है उसे दूर किया जाय। इनकी पे वही मानी जाय जो कमेटी ने निश्चित की है। छोटे कर्मचारियों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट को पढ़ा, और माननीय सदस्यों की आलोचनायें, सुझाव और समालोचनायें सुनीं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी सरकार के समाजवाद के नारे में और इस रिपोर्ट के उद्देश्यों में बहुत बड़ा व्यापक अन्तर है। कहने के लिये तो कहा जाता है कि समाजवाद आज एक ऐसा नारा है जिसे हर विचारधारा के लोग लगाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक ओर किसी को २,००० और ३,००० पे मिलती है, या ९००, ७००, ८०० मिलती है, उसका तो स्केल के हिसाब से काफी पैसा बढ़ गया लेकिन जिसे ७०, ८० रुपये मिलते हैं उसका कम बढ़ा। जिसे १ रोटी मिलती थी, उसकी सवा कर दी गई और जिसे १५ मिलती थी उसकी २१ कर दीं। इस से पता चलता है कि जमीन से मिट्टी खोदकर आप बड़े-बड़े टीले बना रहे हैं। असमानता सरकार स्वयं बढ़ा रही है। कोई भी डेमोक्रैटिक कंट्री आप देख लीजिये, जहां समाजवाद का नारा है वहां सब को समान अवसर है। डेमोक्रैटिक कन्ट्रीज में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक आधार होता है। लेकिन हमारी सरकार की इस सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। पिछले १० वर्षों में महंगाई १०, १२ गुनी बढ़ गई है। केन्द्रीय सरकार ने तो कुछ बढ़ाया भी है अपने कर्मचारियों का। केन्द्रीय सरकार के और हमारी सरकार के कर्मचारी एक-सा काम करते हैं लेकिन पे में बहुत अन्तर है। हम अपने चपरासी को ७०, ८० रुपया देते हैं, लेकिन केन्द्र का कर्मचारी, चपरासी, उसी जगह पर १२५ और १५० रुपये पाता है। इस विषय में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये, चाहे वह पंजाब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

का कर्मचारी हो या आन्ध्र का हो या बिहार का हो या किसी भी प्रदेश का या केन्द्र का हो। योग्यता और मेहनत के मुताबिक सबको वेतन मिलना चाहिये। १९ वर्षों में कांग्रेसी सरकार इस तरफ कोई भी राष्ट्रीय नीति घोषित नहीं कर पाई है। उनको घोषित करना चाहिये था, जैसा हमारी पार्टी ने किया भी है कि अधिक से अधिक १,००० रुपये और कम से कम ७५ या १०० रुपये होंगे। हमारी पार्टी ने सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाई कि १ और १० का अन्तर होना चाहिये। कम से कम १०० और ज्यादा से ज्यादा १,००० रुपये मिलने चाहिये।

एक इंसान है जिसको ५ रु० मिलता है और एक इंसान है जिसको ५,००० रु० व ६००० रु० मिलता है और इसके अलावा भी रखरखाव का पैसा अलग से मिलता है इस प्रकार से आप उन दोनों के बीच में नयी नयी खाइयां खोदते जा रहे हैं और लोगों में इससे हीन भावना बढ़ रही है। जिन लोगों के पास अपने जीवन को पालन करने के लिये अच्छे मीन्स नहीं हैं उनकी दशा और नीचे गिर रही है टाप की ब्यूरोक्रेशी को छोड़कर शेष जो प्रशासक वर्ग है उसकी हालत भी ठीक नहीं है, उसके जीवन स्तर में भी गिरावट आई है प्रोड्यूसर और व्यापारी के मुकाबले में उसकी स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है चाहे छोटे उद्योग वाला हो या बड़े उद्योग वाला हो उसको रुपया कमाने का अवसर मिला है।

कच्चा माल विदेशों से मंगा कर अपने यहां मैनुफैक्चर करके और ब्लैक में बेच कर अच्छा मुनाफा पैदा करने का उसको अवसर मिला है। उसने बड़ी-बड़ी कोठियां बनवाई हैं, ऐश-आराम के सामान इकट्ठा किये हैं। लेकिन कर्मचारियों का महंगाई के अनुसार पैसा नहीं बढ़ा है। कौन नहीं जानता कि जूडिसियरी और एक्जीक्यूटिव में बड़े-बड़े इन्साफ करने वाले और उनके सामने बैठने वाला पेशकार खुले आम रिश्वत लेता है। पेशकार कहता है कि अंग्रेजों के जमाने में जो तनख्वाह मिलती थी उसमें वह अच्छी तरह से रह सकता था और खा सकता था लेकिन आज देश के आजाद हो जाने के बाद भी उसका जीवन स्तर गिरा है और आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है जब कि आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ी है और इसीलिये वह नीचे को हाथ करके एक दो रुपया ले लेता है। किसी भी सरकार को जिसको आजादी के बाद लोकतंत्रीय शासन बनाने का मौका मिला हो और जो समाजवाद का नारा लगाती हो, उस सरकार को कुछ मौलिक नीतियों पर विचार करनी चाहिये और उन नीतियों को निश्चित कर के पूरे राष्ट्र के लिये एक पालसी अख्तियार करनी चाहिये। बिना एक नीति के राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता यह नहीं कि आप एक इन्सान को एक रुपया दें और दूसरे को एक हजार दें। आज का देश का व्यापारी वर्ग जनता को खुले आम लूट रहा है उसको चीजों के मनमाने दाम लेने और ब्लैक मार्केटिंग करने का मौका मिला है इससे लोगों में व्यापक असन्तोष फैला है और तमाम जगह करप्शन और व्यापक भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है। इसका कारण यही है कि हमारे यहां की नीति शुरू से ही ऐसी रही है कि उसमें बराबर व्यापक भ्रष्टाचार रहा है और नीचे के वर्ग का बराबर ऊपर के वर्ग द्वारा शोषण होता रहा है।

हमारे यहां व्यापारियों के बारे में गांव में कहा जाता है कि वह किसी चीज को जिस भाव खरीदें और उसी भाव पर बेच दें उनको फिर भी मुनाफा होता है। इस तरह के व्यापारियों ने बराबर जनता का शोषण किया है। इस वर्ग ने उद्योग के नाम पर और अपने पैसे के बल पर शासन में भी स्थान पाया और अपने पैसों को छोटे लोगों को कर्ज देकर समाज पर भी उन्होंने काबू पाया और सूद और बेईमानी की पूंजी को अपनी तिजोरियों में बन्द कर के रखा और अब वही वर्ग शासन में आया और उसने आज समाज की सारी जिन्दगी को तहसनहस कर डाला है। उनको इन्सान से, गरीबी से कोई सहानुभूति नहीं है, कई बार कहा गया कि बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिये किया जाय लेकिन जो वेस्टेड इन्टरेस्ट इस सरकार में घुसे हैं वह यह नहीं करने देते। हम जानते हैं कि किस तरह से यह व्यापारी वर्ग के लोग किसानों से, गरीब लोगों से गल्ला खरीदते हैं और फिर किस तरह से वे एक के चार, एक के छः और एक के आठ बनाते हैं, चाहे उन के सामने हजारों इनसान एक एक-दाने के लिये तड़प कर मर जायं लेकिन

उनकी मुनाफाखोरी की नीति पर इसका कोई असर नहीं है। क्या इसका इलाज वोट से होगा, या इस विधान सभा या संसद से होगा? हम देख रहे हैं कि आज छोटा आदमी बुरी तरह से मर रहा है। क्या खाये, क्या पहने, कहां रहे और मरने के बाद कफन तक उनको नसीब नहीं होता। क्या उपाय है इसका और क्या रास्ता इतने दिन में निकाला गया है? यह सब न करके बड़े-बड़े लोगों को, इन शोषक वर्ग के लोगों को, बन्दूकों के और बड़े-बड़े अन्य लाइसेंस दिये जाते हैं और वह उनके जरिये से अपनी जिस तरह की कमाई के रुपये को तिजोरियों में भरे हैं, उनकी रक्षा के लिये सरकार ने पूरे साधन दिये हैं। लेकिन भूखे नंगे इन्सानों की जिन्दगी की रक्षा की कोई फिक्र इनको नहीं। उन्होंने पूरे समाज की जिन्दगी पर खुली डकैती डाली है और मौज उड़ा रहे हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय तो वेतन अभिनवीकरण का है लेकिन भाषणों में सरकार को गाली, कुछ एक दो सदस्यों ने शायद मूल विषय पर बहस की हो, बाकी सरकार पर लांछन। सरकार की नीति ठीक प्रजातांत्रिक आधार पर और सिद्धान्तों पर अपनी जगह पर मजबूत है और मैं दलील देता हूं कि अप्वाइंटमेंट का अधिकार न श्री कैलाश प्रकाश जी को है और न श्री दाऊदयाल जी खन्ना को है और न चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपालानी को है। अप्वाइंटमेंट करता है पब्लिक सर्विस कमीशन और यहां के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स जजमेंट देते हैं और यह विरोधी दल जो बैठा है निन्दा के सारे अधिकार कुंवर श्रीपाल सिंह जी और कमला सिंह जी इस सरकार पर रखते हैं। सरकार की दशा तो ऐसी कमजोर है कि उसे न तो अप्वाइंटमेंट का अधिकार है और न उसको कोई फैसला देने का अधिकार है। विरोधी दलों की शुद्ध अशुद्ध सारी भाषा सुनते- सुनते कान पक जाते हैं दर्द होने लगता है और श्रीमन्, इससे आपका भी हृदय व्याकुल होता होगा लेकिन यह प्रजातन्त्र प्रणाली ही ऐसी है कि इसमें सब कुछ सुनना पड़ता है और हम आप सुनने के लिये ही बने हैं। यह सत्य है कि यह सरकार बनी है और कांग्रेस के द्वारा बनी है और वह देश की सबसे बड़ी संस्था है। उसके कुछ लक्ष्य और सिद्धान्त हैं और उन्हीं के आधार पर देश की प्रगति की ओर ले जाना हम सबका कर्तव्य है। तो अगर इस तरह की भाषा यहां इस तरफ से कही जाती हो तो उसका हम स्वागत करते हैं। योजनायें चलीं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय और अब चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रथम करण आरम्भ होने वाला है। यह सही बात है, कि तनख्वाह में टी० ए०, डी० ए० में कुछ दिक्कतें हैं लेकिन यह अकेले श्री कमलासिंह जी की बात नहीं है बल्कि यह पूरे सदन की बात है और सरकार को भी इन सब बातों पर पूर्ण हमदर्दी है। सरकार का भी लक्ष्य यही है कि जितनी जल्दी हो सके असमानतायें जो हैं उनको दूर किया जाय और जो एक भीषण खाई बीच में आमदनी की है उसको भी दूर करना हमारा लक्ष्य है और सरकार इस लक्ष्य के ऊपर रोजाना कदम उठाती चली जा रही है। आर्थिक विषमता को दूर करना भी हमारा लक्ष्य है हमारा सिद्धान्त यही है कि हम जल्द से जल्द हर शख्स को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का मौका दें, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी सिद्धान्त व्यापक तरीके से यह मांग करता है कि भीषण आर्थिक विषमता दूर हो। इन्सान को उसकी काबलियत के आधार पर जीवन बसर व तरक्की करने का पूरा मौका दिया जाय।

अब अगर एक छोटे से दृष्टिकोण को सामने रखते हुये कुछ बातें सम्मुख प्रस्तुत की जायं तो, श्रीमन्, यह श्री कमला सिंह की ज्यादती होगी। देश की बात को हम न लें तो भी प्रदेश की बात को हमें नहीं भूलना चाहिये। करीब ५ लाख कर्मचारी हमारे प्रदेश में हैं और विरोधी दल के कुछ मित्रों की इस बात से मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं कि यह कमेटी जो बैठाई गयी इसमें छोटे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व और हम जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल गायब है। यह बात बिल्कुल सही है और इस बात को पूरा सदन और हम सब मानते हैं। लेकिन यह क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसका जवाब तो वित्त मंत्री बाबू कैलाश प्रकाश जी देंगे इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर एक सिद्धान्त हमने स्वीकार किया है अगर हमने समाजवादी सिद्धान्तों पर नागपुर और जयपुर में सीलें लगायी हैं और भीषण आर्थिक विषमता को

[श्री जे० पी० मिश्र]

दूर करने की जो बात है तो इस कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा उस आर्थिक विषमता का निराकरण नहीं हुआ है और इस पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार करने की बात है। मैं अपनी ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि श्रीमन् आर्थिक विषमता की खाई सकुड़ी नहीं है कुछ चौड़ी हुई है। ऊंचे आफिसरों की तनख्वाहों में और नीचे स्तर के कर्मचारियों की तनख्वाहों में आज जो अन्तर सामने है उस अन्तर को दूर करने की तरफ सरकार का प्रयत्न होना चाहिये और अगर इस रिपोर्ट में यह नहीं हो पाया है तो आगे सरकार इस पर अपने तरीके से सरकार विचार करे कि यह जो विषमता है उसे कैसे कम किया जाय। एक कर्मचारी ४५ रुपये तनख्वाह पाता है और एक अधिकारी ३ हजार पाता है। एक मजदूर डेढ़ रुपये रोज पाता है और एक मिल मालिक ३० लाख रुपये पैदा करता है। समाजवादी सिद्धान्त के अन्दर इस किस्म की विषमता को दूर करना हमारा स्वीकृत लक्ष्य है। छोटे कर्मचारियों में एक पी० ए० सी० का कांस्टेबिल है जो काश्मीर, नेफा और लद्दाख की सीमा पर लगा हुआ है। एक पुलिस कांस्टेबिल है जो रात को पहरा देता है और उसे तनख्वाह केवल ४५ रु० मिलती है, इस तरह के मेहनतकश लोगों की मदद सरकार को करनी चाहिये। हमारा तो समाजवादी नारा यही है कि मेहनत की जो रोटी खाये वाई वही हमारा है। जो मेहनतकश है, जो जिस्मानी मशक्कत करता है उसको पेट पर भोजन देने की जिम्मेदारी सीधे सीधे हमारी है। और इस जिम्मेवारी से हम किसी तरह से विमुख नहीं हो सकते। यह हमारे ऊपर पाबन्दी है। तो क्या इस रिपोर्ट में उन पहरेदारों की, उन जांबाजों की, उन देश के रक्षकों की तनख्वाह के ऊपर किसी किस्म की तवज्जह है? ऊंची तनख्वाहें आप दे ही रहे हैं लेकिन नीचे की तनख्वाह कम से कम १०० रु० का सिद्धान्त आपको हर कीमत पर स्वीकार कर लेने में आपत्ति नहीं होना चाहिये। यह एक बात बहुत जरूरी है कि जिसको हमको पूरे तरीके से निर्वाह करना है। आखिरी बात यह है कि विरोधी दल का लक्ष्य जो है वह कुछ तनख्वाहें बढ़ा देने का नहीं है। उनको तो जनवरी, १९६७ के लिये असंतोष को पैदा करना है। जब माननीय लखी सिंह सोशलिस्ट का मेल जोल हो गया जनसंघ के राजा कुंवर श्रीपाल सिंह, राजा कृष्ण पाल सिंह और राजा यादवेन्द्रदत्त जी से तो श्रीमन्, प्रतिक्रियावाद का एक भयंकर खतरा इस प्रदेश के सामने है। मैं सरकार को मशविरा देना चाहता हूं इस प्रतिक्रियावाद के खतरे की यह घंटी है जो आपको जगा रही है ८ महीने पहले आप वह कदम उठायें कि जो प्रदेश का सबसे गरीब लगभग साढ़े तीन करोड़ इनसान है जिनकी १२ से ३० पैसे आमदनी है उस बहुतमत को अपने हाथ कंधे से कंधा जोड़ कर मिलायें। किसान आन्दोलन पर आप यकीन करें, मजदूर अन्दोलन पर यकीन करें और उनको हर तरह की सहूलियतें दें और जो निम्न कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों की तरफ भी हर हालत में कमियों की पूर्ति करके इस सदन के सामने लाकर स्वीकार करा लें और असंतोष को खतम कर देने का ८ महीने पहले का आपका लक्ष्य हो जाना चाहिये।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, माननीय मिश्रा जी की बात के बाद तो मुझे सोचना है। उन्होंने अपोजीशन की बात कही शुरू में और आखिर में लेकिन बीच में समाजवाद की बात याद आ गई। वह शायद इसलिये कि उनको १९५० का समय याद आ गया जब वे भी सोशलिस्ट थे। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज भी गरीबी, बीमारी, भुखमरी है समाज के अन्दर तो यह किसकी वजह से है। सरकार की वजह से है। १९५० में माननीय मिश्रा जी विरोध में थे। आपने ठीक कहा कि जो कमायेगा वही खायेगा। लेकिन उसके बाद फिर आपने कुछ ऐसी खिचड़ी मिलायी। मेरा ऐसा खयाल है कि इस पे कमेटी के बाद जितना रोष, असंतोष ढैला है इसकी वजह क्या है? इस रिपोर्ट के बाद तमाम कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा संतोष होना चाहिये था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस रिपोर्ट में भारी भूलें हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गलतियां हैं जिसकी वजह से काफी असंतोष है जो १९४७ में नहीं था। उससे ज्यादा असंतोष आज के कर्मचारियों को हुआ। १८ करोड़ रुपये का बजट सन् ४७ में था और आज २९० करोड़ रुपये का है। आप देखें कि आपने कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह इतनी ज्यादा की है जिनकी जरूरत नहीं थी जैसे ए० डी० एम० (ई०) दूसरी तरफ जिन लोगों को पहले से सिफारिश थी उसको भी तोड़ कर आपने नीचे कर दिया जैसे सेनिटरी इन्सपेक्टर के लिये आज भी उनकी डिमांड १६०–३२० है और उससे कम आपने कर दिया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तनख्वाह ज्यादा कर दी और ए० डी० एम० (जे०) की नीचे कर दी जब कि दोनों का रैंक और स्टेटस एक ही है। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात कही जा सकती है तो सेनेटरी इन्सपेक्टर आज भी बी० एस सी० आते हैं और जिनकी मेहनत से मलेरिया, हैजा आदि रोग हिन्दुस्तान से जा रहे हैं और इस प्रकार अपनी जिन्दगी के साथ बाजी लगाते हैं। उसी वर्ग को आप नीचे ले जा रहे हैं। क्यों? माननीय मिश्र जी ने समाजवाद की बात कही। ३०० रुपये पर कैपिटा इनकम भी उन्होंने बताई। इस पर कैपिटा इनकम से ५ गुना पे कर दीजिये और इस प्रकार १५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह देने से आपको क्या फायदा है? नवल किशोर जी कहते हैं कि थोड़े से लोग हैं और लाखों का सवाल है। मेरा निवेदन है कि थोड़े से लोगों का अथवा लाखों का सवाल नहीं है, सवाल सिद्धान्त का है। १८ साल के कांग्रेस के राज्य के बाद क्या समाजवाद का रिफलेक्शन यही है कि आज नतनख्वाहों का रेश्यो १ और ७० है। अमेरिका में बी० डी० ओ० को ६ हजार तनख्वाह मिलती है तो वहां के जज को १२ हजार मिलती है और इस प्रकार एक और तीन का रेश्यो वहां है बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी तनख्वाह में। देश की जितनी समाजवादी पार्टीज हैं सभी जानती हैं कि एक और दस से ज्यादा का रेश्यो नहीं होना चाहिये देश के अन्दर तनख्वाहों में। आपको फिजिकल और मेंटर लेबर का एक रिश्ता जोड़ना होगा और इस रेश्यो से जोड़ना होगा कि जिस्मानी मेहनत के लिये बेइज्जती न हो। आखिरकार जिस्मानी मेहनत तो इन्सान के ऊपर ही आती है। मेरे दोस्त हरी सिंह ने कहा कि एग्रीकल्चरल लेबर के लिये कुछ नहीं हुआ। उसके लिये तो हमारे विरोधी दल की तरफ से हमेशा यह हुआ कि खेतिहर मजदूर की कम से कम इतना मिले ताकि उसका पांच आदमियों का परिवार पल सके। हमारे साथी ने अभी कहा कि नैनीताल जैसे शहर में डेढ़ रुपया रोज आपके पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारी की तनख्वाह है। जो माल ढोता है उसको ५० रुपये महीने मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आपके सामने कांग्रेस पार्टी का कराची का रेजोल्यूशन है। उसमें तो यह था कि ५०० रुपये से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। तो कांग्रेस सरकार का दिमाग साफ होना चाहिये कि या तो समाजवाद की जरूरत नहीं है या फिर उस पर चलना होगा।

दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि यह सिर्फ तनख्वाह का सवाल नहीं है। अगर आपने किसी की तनख्वाह दो सौ रुपये भी कर दी और कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स ऊंचा होता रहा तो क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि सोशलिस्ट स्टेट रहे तो आपको चाहे जितना खर्च करना पड़े हिन्दुस्तान के हर नागरिक के लिये तालीम, दवाई और रहने का इन्तजाम तो करना ही पड़ेगा। जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, रूस, चीन वगैरह, वहां तो सरकार की तरफ से इन्तजाम होता है और जो वेलफेयर स्टेट्स है जैसे ब्रिटेन वहां भी नेशनल इन्कम का बहुत बड़ा हिस्सा वहां के लोगों की जिन्दगी की जरूरियात पर खर्च होता है। अगर आप कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स को गिरा दें तो कर्मचारियों में जो रोष है वह कम हो जायगा। मेरा यह खास तौर से कहना है कि पे कमेटी के जरिये से जो आपने खाइयां पैदा की हैं उनको दूर कीजिये। एक साथी ने कहा कि चूंकि सन् ६७ आ रहा है इसलिये आपोजीशन को लुत्फ आ रहा है। कांग्रेस पार्टी गलती करे, वह समाजवाद के खिलाफ चले, कांग्रेस पार्टी को इतना सुनहरा मौका मिला १८ साल का, फिर भी अगर आप हमको गालियां दें तो उसके लिये मैं क्या कहूं? जिस तरीके से हमारे मिश्राजी ने कहा कि आज भी एयर कन्डीशन्ड क्लास में जगह नहीं है, हवाई जहाज में जगह नहीं है और थर्ड क्लास के अन्दर जितनी बुरी हालत है, जिस तरह से गरीब आदमी लेबर क्वार्टर्स के लिये मारा मारा फिरता है,

[श्री बलवानसिंह]

जैसे आज खेतिहर मजदूर सिर्फ तीन महीने का काम पाता है और दूसरी तरफ करोड़ों के मालिक बिड़ला और टाटा जैसे लोग हैं अगर एक तरफ ऊंचा पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरा दलदल है तो फिर कैसे काम चलेगा ? आपको चाहिये कि उस पहाड़ को काट कर दलदल में भरिये ताकि वहां के लोग आराम से रह सकें ।

*शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल से अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के ऊपर इस सदन में चर्चा हो रही थी। यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इस मायने में कि राजकीय सेवा में लगभग जो पांच लाख व्यक्ति काम करते हैं, उनके सम्बन्ध में इसमें विचार किया गया है। इधर और उधर से दोनों ओर से विचार भी व्यक्त किए गए हैं, उन विचारों के अन्तर्गत जैसा कि सदन में कहा भी गया है; कुछ तो राजनीतिक विचारधारा है और कुछ इस रिपोर्ट के ऊपर जो असंगतियां प्रतीत होती हैं, उस पर चर्चा है और कुछ क्या लक्ष्य होना चाहिए इसकी चर्चा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समिति की रिपोर्ट देखने के लिए, इस समिति के जो टर्म्स आफ रेफरेंस थे, उन पर नजर डालनी होगी। कोई भी समिति जो भी कार्य उसको दिया जाता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा होती है, उसके अन्तर्गत ही काम करती है। माननीय सदस्य उस दृष्टिकोण से इस समिति की रिपोर्ट को देखेंगे तो मैं यह समझता हूं कि वह किसी और नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, वह अवश्य इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस समिति ने बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से काम किया है, बड़ी मेहनत से काम किया है, एक-एक चीज को देखा है और उसे देख कर उसने अपनी सिफारिशें दी हैं। वास्तव में जब इस समिति की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आते ही, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा भी है कहा गया कि बड़ा भारी असन्तोष है, इसमें बड़ी असंगतियां हैं जो इस रिपोर्ट से पैदा हो गयी हैं और इससे लोगों में असन्तोष है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इसकी रिपोर्ट जुलाई में आई, तभी इस रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था, क्योंकि बजट में हम ने इसके लिए व्यवस्था रखी थी, लेकिन जब चारों ओर से इस पर असन्तोष की चर्चा चली और मन्त्रि परिषद् के साथियों की तरफ से भी चर्चा चली तो इसे फिर से देखने की आवश्यकता पड़ी। इस बारे में पहला कदम यह उठाया गया कि इस किस्म की जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं उन शिकायतों पर विचार करने के लिए अफसरों की एक कमेटी बनी थी, जो कि असंगति-निवारण कमेटी थी। उनके सामने जो चीज रखी गयी। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस समिति में बड़े-बड़े लोग थे। वह नहीं थे जिनका इससे ताल्लुक है ऐसा उधर से कहा गया और यहां तक कहा गया कि जिसके पैर फटी न बेवाई वह क्या जाने पीर पराई। इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस समिति में एक हाई कोर्ट के जज थे, जो समिति के अध्यक्ष थे। जब भी कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो माननीय सदस्यों की ओरों से यह मांग होती है कि जांच के लिए एक हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाये। तो फिर जब इस कार्य के लिए भी जज की नियुक्ति हो गयी तो उसमें आपत्ति की क्या बात है ? समिति के दूसरे सदस्य थे अच्युत पटवर्धन, जिनसे माननीय सदस्य अवश्य वाकिफ होंगे। यह एक वह व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, जो समाजवाद की विचारधारा को रखते हैं। सामान्यतः वह किसी ऐसी कमेटी में सहयोग नहीं देते, लेकिन चूंकि यह एक महत्वपूर्ण कमेटी थी, इसलिए विशेष रूप से इस बात की उनसे याचना की गयी कि आप इस में बैठें ताकि आप का सहयोग मिल सके और हम इसमें आगे बढ़ सकें। वह सहमत हुए और इसके सदस्य बने। एक सदस्य रामाधार मिश्र हैं जो मननशील व्यक्ति हैं। वह ऊंचे दर्जे के विद्वान हैं। प्रोफेसर भी रह चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्य के लिए, सेवा के लिए उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरी छोड़ कर सेवा का कार्य अपना लिया है। सर्वोदय विचारधारा के व्यक्ति हैं। वह इसके सदस्य बने। आपका एक पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का इंस्टीट्यूट है जिससे आशा की जाती है कि वह सामान्य प्रशासन को जानता है, उस का अध्ययन करता है, वहां के एक सदस्य हैं। इस प्रकार जो भी सदस्य इस समिति के हैं उन्होंने भिन्न-भिन्न विभागों में रह कर कर्मचारियों की कठिनाइयों को, उन की परेशानियों को देखा है, उनकी विषमता को देखा है और उनके सामने अपना अनुभव रहा है। इस के साथ ही साथ उस समिति का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है कि जिस पर इस समिति की सिफारिशों का प्रभाव पड़ रहा हो। जो सरकारी अधिकारी भी हैं उन पर इस समिति के प्रतिवेदन का प्रभाव नहीं पड़ता। वे केन्द्रीय सर्विसेज के आदमी हैं। यदि किसी विभाग के अधिकारी को सदस्य बना दिया जाता तो यह कहा जा सकता था कि इस विभाग के अधिकारी को सदस्य बना दिया गया इसलिए वहां के कर्मचारियों की हालत तो ठीक हुई, लेकिन दूसरे विभाग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो जहां तक समिति के निर्माण का प्रश्न है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं, अगर इसका ठीक प्रकार से अध्ययन किया जाय तो, कि उसका निर्माण उचित ढंग से ही हुआ है।

अब कमेटी ने अपने काम में बड़ी मेहनत की और बड़ा अध्ययन किया। यदि माननीय सदस्यों ने इस की रिपोर्ट को देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि समिति ने एक प्रश्नावली पहले तैयार की जिस के उत्तर सब जगहों से मंगाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने साक्षात् करने का भी विभागीय अधिकारियों तथा विभिन्न एसोसिएशनों को पूरा अवसर दिया। उनसे प्रतिवेदन मंगाए और इस सबके बाद यह आशा की जा सकती है कि जो भी बात आ सकती थी, जो कुछ तर्क उठ सकते थे, जो भी क्लेम हो सकते थे, वे सब उसके सामने उपस्थित थे और इन सबको उस समिति ने अपने सामने रख कर उन का अध्ययन कर, अपनी रिपोर्ट उसने तैयार की। यह उन की प्रणाली है। तत्पश्चात् जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि रिपोर्ट आने पर सब ओर से यह महसूस होने लगा कि कुछ असन्तोष पैदा होता जा रहा है, कहीं बड़े आदमियों, अधिकारियों के लिए कहा गया, कहीं छोटे कर्मचारियों के लिए कहा गया, विभिन्न रूपों में बातें उठ खड़ी हुयीं, तो यह सोचा गया कि समिति का उद्देश्य तो असन्तोष बढ़ाना नहीं था इसलिए इसे देखने की आवश्यकता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजकीय सेवा में लोग हैं वे सरकार के सम्पर्क में रहते हैं। सरकार का काम उनसे ही चलता है। जहां तक उन से सहानुभूति का प्रश्न है, वह इस पार्टी को भी उतनी ही है जितनी उस पार्टी को है। राजकीय कर्मचारी और अधिकारी सामान्यतया शासन के साथ रहते हैं, उन्हीं के द्वारा काम होता है, तो स्वाभाविक बात है जो आदमी मन्त्रिमण्डल में हैं, जिनका उत्तरदायित्व काम को चलाने का है, उनके सामने वह चीजें आती रहती हैं। किसी तरह से उनकी सहानुभूति में कमी नहीं हो सकती। जितनी सहानुभूति उधर के सदस्यों की और इधर के सदस्यों की है, जिनको असंगतियां महसूस होती हैं, उतनी ही यदि उससे अधिक नहीं आगे के बेंचों पर बैठने वालों को है। लेकिन जहां सहानुभूति है केवल प्रश्न उठा देने से काम नहीं चलता। जो हर विषय पर ऊंचे से ऊंचे जाते हैं जिनको व्यवहारिकता से कोई सम्बन्ध नहीं उनकी बात दूसरी है। लेकिन जिस वक्त व्यावहारिकता की बात लानी पड़ती है उसके लिए आवश्यक है कि जो बात कहें उसको लागू करें। अगर व्यावहारिक बात नहीं है तो उचित नहीं है कि उसको कहें। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि इसी रिपोर्ट से, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा भारी असन्तोष पैदा हो गया है इसी रिपोर्ट के फलस्वरूप, यही सुविधाएं देने के कारण, जिनको सरकार ने स्वीकार किया है, ८५ करोड़ रुपया पांच साल के अन्दर खर्च बढ़ने वाला है। बजट के समय जब उधर के सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, टैक्स को कम कीजिए। सोचने की बात है कि आखिर सरकार अगर किसी को कुछ देना चाहती है तो वह पैसे के रूप में बात होती है। अगर वेतन बढ़ाना है, एक हद से ज्यादा जाना है, तो यह काम तभी हो सकता है जब कहीं से उपलब्धि हो। मुझे प्रसन्नता होती कि माननीय सदस्य यह भी सुझाव देते कि ८५ करोड़ से काम चलने वाला नहीं है १८५ करोड़ से काम चलने वाला है, तो १०० करोड़ कहां से आने वाला है। आज ५ करोड़ का टैक्स किसानों पर लगा हुआ है, जानते हुए कि कष्ट भी है, और माननीय सदस्य कहते रहते हैं। पिछले बजट में ११ करोड़ रुपया का टैक्स जगह-जगह से इकट्ठा करना पड़ा। मैं मानता हूं कि कीमतें चढ़ जाने से परेशानियां बढ़ गयी हैं,

[श्री कैलाश प्रकाश]

जो वेतनभोगी हैं उनके लिए रुपया का मूल्य कम होता जाता है। यह अपनी जगह पर स्वीकार है। मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि देंगे तो कैसे देंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय मन्त्री जी....

श्री कैलाशप्रकाश—

जरा बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वह बैठते नहीं हैं तो आप नहीं कह सकते।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैंने कहा था....

श्री उपाध्यक्ष—

वह खड़े हुए हैं, तब तक कुछ न कहिए।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अगर अध्यक्ष नहीं चाहते हैं कि सफाई हो तो लेना-देना नहीं है।

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि बात सोचने की यह होती है कि उन कठिनाइयों को हम कैसे हल कर सकते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

कठिनाइयां कुछ नहीं हैं, हल नहीं करना चाहते।

श्री कैलाशप्रकाश—

मुझे क्षमा कीजिए, यह कहना मुनासिब होगा कि प्रश्न को देखने का उत्तरदायित्व इधर ही है, ऐसा समझ रखा है। जब इधर बैठेंगे तब देखेंगे। और इस तरीके से बात करने से इधर बैठने का मौका आने वाला नहीं है। नागरिकों को इस बात की जानकारी हो गई है कि व्यावहारिकता क्या है और आदर्श और सिद्धांत क्या हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी मन्त्रि-परिषद् की एक उप समिति बनी, जिसने इसके हर पहलू पर विचार किया। अक्तूबर से जनवरी तक उसकी करीब ५४ बैठकें हुयीं और बड़ी गम्भीरता के साथ उसने हर एक केस पर विचार किया, उसने अपने सहयोगियों से भी चर्चा की, विभिन्न विभागों के मन्त्रियों से भी परामर्श किया, विभागाध्यक्षों से भी जहां आवश्यकता समझी परामर्श किया और हर विषय पर विचार किया। विचार करने के बाद उप समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। ऐसा कहना गलत है कि उसने कोई जल्दबाजी में अपनी रिपोर्ट दी।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस रिपोर्ट के अध्याय ९ के पैराग्राफ ४ को देखा जाय—इसमें लिखा है—"विचारणीय विषयों के अनुसार जो कि हमें सौंपे गए हैं, हमसे यह अपेक्षा की गयी है कि हम अन्य बातों के साथ-साथ एक ही प्रकार के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के लिए यथासम्भव समान

परिलब्धियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिलब्धियों के स्वरूप के अभिनवीकरण के लिए सिफारिशें करें। वास्तव में समान पदनाम वाले पदों के लिए सदैव ही समान कर्तव्य और उत्तरदायित्व नहीं होते हैं। उस दशा में यह स्थिति और भी जटिल बन जाती है जब एक ही प्रकार के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों वाले पदों के लिए स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न अर्हतायें विहित की गई हों। इसके अलावा भिन्न-भिन्न कार्यालयों में कार्य की किस्म, उस कार्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था तथा इसी प्रकार की अन्य बातों का विचार रख कर भिन्न-भिन्न कार्यालयों में एक ही प्रकार के पदों के लिए भिन्न-भिन्न कर्तव्य और उत्तरदायित्व विहित किए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की तुलना दूसरे पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ करना कठिन है और हमारी राय में ऐसी दशा में तब तक परिलब्धियों का अभिनवीकरण करना व्यावहारिक नहीं होगा जब तक कि उन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का ध्यान रखकर जिनका कर्मचारियों को उस प्रशासनिक व्यवस्था में निर्वहन करना पड़ता है, उनकी अर्हताओं का अभिनवीकरण न किया जाय। किन्तु अर्हताओं का अभिनवीकरण करना हमारे अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।" इससे यह स्पष्ट है कि एक ही कार्यालय में और दूसरे कार्यालय में यदि एक ही नाम के पद हैं तो उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व समान नहीं हो सकते। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस चीज को समझेंगे। देखना तो यह है कि उनका उत्तरदायित्व कितना है। केवल नाम से ही उसे नहीं देखना है। यह समिति उनके नाम को भी बदलती, परन्तु वह उसके अधिकार-सीमा में नहीं था और अधिकार सीमा के क्षेत्र में भी होती तो उनको बहुत देर लगती क्योंकि तमाम रिआर्गेनाइजेशन को बदलने में उनको और समय की आवश्यकता थी। हम इस बात को चाहते थे कि परेशानियां राज्य कर्मचारियों की बढ़ गई हैं इस वजह से जो सिफारिश इस वक्त आ सके वह आवे। अतः माननीय सदस्यों को ये कई शिकायतें सुनने को मिलेंगी। एक दफ्तर में एक एकाउन्टेन्ट और दूसरे दफ्तर में दूसरा एकाउन्टेन्ट पर उनका कहना यह है कि तनख्वाहें एक नहीं हैं। इस तरह से नाम को लेकर कई विभागों में असंगतियां पैदा हुई हैं। कई विभागों में स्टेटिस्टिशियन की जगहें हैं। पर किसी विभाग में अवर वर्ग का सहायक ही स्टेटिस्टिशियन है और उसी का यह नाम रख दिया। किसी विभाग में प्रवर वर्ग का सहायक इस पद पर है और स्टेटीस्टिशियन विभाग में स्टेटीस्टिशियन का जो पद है वह काफी योग्यता का है। अगर केवल नाम से कोई स्टेटीस्टिशियन है और पद उसका लोअर क्लर्क का ही है तो केवल स्टेटिस्टिशियन के नाम से ही समान वेतन देना सम्भव और उचित नहीं है। इन सब चीजों को समिति ने देखा है। एक-एक पद को देखा। उनके अधिकारों और कर्तव्यों को देखकर यह निश्चित किया कि इस पद का यह वेतन होना चाहिए और उस पद का यह वेतन होना चाहिए। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस चीज को अगर इस पृष्ठभूमि के साथ देखा जावेगा तो यह जो असंगतियां प्रतीत होती हैं माननीय सदस्यों को और उधर के बैठने वालों को जो प्रतीत होती हैं और उनको भी प्रतीत होती थीं जिन्होंने इस बात का अध्ययन किया तो इतनी असंगतियों को....

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय मन्त्री जी ये जो पशुपालन के जो ए० डी० ओ० हैं, इनका एक ही काम है...

श्री कैलाशप्रकाश—

अगर आपको कोई विशेष पद के लिए पूछना हो तो और बात है। यहां पांच लाख आदमियों का मामला है। माननीय सदस्यों को किसी विशेष सेवा की कोई कठिनाई आ गई हो तो उसको देखने की कोशिश की जा सकती है या माननीय सदस्यों को बताया जा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह योग्यता रक्खी गई है किन्हीं विभागों ने ऐसा भी कर रक्खा है कि दो योग्यतायें कर रक्खी हैं। हाई स्कूल और बी० ए० की भी योग्यता एक ही पद के लिए रक्खी गई हैं। जहां योग्यता कोई भी हो, ऐसी बात थी, वहां उन्होंने जो वेतनक्रम निर्धारित किया है उसमें जो न्यूनतम योग्यता है उसको ही रक्खा है। अगर कहीं दसवीं क्लास पास या कहीं डिप्लोमा पास या कहीं सर्टिफिकेट पास या कहीं डिग्री पास इन लोगों से काम चल सकता

[श्री कैलाश प्रकाश]

है और कहीं दूसरा अधिक योग्यता वाला आदमी आ रहा हो तो यह ठीक बात है। जनसाधारण का भी अधिकार है कि अगर वह मिलता है तो वह इस योग्यता से काम ले। पर उनके वेतनक्रम का निर्धारण उस चीज से करे। अगर अधिक योग्यता का आदमी मिलता है तो उनको नियुक्ति में प्राथमिकता दे दी जाय। उनका यह कहना कि क्योंकि हम योग्यता में अधिक हैं इसलिए हमें वेतनक्रम वह मिलना चाहिए जिस योग्यता के हम हैं, यह नहीं हो सकता है। पर जिस योग्यता के पद पर वे आए हैं उस योग्यता का वेतनक्रम उनको उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने इस चीज को किया है। असन्तोष का जो बबूला मालूम होता है वह इन कायदों के कारण प्रतीत होता है। श्रीमन्, मैं तो वास्तव में इस कमेटी ने जो काम किया है और जितने अध्ययन के साथ और जितनी लगन के साथ इन्होंने रिपोर्ट दी है इतने समय में वाकई प्रशंसनीय है और मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने इतने जबरदस्त काम को इतने अल्प समय में किया जिससे बड़ा भारी एक लाभ हो सका। श्रीमन्, एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रदेशीय कर्मचारियों की तुलना आल-इंडिया सर्विसेज से नहीं की जा सकती। इस वजह से कि आल-इंडिया सर्विसेज का निर्धारण केन्द्र से होता है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने कमिश्नरों की तनख्वाहें बढ़ा दीं, उसमें प्रान्तीय सरकार कुछ नहीं कर सकती। हां, माननीय सदस्यों के इस विचार से यह सरकार भी पूर्णतया सहमत है कि सेवाओं के बारे में राष्ट्रीय नीति एक होनी चाहिए। जब इस विषय में हमें दिल्ली जाने का अवसर मिला और वित्तीय कमीशन के सामने चौथी प्लान के सम्बन्ध में जब हम गए तो हमने इस बात पर बल दिया। हमने कहा यह बात उचित नहीं है कि लखनऊ में ही कोई केन्द्रीय सर्विस का आदमी रहे और उसी काम को करने वाला प्रादेशिक सर्विस का आदमी हो और उनको एमाल्यूमेंट्स अलग-अलग मिलते हों। उदाहरणस्वरूप केन्द्र का चपरासी और प्रदेशीय सरकार का चपरासी एक ही काम करता है लेकिन एमाल्यूमेन्ट्स उनके भिन्न हैं। जहां तक प्लानिंग कमीशन का सम्बन्ध है उन्होंने इस बल को स्वीकार किया तो जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है उसने आप के दृष्टिकोण को वहां रखने का प्रयत्न किया लेकिन उसके अनुसार कार्य करना केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करता है। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं, वे अपनी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं जब डी० ए० का सवाल पिछले वर्ष आया तो प्रदेशीय सरकारों के मुख्य मन्त्री या वित्त मन्त्री वहां गए और उन्होंने एकांगी काम करने के तरीके का विरोध किया और वह इस लिए कि केन्द्रीय सरकार के पास कर लगाने की अभी काफी क्षमता है जो प्रदेशीय सरकारों के पास नहीं है और जो योजना बनती है उसके धन का निर्धारण भी वहीं करते हैं तथा हम को कितना हिस्सा देना है वही बतलाते हैं। इस प्रकार हमने कर्तव्य को वहां भी पूरा किया है। इसलिए आल-इंडिया सर्विसेज प्रादेशिक सर्विस की तुलना हम नहीं कर सकते। सूबे में किन्हीं दो कर्मचारियों की तुलना हम कर सकते हैं उनके उत्तरदायित्व, कर्तव्य तथा वेतन में समानता पैदा कर सकते हैं।

एक बात की सदन में बहुत चर्चा हुई कि ब्यूरोक्रेसी का आज भी बहुत जोर है और डिमोक्रेट्स का नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि इस विकास के युग में जो टेक्निक जानते हैं, जो प्राविधिक रूप से शिक्षित हैं उनका बड़ा महत्व है और उनको हम आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, हम समाज के विकास में और उन्नति में उनको आगे रखना चाहते हैं। हमारी मन्शा यह किसी तरह से भी नहीं है कि उन के काम को नीचे स्तर पर रखा जाय लेकिन, जैसा मैंने निवेदन किया, हम सूबे की सर्विसेज से ही तुलना कर सकते हैं। अब बहुत-सी आल इंडिया सर्विसेज के बनाये जाने की तजवीज है, इंजीनियर्स की, डाक्टर्स की, शिक्षकों की आल इंडिया सर्विसेज बनाने की तजवीज है तो हम उस में भी कोई आपत्ति नहीं करते और जब वह बनेंगी तभी उन में आल इंडिया स्तर पर समानता आ सकती है लेकिन जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं उस चीज की तुलना यहां करना उचित नहीं है क्योंकि हम तो केवल यहीं की तुलना कर सकते हैं। जब हमारा उद्देश्य समाजवादी है तो हमें देखना यह है कि हम उस दिशा में बढ़ें या नहीं, यह कमेटी की रिपोर्ट उस दिशा में गई या नहीं गई। वह गई है। लेकिन अगर आप केवल रिपोर्ट ही देखते हैं और उस के

साथ जो सरकार का प्रस्ताव है उस को नहीं देखते हैं तो कुछ गलतफहमी हो सकती है क्योंकि एक-दो माननीय सदस्यों ने कहा कि ऊंचे वेतन वालों का अधिक बढ़ाया गया है और नीचे वालों का कम बढ़ाया गया है। प्रस्ताव में सरकार ने जो चीज स्वीकार की है वह यह है कि १,००० तक वेतनक्रम पाने वाले जो लोग हैं उनका कुछ न बढ़ाया जाय और १,००० से जिनका वेतन-क्रम आरम्भ होता था उन का कुछ नहीं बढ़ाया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जिस को सन् ४७ में जिनको २५ रुपया वेतन मिलता था निम्नतम और उच्चतम मिलता था २ हजार उस हिसाब से वह अनुपात १ और ८० का था सब से ज्यादा और सब से कम में। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद यह अन्तर कम हुआ है और ७० कम से कम मिलेगा और अधिक से अधिक वही २ हजार रुपया। इस तरह से यह अन्तर अब घटकर १ और २८.३ का रह गया है जो १ और ८० का था। तो क्या इससे माननीय सदस्य कह सकते हैं कि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़े हैं? हम समाजवाद की दिशा में बढ़े हैं।

यह भी एक विचारणीय और गम्भीर मसला है कि महंगाई बढ़ती जाती है और क्या ऐसी हालत में वेतन बढ़ाते जाने से कोई इसका हल निकल सकता है। एकोनामिस्ट्स की तरफ से कहा जाता है कि इस तरह से जो रुपया खर्च करने वालों के पास पहुंचता है उससे चीजों के मूल्य और बढ़ते जाते हैं और हमें इसका कोई न कोई उपाय सोचना होगा। इसमें शक नहीं है कि वास्तविक दिक्कत तभी हल हो सकती है जब हम मूल्यों पर नियन्त्रण रख सकें और उनको स्थिर करें और उनको नीचे लायें। समाजवादी पार्टी की नीति हम नहीं मानते लेकिन यह हम मानते हैं कि समाजवाद के सिद्धान्त को मानने वाले ही समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं और करेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि वह कीमतें जिससे कि जो रुपया आज मिलता है, उस रुपये से जो सुविधायें जीवन में मिल सकती हैं, वे सुविधायें अच्छी तरह से उपलब्ध हों, इसका हमने प्रयास किया है। कीमतों पर असर केन्द्रीय सरकार की नीति से बहुत ज्यादा पड़ता है और प्रादेशिक सरकार की नीति से भी पड़ता है, तो उस तरफ भी हमारा ध्यान है। माननीय सदस्यों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रश्न उपस्थित हुआ तो वहां भी यह सवाल आया कि इसके लिये कोई न कोई ऐसा हल ढूंढना चाहिये जिस से उचित मूल्य के ऊपर काम चलता रहे। तो इस हिसाब से भी इस दिशा में प्रदेश के अन्दर कदम उठाया गया है और उठाया जा सकता है जिससे उनको ज्यादा सहूलियत हो।

एक बात मैं स्पष्ट रूप से बतला दूं कि इस रिपोर्ट में और जो निर्णय सरकार ने लिया है, उसमें एक बड़ा भारी फर्क है। और वहां एक प्रश्न उपस्थित किया गया है कि जिसको आज जो कुछ मिल रहा है उससे उसका काम नहीं होगा। अगर किसी का वेतन-क्रम कम कर दिया गया है तो यह कर्मचारी की इच्छा के ऊपर है कि अगर वह समझता है कि नये वेतन-क्रम से उसको नुकसान है तो वह अपने पुराने वेतन-क्रम को ही ले। इस समय जो सुविधायें उसे उपलब्ध हैं उन्हीं को वह ले।

श्री उग्रसेन—

इस चीज को आप ठीक कर दें।

श्री कैलाश प्रकाश—

हमारे खयाल से यह ठीक ही है। जिस कार्य को एक आदमी कम वेतन पर करता है, उसी कार्य को हम अधिक वेतन पर क्यों करावें? जिन पर हम टैक्स लगाते हैं उनका उत्तर दायित्व हमारे ऊपर है, जिनको हम देते हैं उनका उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर है। दोनों का उत्तरदायित्व जब हमारे ऊपर है तो हमें दोनों में एक बैलेंस निकालना है ठीक करके। इस बात को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता कि जब टैक्स लगाने की बात आये तब तो कहा जाय कि टैक्स मत लगाओ और जब किसी को देने का सवाल आये तो कहा जाय कि देना चाहिये। जैसा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, किसी चीज को व्यावहारिक समझ कर उसे करने की

[श्री कैलाश प्रकाश]

कोशिश करनी चाहिये। एक प्रश्न यह किया गया कि जो आज के कर्मचारी हैं और जो पुराने वेतन-क्रमों को स्वीकार कर रहे हैं उनको वही भत्ता मिलेगा या नहीं? इस रिपोर्ट के अन्दर ही यह कहा गया है कि जो नया वेतन-क्रम नहीं लेंगे उनको स्थायी नहीं किया जायगा। सरकारी नौकरी में स्थायीकरण के कुछ लाभ होते हैं। कोई नया वेतन-क्रम ले चाहे कोई पुराना वेतन-क्रम ले, जिनके लिये स्थायीकरण की सारी चीजें मौजूद हैं तो केवल इसलिये कि उन्होंने नया वेतन-क्रम नहीं लिया, किसी का स्थायीकरण रोका नहीं जायगा। वह उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि जिस दिन उनकी नियुक्ति हुई थी उस दिन से आप्ट करें या पहली अप्रैल से आप्ट करें। इस बात का इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता है कि जो वेतन-क्रम मिला है वह ऐसा है कि मर्जी के अनुसार छांटने का मौका मिला है?

श्री उग्रसेन—

ढाई आदमियों के परिवार की भी व्याख्या कर दें।

श्री कैलाश प्रकाश—

अगर माननीय सदस्य ध्यान से पढ़ेंगे तो ढाई परिवार की व्याख्या इस रिपोर्ट के अन्दर ही कर दी गयी है। किन्तु उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है, और क्यों नहीं स्वीकार किया है, उसका भी कारण दे दिया है। जब कभी औसत लगाया जाता है तो नीचे और ऊंचे का ध्यान रख कर औसत लगाया जाता है। अगर आपको अनुमान लगाना है कि १००—४०० रु० के वेतन मान का क्या भार पड़ेगा तो उसके लिये औसत निकालना पड़ेगा। तो जो फेमिली का सिलसिला लगाया है वह इस प्रकार है कि जो १८ साल के लोग नौकरी में आयेंगे यह जरूरी नहीं है कि अधिक संख्या में वे विवाहित हों। इकोनोमिस्ट्स और स्टेटिस्टीशियन्स की जो राय है उन्होंने उसका कारण उसी में दे दिया है। जो चीजें रिपोर्ट में साफ तरीके से लिखी हैं उनको दोहराना नहीं चाहता, आप उसको स्वतः पढ़ लेंगे। जो विशेष बातें यहां कही गयी थीं उनके बारे में मैंने चर्चा की।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, काफी असंगतियां थीं और उनको दूर भी किया गया। फिर भी हो सकता है कि एक आध असंगति रह गयी हो जिसको देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार दरवाजे बन्द करके बैठ जाये। किन्तु यह निश्चित है कि इस चीज को एक दफा, दो दफा विभिन्न स्तरों पर देखा गया और उसके पीछे तर्क और आधारभूत बातों को देखा गया। किन्हीं माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार कान में तेल डालकर बैठ जाती है। मैं निवेदन कर दूं कि इस तरह का आमंत्रण देना जिससे व्यवस्था खराब हो उससे किसी का लाभ नहीं होने वाला है और मैं निवेदन कर दूं कि उनको भी लाभ नहीं होने वाला है जो कोई इस तरह का चैलेंज या आमंत्रण करते हैं। यह बात साफ है कि सरकार के सामने जो भी तर्कपूर्ण बात आयेगी शासन उस पर विचार करने के लिये दिमाग खुला रखता है। लेकिन किसी आन्दोलन की धमकी से यह समझा जाय कि शासन दब कर उस काम को कर सकता है, मैं समझता हूं यह कोई भी शासन नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

यही नारे लगाकर अगर कोई इधर बैठना चाहे तो भी नहीं बैठ सकता।

श्री उग्रसेन—

ये लोग लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश बन्द करेंगे आप इसको नहीं रोक सकते। जब उनके बच्चे भूखे मरेंगे तो वे राशन की दूकानें लूटेंगे। आप उनको रोक सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

उग्रसेन जी, आप कृपा कर बैठ जायें।

श्री कैलाश प्रकाश—

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सहानुभूति में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आधारभूत बातें हैं, तथ्य हैं, उनको देखने के लिये हम तैयार हो सकते हैं किन्तु यह चीज कई बार देखी जा चुकी है।

यहां माननीय सदस्यों ने सेनिटरी इंस्पेक्टर का मुकाबला ए० डी० ओ० से किया, वह सही नहीं है। उन दोनों की योग्यता में फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष—

५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है।

श्री कैलाश प्रकाश—

ए० डी० ओ०, एग्रीकल्चर, कोआपरेटिव और सोशल वेलफेयर ग्रेजुएट्स होत हैं और सेनिटरी इंस्पेक्टर, हाई स्कूल विथ ट्रेनिंग होते हैं। दोनों का ग्रेड भी एक नहीं था। तो जो यह चीज बतलाई गई वह अपनी जगह सही नहीं है फिर भी कोई बात ऐसी हो कि असंगति हो, उसके लिये देखने की बात हो सकती है।

एक बात डी० आई० जी०, सी० आई० डी० के आशुलिपिकों के बारे में कही गयी .... (व्यवधान)। माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहते तो मैं कुछ नहीं कहता और बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ अप्रैल, १९६६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२० पर)

फर्रुखाबाद जिले में निम्नलिखित नलकूपों की नालियां सितम्बर, ६५ से दिसम्बर ६५ तक ठीक कराई गईं—

फर्रुखाबाद ग्रुप—

८८,११५,८४,१२२,८०,१३,२७,५,१०३,१०५,१२३,१५,१६,४८,४९,५१,१६ नवम्बर ।

कायमगंज ग्रुप—

११,२०,२१,२२,२३,४३,४२,४१,३८,४५,३९,४०,३६,३७,३३,३२,३१,३० ३४,४८,४४,४६,३५,२४,२६,२७,४७,२७ नवम्बर ।

छिबरामऊ ग्रुप—

३२,१२,१३,११,३३,३०,३९,४०,३४,१६,४,२६,६,७,१५,१८,१६, नवम्बर ।

कन्नौज ग्रुप—

१५,१७,१०७,४४,४५,९,१२,१३,१४,४२,४१,१२ नवम्बर ।

विधान सभा फर्रुखाबाद

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९(२) के तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३० पर)

माननीय चीफ इन्जीनियर महोदय, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सहायक अभियन्ता, तृतीय नलकूप खण्ड, आजमगढ़ । श्री सैयद कौसर अख्तर रिजवी का वृतान्त भ्रष्टाचार ।

१—ये जाति के मुसलमान हैं और मुसलमानों का एक ग्रुप बनाये हुये हैं ।

२—इनके पैट ठेकेदार हैं जैसे फैयाज अहमद, श्री लाल मुहम्मद, श्री बसीर अहमद, श्री सतार अहमद तथा और अन्य भी हैं ।

३—मुसलमान ठेकेदारों को ठीके का काम लाभदायक देना तथा उनको नाजायज रकम कमवाना तथा अपने खुद भी कमाना ।

४—ग्राम पटाई व ड्रेन खुदाई का गवर्नमेंट फण्ड का लेप्स करना ।

५—श्री फैयाज अहमद ठीकेदार के नाम फर्जी बल्लियों की सप्लाई कराना सन् १९६४ ई० में महुला गढवल बन्ध पर ।

६—गांगेपुर में ६ बंडाल गडाई सेक्शन रहते हुये केवल ४ बंडाल का टेन्डर मांगना तथा २ बंडाल का काम अपने पेटा मुसलमान ठीकेदारों के लिये बचाना ।

७—महुला गढ़वाल बध पर गांगेपुर साइड पर श्री फैयाज अहमद ठीकेदार के नाम सन् १९६५ में फर्जी कागज में बल्ली सप्लाई दिखाना परन्तु वास्तव में ये बल्लियां महुला गढ़वल बन्ध के दूसरे साइड रामपुर धनौली पर रक्खी गयी हैं जब कि बल्लियों की ढुलाई गांगेपुर से रामपुर धनौली दिखाई गई होगी ।

८—महुला गढ़वल बंध के जुटे के रखवालों की तनख्वाहें बहुतों की कई माह से नहीं दी जा रही है ।

९—एक चौकीदार श्री सगीर अहमद जो सहायक अभियन्ता तृतीय के बंगले पर रह कर इनका सब प्राइवेट वर्क करता है परन्तु साथ साथ उसकी ड्यूटी महुला गढ़वल बंध के चौकीदार में दिखाई जाती है ।

१०—महुला गढवल बांध पर जो जुट्टे लगवाये गये हैं इस काम के कराने में जो नाजायज रकम भी कई ठेकेदारों से लेने के बाद पेमेंट किया गया है ।

११—ये ड्यूटी के समय भी जब बगले पर रहते हैं तो नियमतः साढ़े ११ बजे से साढे तीन बजे तक सोये रहना जरूरी है जब कि कोई ठेकेदार अपनी बात कहना चाहे तो उसे आर्डर ४ बजे के बाद ही होता है ।

१२—ठेकेदारों को अपशब्द कहना व धमकी देना आये दिन का काम है ।

१३—अधिकांश हिन्दू ठेकेदारों को पेमेंट में परेशान करते रहते हैं ।

१४—सन् १९६४ में गांगेपुर साइड पर जो बल्ली गड़ाई का काम हुआ जो दस फुट से लगायत २० ही फुट तक गड़वाई गई जब कि कटाव की गहराई २५ फुट के लगभग थी । इस प्रकार जनता व सरकार के पैसों का दुरुपयोग रहा ।

१५—बहुधा ठेकेदारों को वर्क आर्डर की कापी नहीं दी जाती जबकि उन ठेकेदारों से काफी माया दस्तखत बनवाई जाती है वर्क आर्डर बाद में मनमाना भरा जाता है ।

१६—जुट्टे लगवाने में ५ नये पैसे प्रति जुट्ट। लगवाई देना कह कर वर्क आर्डर में केवल ४ ही नया पैसा भरा गया ।

१७—सन् १९६३ में रामपुर धनौली के साइड पर कुछ बल्लियां नाजायज बेची गयी जिसकी यह भी खबर है कि दोहरो घाट के थाने तक भी पहुच चुकी थी।

१८—कई छोटे छोटे काम कई आदमियों से कराकर उसका पेमेंट केवल पेट मुसलमान ठेकेदार ही के नाम हुआ करता है।

१९—कैंची बध जो महुला गढवल बध में गांगेपुर के पास बनाया गया है उससे स्टीमेट से काफी ज्यादा मिट्टी का पेमेंट किया गया है जो बरसात के पहले सेक्शन मेजरमेंट लेने से प्रगट हो जायगा कि कितना गलत पेमेंट किया गया है।

२०—बल्लियों के गाड़ने में जो लोहे के कील कांट व क्लैम्प प्रयोग में लाये गये हैं उनकी लम्बाई व मोटाई सप्लाई पेमेंट से गलत है।

२१—गांगेपुर साइड पर बल्लियों की संख्या कम गाड़ कर अधिक बल्लियों का पेमेंट हुआ है जब कि बल्लियों को वहां के वहां दिखाया गया होगा।

२२—कुछ कार्य मार्च, सन् १९६५ ई०, तक पूरे होने की ख्वाहिस में ठेकेदारों से जवानी कहकर कराया गया परन्तु नाजायज फायदा न होने पर उन गरीब ठेकेदारों का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ जैसे खरख नोनियां ग्रुप परौली पी० कठियारी का है जिसने अधिक वर्क चगईपुर मेझउवा ड्रेन भी कराया है और अब तक न वर्ग वर्क आर्डर है न पेमेंट है बरसात हो जाने पर इस ठेकेदार के मिट्टी बंटवाने का सबूत खतम हो जावेगा इस प्रकार कैंची बंधे में भी दलीप चन्द ग्राम उरदिहा व ठाकुर प्रसाद ग्राम नई बाजार के भी किस्से हैं।

२३—कई ठेकेदारों से नाजायज रकम वसूल की गई है जैसे दूधनाथ यादव व श्याम देव यादव इत्यादि है।

२४—इस वर्ष रामपुर धंनौली ग्राम के समीप बल्ली गाडने का ठेका विजय बहादुर सिंह, ग्राम व पो० रोनापार, जिला आजमगढ़, का है इस काम में भी सारा कार्य समाप्त होने के बाद अब इस समय साइट पर काम करने वाले ओवरसियर श्याम मोहन श्रीवास्तव तथा सहायक अभियन्ता तृतीय नाजायज रकम ठेकेदार विजय बहादुर सिंह से न पाने पर अधिकांश बल्ली गाड़ने का काम रद्द करने की कोशिश में हैं जब कि रामपुर धनौली के बल्लि गड़ाई के काम का निरीक्षण लगातार सम्बन्धित अधिकारियों से होता रहा है यह काम भी तुरन्त दिखवाने की जल्दी नहीं हुई तो बाढ़ में ग्रस्त हो जावेगा फिर असलियत लुप्त हो जावेगी।

अतः आप से प्रार्थना करता हू कि शीघ्र से शीघ्र उल्लिखित सहायक अभियन्ता तृतीय नलकूप खंड आजमगढ़ के स्थानान्तरण करके जांच करने की कृपा करें।

(ह०) इन्द्रासन सिंह,
एम० एल०ए०

१६ जून, १९६५।
सगड़ी आजमगढ़

(ह०) उमाशंकर,
एम० एल० ए०।

नत्थी 'ग'

(देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर।)

तालिका

क्र०सं०	नाम	समय कब से कब तक
१	२	३
१	श्री ई० एनयोनी ..	.. अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५
२	,, जे० पी० शुक्ला ..	.. ,, ,, ,,
३	,, ए० एच० खान ..	.. ,, ,, ,,
४	,, एस० एम० भसीन ..	.. नवम्बर, १९६५ से जनवरी, १९६६
५	,, एस० एन० लाल वर्मा ..	.. अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५
६	,, आर० पी० सिंह ..	.. नवम्बर, १९६५ से जनवरी, १९६६
७	,, जी० एस० श्रीवास्तव	.. अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५ दिसम्बर, १९६५।
८	,, एन० पी० श्रीवास्तव ..	.. अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५
९	,, एस० एन० मेहरोत्रा ..	.. नवम्बर, १९६५.....
१०	,, एन० पी० सिंह ..	.. जुलाई, १९६५ से अक्तूबर, १९६५ जनवरी, १९६६
११	,, के० जी० शर्मा ..	.. नवम्बर, १९६५ से जनवरी, १९६६
१२	,, आर० के० श्रीवास्तव ..	.. अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५
१३	,, डी० सी० मेहरोत्रा ..	.. नवम्बर, १९६५ से जनवरी, १९६६
१४	,, डी० कुमार ..	.. अगस्त, १९६५ से अक्टूबर, १९६५
१५	,, वी० पी० सेठ ..	.. नवम्बर, १९६५
१६	,, वी० के० अग्रवाल ..	.. अक्टूबर, १९६५ से जनवरी, १९६६
१७	,, एम० पी० श्रीवास्तव ..	.. जनवरी, १९६६
१८	,, आर० के० शुक्ला ..	.. नवम्बर, १९६५ जनवरी, १९६६
१९	,, एस० के० लाल अस्थाना	.. नवम्बर, १९६५ से जनवरी, १९६६
२०	,, एस० एन० खरे ..	.. अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५
२१	,, अफाक अली ..	.. नवम्बर १९६५ से जनवरी, १९६६
२२	,, आलम सिंह ..	.. नवम्बर १९६५
२३	,, मु० जियाउद्दीन ..	.. जुलाई १९६५ से अगस्त, १९६५ नवम्बर ६५ से दिसम्बर, १९६५
२४	,, ए० एन० चौधरी ..	.. जनवरी १९६६।
२५	,, ए० आर० सिद्दीकी ..	.. नवम्बर १९६५ से दिसम्बर, १९६५
२६	,, शाह बहाउद्दीन ..	.. अक्तूबर १९६५ से नवम्बर, १९६५ दिसम्बर १९६५।
२७	,, किशोरीलाल ..	.. जून १९६५ से जुलाई, १९६५ अगस्त १९६५ से सितम्बर, १९६५
२८	,, एस० एन० शुक्ला ..	.. नवम्बर १९६५ जनवरी, १९६६
२९	,, उमा शंकर दुबे ..	.. जुलाई, १९६५ से अक्तूबर, १९६५

क्र० सं०	नाम	समय कब से कब तक
१	२	३
३०	श्री एस० एल० शुक्ला ..	.. अगस्त, १९६५ से अक्टूबर, १९६५
३१	,, डी० वी० सिंह ..	.. जून, १९६५ से दिसम्बर, १९६५
३२	,, के० पी० एल० निगम	.. जून, १९६५ से सितम्बर, १९६५ नवम्बर, १९६५ से दिसम्बर, १९६६
३३	,, एस० के० लाल श्रीवास्तव	.. दिसम्बर, १९६५
३४	,, आर० एस० उपाध्याय	.. अगस्त, १९६५ से अक्टूबर, १९६५
३५	,, एस० पी० पाठक ..	.. जून , १९६५ से सितम्बर, १९६५
३६	,, श्री अनवर हुसेन ..	.. अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५
३७	,, वी० एन० वाजपेई ..	.. अक्तूबर, १९६५ से दिसम्बर, १९६५
३८	,, सै० असफाक हुसैन ..	.. अगस्त, १९६५ से सितम्बर, १९६५ अक्तूबर, १९६५ से नवम्बर, १९६५
३९	,, बी० सी० शुक्ला ..	.. दिसम्बर, १९६५
४०	,, एस० एन० त्रिवेदी ..	.. सितम्बर, १९६५ नवम्बर, १९६५ से दिसम्बर, १९६५
४१	,, मो० इसहाक ..	.. अगस्त, १९६५ नवम्बर, १९६५
४२	,, आर० पी० एल० श्रीवास्तव	.. दिसम्बर, १९६५
४३	,, एच० एस० राठौर ..	.. अगस्त, १९६५ से अक्टूबर, १९६५ नवम्बर, १९६५ से दिसम्बर, १९६५
४४	,, श्री वी० के० भटनागर ..	.. अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५
४५	,, श्री आर० एस० त्रिपाठी	.. अक्तूबर, १९६५
४६	,, एच० एस० अख्तर ..	.. नवम्बर, १९६५ से जनवरी, १९६६
४७	,, एस० एस० लाल ..	.. जनवरी, १९६६
४८	,, एच० यू० किदवई ..	.. जनवरी, १९६६
४९	,, सुभाष चन्द्र ..	.. नवम्बर १९६५
५०	,, शकूर मोहम्मद ..	.. जनवरी, १९६६
५१	,, वी० एन० सिंह ..	.. अप्रैल, १९६५ से जनवरी, १९६६
५२	,, एम० पी० किदवई ..	.. दिसम्बर, १९६५ ।

नत्थी 'घ'

(देखिये नियम ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४ पर।)

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर, गुरगांव, (पंजाब), मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४० पर।)

ग्राम मझोला में निम्नलिखित ६ व्यक्तियों को नलकूपों तथा दूसरे कार्यों के लिये बिजली के कनेक्शन स्वीकृत हुये हैं :

१—श्री श्याम बाबू

२—श्री रहमुद्दीन

३—श्री हरपाल सिंह

४—श्री शंकर लाल

५—श्री भगवानदास

६—श्री प्रहलाद सिंह ।

इन व्यक्तियों ने केवल २५ रु० (प्रत्येक) अर्नेस्ट मनी ही जमा की है। सर्विस कनेक्शन चार्जेज तथा सिक्योरिटी का रुपया नहीं जमा किया है। उन व्यक्तियों को, जोकि सारी औपचारिकता पूर्ण कर लेंगे, कनेक्शन दिये जायेंगे।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिय तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४४ पर।)

प्लाट सं०	किसान का नाम			बीघा	वि०	वि०-
१९	श्री पुखराम बघेरा	..	..	१	१०	..
२६	श्री महाबल बघेरा	..	..	..	६	१७
२७	श्री मथुरा बघेरा	..	..	१	..	..
२८	श्री लक्ष्मण व दुबरी	..	..	२	३	१०
२९	श्री लोधा ..	..	..	१	१४	..
३७	श्री पेरू ..	..	..	..	२	५
४६	श्री झांगुर ..	..	..	..	७	४
५६	श्री शिव शंकर यती बघेरा	..	..	..	२	८
		योग	..	७	६	४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डी० एस० यू० पी०—एल० पी० टेम एल० ए०—१९६६—८५२ ।